रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022021-225159 CG-DL-E-15022021-225159

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] No. 67] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 10 फरवरी, 2021

सं. जेईआरसी:27/2021.—िवद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2003 का अधिनियम सं.36) (इसके बाद से 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित धारा 15 और 16 के तहत प्रदत्त शक्तियों, और इसके कारण प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पिछले प्रकाशन के बाद, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभण और सीमा

- 1.1 इन विनियमों को गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत वियामक आयोग (ट्रांसिमशन एंड वितरण लाइसेंसिंग) विनियम, 2020 कहा जाएगा।
- 1.2 ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 1.3 ये विनियम बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण के लिए लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे।
- 1.4 ये विनियम गोवा राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू हैं।

918 GI/2021 (1)

2. परिभाषाएँ:

- 2.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
 - (क) "अधिनियम" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.36);
 - (ख) "वार्षिक लेखा" का अर्थ है कि कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर संशोधित किए गए और/ या इस तरह के अन्य माध्यमों से तैयार किए गए द्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस के लेखा जैसा कि अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में समय-समय पर आयोग द्वारा निर्देशित किया जाएगा;
 - (ग) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने बिजली के अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन और/ या वितरण लाइसेंसधारी के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन किया था;
 - (घ) **"वितरण का क्षेत्र" या "आपूर्ति का क्षेत्र"** का अर्थ उस क्षेत्र से है जिसके भीतर वितरण लाइसेंसधारी को लाइसेंस में आयोग द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के तहत बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए अधिकृत किया जाता है;
 - (ड) "ट्रांसिमशन क्षेत्र" का अर्थ है, ट्रांसिमशन लाइसेंस में उल्लिखित क्षेत्र जिसके भीतर ट्रांसिमशन लाइसेंसिधारी ट्रांसिमशन लाइनों और ट्रांसिमशन प्रणाली की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए अधिकृत है;
 - (च) "लेखा-परीक्षकों" का अर्थ है ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंसधारी का लेखा-परीक्षक, और यदि ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंसधारी एक कंपनी है, तो समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा-परीक्षकों द्वारा धारित कार्यालय।
 - (छ) "आयोग" या "जेईआरसी" का अर्थ है गोवा राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग:
 - (ज) "मानित लाइसेंसधारी" का अर्थ धारा 14 की उप-धारा (ख) और अधिनियम की धारा 14 के पहले, दूसरे, तीसरे, और पांचवें प्रावधान के तहत के तहत अधिकृत व्यक्ति द्वारा आपूर्ति के अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति हेतु वितरण प्रणाली को संचालित करना और बनाए रखना है;
 - (झ) "वितरण" का अर्थ है वितरण प्रणाली के माध्यम से बिजली का प्रवाह या व्हीलिंग प्रदान करना;
 - (ञ) **"वितरण व्यवसाय" का** अर्थ है, वितरण लाइसेंसधारी का अधिकृत व्यवसाय, जो आपूर्ति के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के लिए वितरण प्रणाली का संचालन और रखरखाव करता है;
 - (ट) **"वितरण लाइसेंसधारी" का** अर्थ है, "वितरण लाइसेंस" द्वारा अधिकृत व्यक्ति जो आपूर्ति के अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति/ संप्रेषण/ व्हीलिंग के लिए वितरण प्रणाली का संचालन और रखरखाव करता है और इसमें मानित लाइसेंसधारी शामिल होगा;
 - (ठ) "अप्रत्याशित स्थितियों" का अर्थ ट्रांसमिशन/ वितरण लाइसेंसधारी के नियंत्रण से परे स्थितियां हैं, लेकिन यह भूकंप, चक्रवात, बिजली, दंगा, बाढ़, तूफान, युद्ध, विद्रोह, आतंकवादी हमले, नागरिक अशांति, लॉक आउट, लाइसेंसधारी की स्थापना में आग लगने या अन्य समान घटनाओं तक ही सीमित नहीं है जिससे

ऐसा कोई कार्य भी शामिल है जिससेबिजली की आपूर्ति से संबंधित संगत कानूनों या विनियमों का उल्लंघन हो;

- (ड) "सामान्य शर्तों" का अर्थ है कि इन विनियमों में निर्दिष्ट ट्रांसमिशन/ वितरण लाइसेंस की सामान्य शर्तें;
- (ढ) **"ग्रिड कोड" का** अर्थ विद्युत अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट ग्रिड कोड से है और इसमें इन विनियमों के प्रारंभण की तारीख को लागू भारतीय विद्युत ग्रिड कोड भी शामिल है:
- (ण) "लाइसेंस" का अर्थ अधिनियम, 2003 की धारा 14 के तहत दिए गए लाइसेंस से है;
- (त) **"लाइसेंस-प्राप्त व्यापार" का** अर्थ ट्रांसिमशन/वितरण लाइसेंस के तहत अधिकृत अनुसार लाइसेंस के क्षेत्र में बिजली का ट्रांसिमशन/वितरण और खुदरा आपूर्ति का व्यवसाय है;
- (थ) "बड़ी घटना" का अर्थ बिजली के ट्रांसिमशन/ वितरण से जुड़ी किसी घटना से है, जिसके परिणामस्वरूप सर्विस में व्यापक व्यवधान उत्पन्न होना, उपकरणों को पर्याप्त नुकसान पहुंचना, या जीवन हानि या इंसानों को चोट लगना, या अन्यथा आयोग द्वारा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए और इसमें अन्य कोई घटना भी शामिल है जिसे आयोग द्वारा बड़ी घटना घोषित किया गया हो;
- (द) **"बैठक" का** अर्थ है अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में आयोग द्वारा समय-समय पर आयोजित सुनवाई, बैठक, विचार-विमर्श, विचार-विमर्श, पूछताछ, जांच, परामर्श;
- (ध) "अधिकारी" का अर्थ आयोग के अधिकारी से है;
- (न) "ओपन एक्सेस" का अर्थ ट्रांसिमशन लाइन या ट्रांसिमशन प्रणाली के उपयोग के लिए गैर-भेदभावपूर्ण प्रावधान है या ऐसी लाइनों या प्रणाली के साथ संबद्ध सुविधाओं से है जो किसी लाइसेंस या उपभोक्ता या विद्युत अधिनियम और आयोग द्वारा निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार उत्पादन में लगे व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती हैं;
- (प) **"अन्य व्यवसाय" का** अर्थ है लाइसेंस प्राप्त/ वितरण लाइसेंसधारी व्यवसाय के अलावा कोई भी व्यवसाय;
- (फ) "याचिका" का अर्थ है सभी याचिकाएं और इसमें आवेदन, शिकायतें, अपील के उत्तर, प्रत्युत्तर, पूरक याचिकाएं, अन्य कागजात और दस्तावेज शामिल हैं;
- (ब) "कार्यवाही" का अर्थ और इसमें सभी प्रकार की कार्यवाही शामिल है जिसे आयोग अधिनियम के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए कर सकता है;
- (भ) "प्राप्ति अधिकारी" का अर्थ याचिका प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा नामित अधिकारी है;
- (म) **"विनियम"** का अर्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों से है;
- (य) "खुदरा आपूर्ति" का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उसकी आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर किसी भी उपभोक्ता
 को बिजली की आपूर्ति करना और इस संदर्भ में "खुदरा आपूर्तिकर्ता" और "खुदरा आपूर्ति व्यवसाय" जैसे
 शब्दों को तदनुसार माना जाएगा;
- (र) **"सचिव"** का अर्थ आयोग के सचिव से है;
- (ल) "आपूर्ति" का अर्थ है बिजली की आपूर्ति और "आपूर्तिकर्ता" शब्द तदनुसार माना जाएगा;
- (व) "ट्रांसिमशन लाइसेंस" का अर्थ है, लाइसेंस में निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रांसिमशन लाइनों और ट्रांसिमशन प्रणाली की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए अधिनियम की धारा 14(क) के तहत किसी व्यक्ति/ कंपनी को आयोग द्वारा दिया गया लाइसेंस। "ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी" शब्दों को तदनुसार माना जाएगा;

- (स) "ट्रांसिमशन प्रणाली" से तात्पर्य उस प्रणाली से है, जो ईएचवी पर विद्यमान ईएचवी (जेनरेटर इंटरकनेक्शन सुविधाओं को छोड़कर) से संचालित हो रही है और/ या एक पावर स्टेशन से दूसरे सबस्टेशन तक बिजली के प्रसारण के प्रयोजनों के लिए ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी द्वारा संचालित ईएचवी से युक्त है या किसी अन्य पावर स्टेशन पर या सब-स्टेशनों के बीच या वितरण प्रणाली के साथ इंटरकनेक्शन तक किसी भी बाहरी इंटरकनेक्शन उपकरण से या बिजली के ट्रांसिमशन के संबंध में ट्रांसिमशन लाइसेंस के स्वामित्व वाले और उपयोग किए गए संयंत्र और उपकरण और मीटर शामिल हैं, लेकिन इसमें किसी भी लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली का कोई भाग शामिल नहीं होगा:
- (श) **"वर्ष"** का अर्थ किसी कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक बारह महीने की अवधि से है।
- 2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां यदि यहां ऊपर विशेष रूप से ऊपर परिभाषित नहीं किए गए हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, तो उन्हें अधिनियम में दिया गया अर्थ होगा। यहाँ उपयोग किए गए दूसरे शब्द और अभिव्यक्तियां लेकिन इन विनियमों या अधिनियम में विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, लेकिन इसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत उद्योग पर लागू संसद द्वारा पारित किसी अन्य कानून के तहत परिभाषित किया गया है, का ऐसे कानून में उन्हें सौंपा गया अर्थ होगा।

अध्याय 1

ट्रांसमिशन/वितरण लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रक्रिया

- 3. ट्रांसमिशन/वितरण लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन
- 3.1 यहां दिए गए विनियम गोवा राज्य के और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर बिजली के ट्रांसिमशन/ वितरण के व्यवसाय में शामिल होने वाले सभी लोगों पर लागृ होंगे।
- 3.2 किसी भी ट्रांसमिश/ वितरण लाइसेंस के लिए आवेदन अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।
- 3.3 आवेदक को इन विनियमों के परिशिष्ट-। में निर्दिष्ट प्रपत्र में और आयोग द्वारा निर्देशित तरीके से और सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे शुल्क के साथ लाइसेंस प्रदान करने के लिए आयोग को एक आवेदन करना होगा।
- 3.4 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, लाइसेंस प्रदान करने के लिए देय शुल्क, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन विनियम), 2009 और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार होगा।
- 3.5 लाइसेंस के लिए आवेदन करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं का पालन करेगा।
- 3.6 आयोग, यदि उपयुक्त समझे तो बिजली के ट्रांसिमशन/ वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर या अन्यथा ऐसे अन्य उचित तरीके से आमंत्रित आवेदनों पर निर्णय ले सकता हे जिससे हमेशा पारदर्शिता के सिद्धांत की गारंटी मिले।
- 3.7 लाइसेंस प्रदान करने के आवेदन पर आवेदक द्वारा या आवेदक की ओर से किसी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इन्हें आयोग के सचिव या आयोग के रूप में ऐसे अधिकारी जैसा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए, को संबोधित किया जाएगा और इसके साथ निम्नलिखित संलग्न होना चाहिए:
 - (क) आवेदक द्वारा प्रस्तावित लाइसेंस के प्रारूप की प्रिंट में छह (6) प्रतियां, जिस पर आवेदक और उसके एजेंट (यदि कोई हो) का नाम और पता लिखा हो तथा इसकी एक (1) सॉफ्ट कॉपी;

- (ख) तीन (3) प्रतियां, जिन पर प्रत्येक पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, प्रस्तावित सेवा क्षेत्र के नक्शे और, गिलयां या सड़कें, जहां बिजली की आपूर्ति की जानी है, की आपूर्ति के मामले में ऐसे क्षेत्र और सड़कों या सड़कों के किसी भी भाग को रंग से इस तरह से चिह्नित या परिभाषित किया जाएगा जो किसी स्थानीय प्राधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और निम्नलिखित पैमाने पर हों:
 - लाइसेंस के प्रस्तावित क्षेत्र के नक्शे जो 10 सें.मी. से एक कि.मी. तक से कम पैमाने के न हों: या
 - ii. यदि ऐसा कोई मानचित्र उपलब्ध न हो जो उपलब्ध सबसे बड़े पैमाने के अध्यादेश मानचित्रों से कम न हो; या
 - iii. विशिष्ट मामले में आयोग द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य पैमाने।
- (ग) ट्रांसिमशन/ आपूर्ति के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का कोई विस्तृत नक्शा(नक्शे), जो आपूर्ति किए जाने वाले क्षेत्र और ट्रांसिमशन/ वितरण प्रणाली के विन्यास को दर्शाता है। नक्शा (प्रणाली) मौजूदा प्रणाली और बिजली की ट्रांसिमशन/ आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से किसी भी नई सुविधाओं के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करेगा। नक्शा (नक्शे) सब-स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स, ट्रांसिमशन/ वितरण नेटवर्क, गलियों और सड़कों को इंगित करेगा, जिस पर विभिन्न उपभोक्ताओं को ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है तथा यह सार्वजिनक और निजी उपभोक्ताओं के बीच अंतर करती है;
- (घ) गतिविधि के क्षेत्र में आवेदक द्वारा किए जाने वाले प्रसारण/ वितरण प्रणाली के निर्माण, संचालन और/ या रखरखाव के संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट;
- (ड.) प्रस्तावित लाइसेंस के किसी भी भाग, जहां से प्रस्तावित ट्रांसिमशन/ वितरण लाइन होकर गुजरेगी, के लिए प्रशासन के पास उपलब्ध सभी स्थानीय प्राधिकारियों (अर्थात् ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर क्षेत्र) की सूची;
- (च) कोई अनुमानित विवरण जिसमें आवेदक द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के उद्देश्य से अधिग्रहण की जाने वाली किसी प्रस्तावित भूमि का उल्लेख किया गया हो और ऐसे अधिग्रहण के साधन;
- (छ) उपयोगिता के संबंध में विस्तार की जाने वाली प्रस्तावित पूंजी का अनुमानित विवरण और ऐसे अन्य ब्यौरे जैसा कि आयोग को आवश्यकता हो;
- (ज) प्रभावी रूप से कुशल और कारगर ट्रांसिमशन/ वितरण प्रणाली के निर्माण, संचालन और/ या ट्रांसिमशन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम किमेंयों की उपलब्धता से संबंधित एक संगत जानकारी, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और परियोजना को पुरा करने के लिए वित्तीय क्षमता;
- (झ) कंपनी की अंतर्नियमावली की एक प्रति, जहां आवेदक निकाय कॉर्पोरेट है, और अन्य व्यवसाय संस्थाओं के मामले में निगमन, पंजीकरण या समझौते के लिए समान लागू दस्तावेज;
- (ञ) किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट से उपर्युक्त विवरणों पर टिप्पणियों और प्रमाणपत्रों, यदि कोई हो, को संलग्न करना:
- (ट) पिछले तीन वर्षों के आवेदक के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति या अन्य समान दस्तावेज जैसा आवश्यक हों:
- (ठ) उपर्युक्त खण्ड (3.3) के अनुसार निर्दिष्ट अनुसार आवेदन शुल्क के ऐसे भुगतान की रसीद;

- (ड) तकनीकी, पूंजीगत पर्याप्तता और ऋण-क्षमता सहित आवेदक का विवरण;
- (ढ) स्थानीय प्राधिकारी से सहमित से सहमित प्राप्त करने के लिए पत्र या सहमित-पत्र की एक प्रति;
- (ण) अधिनियम की धारा 15(2)(ii) के अनुसार केंद्र सरकार से सहमित प्राप्त करने के लिए पत्र, यदि लागू हो, की एक प्रति;
- (त) जहां आवेदक कोई कंपनी है, वहां व्यवसाय के उत्पादन, वितरण, ट्रांसमिशन या व्यापार में संलग्न किसी समूह कंपनी का विवरण, चाहे वह गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर हो या किसी अन्य राज्य में;
- (थ) जहां आवेदक कोई कंपनी नहीं है, वहां गोवा, संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर या किसी अन्य राज्य में, जिसमें आवेदक सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि रखता है, उत्पादन, ट्रांसमिशन, या व्यापार का विवरण;
- (द) प्रमोटरों का संक्षिप्त इतिहास जहां आवेदक एक कंपनी है;
- (ध) ऐसे अन्य दस्तावेज या सूचना जो आयोग मांग सकता है;

4. ट्रांसिमशन लाइसेंस देने के लिए राज्य ट्रांसिमशन उपयोगिता (एसटीयू) की सिफारिशें

- 4.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी आवेदक उपर्युक्त तरीके से आवेदन करने के तुरंत बाद, अपनी सिफारिशों के लिए राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता को सभी अनुलग्नकों सहित आवेदन की एक प्रति अग्रेषित करेगा।
- 4.2 राज्य ट्रांसिमशन उपयोगिता आवेदन की प्राप्ति को स्वीकार करेगी और उक्त आवेदन प्राप्त होने के तीस (30) दिनों के भीतर आयोग को अपनी सिफारिशें, यदि कोई हों, भेजेगी।
- 4.3 राज्य ट्रांसिमशन उपयोगिता, चाहे अपनी सिफारिशें भेजें या न भेजे, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रति प्राप्त होने के तीस (30) दिनों के भीतर निम्नलिखित पहलुओं पर आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:
 - (क) क्या ट्रांसिमशन लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र में उल्लिखित परिसंपत्तियां अंतर-राजयीय ट्रांसिमशन प्रणाली का हिस्सा हैं;
 - (ख) क्या आवेदन-पत्र में वर्णित संपत्तियां ट्रांसिमशन योजना का हिस्सा हैं;
 - (ग) क्या आवेदन में उल्लिखित समापन अनुसूची व्यावहारिक है, क्या यह अन्य भागों के विस्तार के साथ सामंजस्य रखती है;
 - (घ) परिसंपत्तियों की तकनीकी उपयुक्तता;
 - (ड.) आवेदन में दर्शाई गई अनुमानित समापन लागत का औचित्य;
 - (च) कोई अन्य संगत जानकारी जो राज्य ट्रांसिमशन उपयोगिता आयोग को बताना चाहती है;
- 4.4 राज्य ट्रांसिमशन उपयोगिता की सिफारिशें, यदि कोई हों, और रिपोर्ट की प्रति आवेदक को पृष्ठांकित की जाएगी।
- 4.5 आयोग राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता की टिप्पणियों को ध्यान में रखेगा, लेकिन सिफारिशों और राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता की रिपोर्ट आयोग पर बाध्यकारी नहीं होगी।
- 5. सार्वजनिक निरीक्षण के लिए नक्शे और मसौदा लाइसेंस की प्रतियां

- 5.1 आवेदक अपने कार्यालय और अपने एजेंटों (यदि कोई हो) के पास नक्शे और लाइसेंस की प्रतियां रखेगा और इन्हें आपूर्ति के प्रस्तावित क्षेत्र के किसी भी भाग से संबंधित प्रशासन के प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय में जमा कराएगा:
 - i. सार्वजनिक निरीक्षण के लिए ऊपर दिए गए खंड 3.7(ख) में निर्दिष्ट नक्शे की प्रतियां; तथा
 - ग्रारूप लाइसेंस की पर्याप्त संख्या में सामान्य प्रतियां आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को दी जाएंगी
 और उनसे सामान्य फोटोप्रति के प्रभार से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

6. लाइसेंस के प्रारूप की विषय-वस्तु

- 6.1 लाइसेंस के प्रारूप में निम्नलिखित विवरण शामिल होगा:
 - आवेदक के पते और विवरण के साथ प्रस्तावित उपयोगिता का एक लघु विस्तृत शीर्षक और यदि आवेदक कोई कंपनी है, तो कंपनी के सभी निदेशकों के नाम;
 - ii. आवेदन किए गए लाइसेंस का प्रकार;
 - iii. प्रस्तावित सेवा क्षेत्र के स्थान;
 - iv. प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण; तथा
 - v. ऐसे अन्य विवरण जो आयोग निर्देशित कर सकता है।

7. ट्रांसमिशन/ वितरण लाइसेंस की शर्तें

- 7.1 सामान्य शर्तें जिनके अधीन आयोग द्वारा प्रत्येक श्रेणी के लाइसेंस निर्धारित किए जाएंगे।
- 7.2 आयोग विशेष शर्तों के अनुसार निर्णय ले सकता है जिसके आधार पर आवेदक को लाइसेंस जारी किया जाएगा।
- 7.3 कोई भी व्यक्ति जो लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहता है, वह आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं का पालन करेगा।

8. ड्राफ्ट लाइसेंस का प्रपत्र

8.1 आयोग, समय-समय पर, जारी किए जाने वाले लाइसेंस के प्रपत्र को निर्धारित कर सकता है और लाइसेंस के यह प्रपत्र में इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

9. आवेदन की प्राप्ति और पावती

9.1 ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस प्रदान करने का आवेदन प्राप्त होने पर, आयोग के सिचव या प्राप्ति अधिकारी इस उद्देश्य के लिए रखे जाने वाले रिजस्टर में विवरण दर्ज करेंगे और आवेदन को एक संदर्भ संख्या आवंटित करेंगे। सिचव या प्राप्ति अधिकारी आवेदक को आवेदन में उल्लिखित पते पर एक पावती भेजेंगे जिसमें आवेदन की प्राप्ति की तारीख और संदर्भ संख्या शामिल होगी।

10. आवेदन की संवीक्षा और अतिरिक्त सूचना मंगाना

10.1 आयोग या सचिव या इस उद्देश्य के लिए आयोग द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी, आवेदन की जांच करने के बाद आवेदक को ऐसे अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज, जैसा कि आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

10.2 आवेदन की जांच समय-समय पर यथा संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन विनियम), 2009 के खंड 15 के अनुसार होगी:

बशर्ते, यदि जांच करने पर लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन किसी भी तरह से अधूरा पाया जाता है या उसमें कमी पाई जाती है, तो आवेदक को इसे पूरा करने या इसकी किमयों को दूर करने के लिए लौटाया जाएगा। आवेदक को अभ्यावेदन में किसी भी कमी को लिखित रूप में बताया जाएगा और उन्हें ठीक करने के लिए निर्धारित समय दिया जाएगा। आवेदक अपने नए आवेदन के संबंध में इस विनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा सिवाय इसके कि आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क का फिर से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. आवेदन को विधिवत दायर करने की सूचना देना

11.1 यदि आयोग यह पाता है कि आवेदन पूर्ण है, और उसके साथ अपेक्षित सूचना, विवरण और दस्तावेज संलग्न किए गए हैं, और यह भी पाता है कि आवेदक ने आवेदन करने और सूचना, विवरण और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तो आयोग या सचिव यह प्रमाणित करेगा कि लागू कानूनों के अनुसार आवेदन पर लाइसेंस दिया जा सकता है।

12. आवेदन की सार्वजनिक सूचना

- 12.1 जब तक कि विधि/आयोग द्वारा छूट न दी जाए, आवेदक, आवेदन के दायर होने की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर, अपने आवेदन की सूचना एक अंग्रेजी और एक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र जिनका लाइसेंस मांगे जाने वाले ट्रांसिमशन/वितरण के क्षेत्र में व्यापक परिचालन हो, में एक सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करेगा और ऐसे आवेदन में ऐसा विवरण शामिल होगा जैसा कि इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है अर्थात:
 - (क) शीर्ष पर आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में यह दर्शाते हुए लिखा जाएगा कि आवेदक वेदक एक व्यक्ति है, या कोई साझेदारी फर्म है जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत है, या कोई निजी लिमिटेड कंपनी या कोई सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 1956, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित या कोई अन्य निगमित या गैर-निगमित निकाय है जिसके कार्यालय का विवरण सहित पूरा पता और पंजीकृत कार्यालय का पता, यदि कोई हो, दिया जाएगा;
 - (ख) यह विवरण कि आवेदक ने अधिनियम की धारा 15 के तहत ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस देने के लिए आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत किया है;
 - (ग) ट्रांसमिशन/ वितरण लाइसेंस का प्रस्तावित क्षेत्र;
 - (घ) आवेदक की वित्तीय और तकनीकी क्षमता, प्रबंधन प्रोफाइल और शेयर धारिता पैटर्न, यदि कोई हो;
 - (ड.) इस आशय का एक विवरण कि आयोग के समक्ष समय-समय पर प्रस्तुत आवेदन और अन्य दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए आवेदक के पास उपलब्ध हैं;
 - (च) प्रस्तावित ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस के क्षेत्र के प्रमुख शहरों या कस्बों में आवेदक द्वारा नामित व्यक्ति(यों) के नाम, पते और अन्य आवश्यक विवरण, जिन्हें निरीक्षण, आवेदन और अन्य दस्तावेजों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है या जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से खरीदे जा सकते हैं, या उचित शुल्क पर डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं, जिनका प्रभार फोटोकॉपी शुल्क से अधिक न हो;
 - (छ) प्रस्तावित ट्रांसमिशन/वितरण लाइसेंस का संक्षिप्त विवरण;

- (ज) इस आशय का एक विवरण कि पूर्ण आवेदन आवेदक की वेबसाइट या किसी अन्य अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसे मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है;
- (झ) यह विवरण कि आपित्तियां, यदि कोई हों, को गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के सिचव, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष आयोग के कार्यालय का पता देने वाले नोटिस के प्रकाशन के तीस (30) दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है:
 - बशर्ते कि आवेदक आयोग से अनुरोध कर सकता है कि वह उसे उपर्युक्त किसी भी सूचना को प्रकाशित करने से बचने की अनुमित प्रदान करे ताकि वह पर्याप्त या उचित आधार के साथ बौद्धिक संपदा में अपने व्यावसायिक हितों या अधिकारों की रक्षा कर सके और आयोग उचित विचार के बाद ऐसे अनुरोध को मंजुरी दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है;
 - बशर्ते आगे यह कि आवेदक को उपर्युक्त सूचना के गैर-गोपनीय सारांश को निर्दिष्ट तरीके से प्रकाशित करना होगा;
- (ञ) उपर्युक्त के अलावा, आयोग यह निर्देश दे सकता है कि आवेदन की सूचना केंद्र सरकार; राज्य सरकार, किसी भी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति या निकाय जैसा आयोग उपयुक्त समझे, के किसी नामित प्रतिनिधि को दी जाए;
- (ट) आवेदक, उपर्युक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर, आयोग को एक शपथपत्र, प्रकाशित नोटिस का विवरण, और उन समाचार-पत्रों की प्रासंगिक प्रतियां भी प्रस्तुत करेगा जिनमें नोटिस प्रकाशित किए गए थे।

13. आवेदन और दस्तावेजों का सार्वजनिक निरीक्षण

- 13.1 ऊपर दिए गए विनियम 12 के अनुसार नोटिस के प्रकाशन की तारीख से, आवेदक अपने कार्यालय और अपने एजेंटों के कार्यालय/ कार्यालय (यदि कोई हो) और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी में, जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, आवेदन की प्रतियां और इसके साथ प्रस्तुत सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।
- 13.2 आवेदक आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को अपने आवेदन की मुद्रित प्रतियों और सामग्री की फोटोकॉपी उचित लागत पर उपलब्ध कराएगा।

14. लाइसेंस के प्रारूप में संशोधन

14.1 कोई व्यक्ति जो लाइसेंस के प्रारूप में में कोई संशोधन कराना चाहता है, तो वह आवेदक और सचिव या ऐसे अधिकारी को संशोधन का विवरण देगा, जिसे आयोग आवेदन के नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर इस संबंध में समाचार-पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से इस संबंध में नामित कर सकता है।

15. आपत्तियां और सुझाव

- 15.1 कोई भी व्यक्ति जो ट्रांसिमशन/वितरण लाइसेंस प्रदान करने में आपित्तयां/ सुझाव देना चाहता है तो वह उपर्युक्त विनियम 12 में संदर्भित पहले विज्ञापन के जारी होने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर आपित्त/ सुझाव दायर करेगा। आपित्तयां/सुझाव आयोग के सिचव को संबोधित किए जाने चाहिए और इसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जानी चाहिए।
- 15.2 जहां किसी भी स्थानीय प्राधिकारी से आपत्ति प्राप्त होती है, तो आयोग की राय में, यदि आपत्ति असंगत है, तो वह लिखित में राय दर्ज करेगा और इसे कारणों के साथ ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को सूचित करेगा।
- 15.3 ऐसी आपत्तियों/सुझावों के प्राप्त होने पर, सचिव/ नामित अधिकारी उस पर ट्रांसमिशन/ वितरण लाइसेंस देने के लिए संबंधित आवेदन की संदर्भ संख्या अंकित करेगा और संबंधित आवेदन से संबंधित फाइल में ऐसी आपत्तियां दर्ज करेगा, और उसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड भी करेगा।

- 15.4 आवेदक उपर्युक्त विनियम 12 के तहत नोटिस के संदर्भ में प्राप्त आपित्तयों या सुझावों पर उपर्युक्त खंड (15.1) में उल्लिखित नोटिस के तीस (30) दिनों के समाप्त होने के बाद पन्द्रह (15) दिनों के भीतर नोटिस का उत्तर देगा।
- 15.5 आपत्तियों पर आपत्ति/ सुझाव/ टिप्पणी उत्तर के रूप में तथा समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन विनियम), 2009 के उत्तर/ आपत्ति से निपटने से संबंधित अध्याय-।। के प्रावधानों के तहत दी जाएंगी।
- 15.6 यदि ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस हेतु कोई आवेदन ऐसे क्षेत्र का है जिसमें रक्षा उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार के कब्जे में कोई छावनी, पत्तन, किला, शस्त्रागार, डॉकयार्ड या शिविर या किसी इमारत या स्थान का कोई भाग शामिल है, तो आयोग यह पता लगाएगा कि ऐसे वितरण लाइसेंस देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई आपित तो नहीं है:

बशर्ते कि इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया न हो, आयोग अपने विवेक से कानून के अनुसार आगे कार्रवाई कर सकता है।

16. सुनवाई और स्थानीय जांच

- 16.1 यदि आवेदक ने वांछित आवेदन का विधिवत नोटिस के प्रकाशन की व्यवस्था की है, और आपित्तयां दायर करने का समय समाप्त हो गया है और यदि केंद्र सरकार की आवश्यकता के अनुसार आवेदक ने आयोग को अनापित्त प्रस्तुत कर दी है तो आयोग आवेदन पर नियमित सुनवाई के लिए आगे कार्रवाई कर सकता है।
- 16.2 आयोग आवेदक, आपत्तियां दायर करने वाले व्यक्तियों, केंद्र सरकार, संबंधित सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकारी, व्यक्ति या निकाय, जिसे आयोग उचित समझता है, को जांच या सुनवाई का नोटिस देगा।
- 16.3 यदि कोई व्यक्ति आवेदन किए गए लाइसेंस पर आपत्ति करता है, तो आयोग, यदि आवेदक या आपत्तिकर्ता चाहे, तो स्थानीय जांच करा सकता है, जिसकी सूचना लिखित में आवेदक और आपत्तिकर्ता दोनों को दी जाएगी:
 - बशर्ते कि आयोग इस तरह की जांच से इंकार कर सकता है यदि उसकी राय में आपत्ति मामली या अप्रिय प्रकृति की है;
 - बशर्ते आगे यह कि आयोग स्थानीय जांच के लिए उसके द्वारा निर्धारित समय को बढ़ा सकता है जिसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
- 16.4 ऐसी स्थानीय जांच के मामले में, की गई स्थानीय जांच के परिणामों का एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा और आवेदक, इस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारी या व्यक्ति और ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आयोग द्वारा निर्देश दिया जाए, द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- 16.5 इसके बाद लाइसेंस प्रदान के आवेदन पर सुनवाई यथा संभव खण्ड (16.7) के तहत प्रदान किए गए तरीके के आगे बढेगी।
- 16.6 लाइसेंस देने के आवेदन पर सुनवाई करते हुए आयोग द्वारा स्थानीय जांच के परिणाम पर विचार किया जाएगा।
- 16.7 आयोग किसी मामले की सुनवाई के चरणों, तरीके, स्थान, तारीख और समय का निर्धारण और आवेदक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और ऐसे अन्य प्राधिकारी, व्यक्ति या निकाय जैसा कि आयोग उचित समझता है, की सुनवाई का समय निर्धारित कर सकता है। आयोग जैसा वह उपयुक्त समझे, निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या अधिक पर आगे कार्रवाई कर सकता है:

- (क) आयोग पक्षकारों की दलील पर मामला तय कर सकता है या पक्षकारों को हलफनामे के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने या मामले में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।
- (ख) यदि आयोग किसी पार्टी के साक्ष्य को मौखिक प्रस्तुतियाँ के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश देता है, तो आयोग, यदि आवश्यक या समीचीन समझे, तो दूसरे पक्ष को सबूत देने वाले व्यक्तियों को जिरह करने का अवसर प्रदान कर सकता है।
- (ग) आयोग, यदि आवश्यक या समीचीन समझे, तो निर्देश दे सकता है कि किसी भी पक्ष के साक्ष्य को आयोग द्वारा किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा इस उद्देश्य के लिए दर्ज किया जाए।
- (घ) आयोग पक्षकारों को मामले में दलीलें या प्रस्तुतियाँ के लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दे सकता है।

17. ट्रांसमिशन/ वितरण लाइसेंस के प्रारूप को मंजूरी

- 17.1 जांच, यदि कोई हो, और आवेदन की सुनवाई के बाद, आयोग लाइसेंस देने या उसे अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है:
 - बशर्ते कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना, या आवेदक को लिखित रूप में प्रतिक्रिया दर्ज करने या मौखिक सुनवाई करने की आवश्यकता के बिना आयोग किसी भी स्थिति में आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगा।
- 17.2 यदि आयोग ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस देने का निर्णय लेता है, तो लाइसेंस इन विनियमों के परिशिष्ट-2 में निर्दिष्ट प्रारूप में होगा:
 - बशर्ते कि आयोग लाइसेंस के लिए निर्दिष्ट फॉर्म में परिवर्तन या संशोधन कर सकता है, जैसा उसके विवेकाधिकार में आवश्यक हो सकता है, जो उन अन्य निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगा, जैसा कि आयोग निर्देश दे सकता है।
- 17.3 कोई लाइसेंस प्रदान करने से पहले, आयोग जैसा उचित समझेगा, दो (2) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में एक नोटिस और अपनी वेबसाइट पर उस व्यक्ति जिसे वह लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव करता है, का नाम और पता बताते हुए ऐसे अन्य विवरण, जैसा वह उचित समझेगा, प्रकाशित करेगा।
- 17.4 यदि आयोग ने किसी मसौदा लाइसेंस को उसके मूल रूप में या संशोधित रूप में मंजूरी दे दी है, तो सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी, जिसे आयोग इस संबंध में नामित कर सकते हैं, ऐसे अनुमोदन जिस रूप में इसे लाइसेंस प्रदान करने का प्रस्ताव है, के बारे में आवेदक को सूचित करेगा और आवेदक द्वारा इसकी शर्तों को स्वीकार करने पर लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- 17.5 आयोग लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद संबंधित सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और ऐसे अन्य व्यक्तियों को लाइसेंस की एक प्रति अग्रेषित करेगा, जैसा कि आयोग आवश्यक समझता है। आयोग लाइसेंस की प्रति को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेगा।
- 17.6 यदि आवेदक संशोधनों, परिवर्तनों या परिवर्धन, यदि कोई हो, के साथ ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस को स्वीकार करने के लिए तैयार है, और ऐसी अन्य निबंधन और शर्तों के अधीन है, जैसा कि आयोग ऊपर खंड (17.1) के तहत निर्देश दे सकता है, तो आवेदक आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के सात (7) दिनों के भीतर आयोग को स्वीकृति की सुचना देगाे।
- 17.7 जहां आयोग ने ट्रांसिमशन/वितरण लाइसेंस देने से इंकार करने का निर्णय लिया है, वहां सिचव ऐसे इनकार के चौदह (14) दिनों के भीतर, आवेदक को ऐसे इनकार के बारे में सूचना देते हुए आयोग के यथोचित आदेश की एक प्रति संलग्न करेगा।

18. वितरण/ ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने की अधिसूचना

18.1 आवेदक से लिखित में सूचना प्राप्त करने पर कि वह आयोग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में लाइसेंस को स्वीकार करने के लिए तैयार है और आवेदक द्वारा लाइसेंस देने के लिए लगाई गई शर्तों को पूरा करने के बाद, आयोग लाइसेंस या उसके भाग या विवरण को जैसा वह उचित समझता है, प्रकाशित करेगा।

19. मौजूदा वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति के क्षेत्र में वितरण लाइसेंस देने के लिए आवेदन

19.1 मौजूदा वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति के समान क्षेत्र के भीतर अपनी वितरण प्रणाली के माध्यम से बिजली के वितरण हेतु लाइसेंस देने का आवेदन करने वाला व्यक्ति, विनियम 3 के प्रावधानों के अलावा, पूंजीगत पर्याप्तता, साख सहित ऐसी अतिरिक्त आवश्यकताओं या विद्युत लाइसेंस वितरण (पूंजीगत पर्याप्तता, साख और आचार संहिता की अतिरिक्त आवश्यकताएं) नियम, 2005 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित आचार संहिता का पालन करता है। विद्युत लाइसेंस वितरण (पूंजीगत पर्याप्तता, साख और आचार संहिता की अतिरिक्त आवश्यकताएं) नियम, 2005 के मौजूदा प्रावधान इस प्रकार हैं:

"पूंजी पर्याप्तता और साख की आवश्यकताएं।

- (1) आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत बिजली के वितरण के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन प्राप्त करने पर, आवेदक की सुनवाई के बाद वितरण नेटवर्क के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता तय करेगा और धारा 43 के संदर्भ में आपूर्ति के क्षेत्र और उस क्षेत्र के भीतर सेवा दायित्व के आकार को ध्यान में रखेगा।
- (2) लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग को उप-नियम (1) के तहत निर्धारित अनुसार निवेश की लागत पर 30% इक्किटी के मानदंड पर यह विश्वास दिलाना होगा कि वह प्रोमोटर सहित, यदि आवेदक कंपनी है, अपने अन्य प्रतिबद्ध निवेशों को छोड़कर पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्रमोटरों सहित अपने व्यवसाय के निवल मूल्य और आंतरिक संसाधनों के सृजन के आधार पर परियोजना की ऐसी इक्किटी के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा।

स्पष्टीकरण:- अधिनियम की धारा 14 के अनुसार उसी क्षेत्र में बिजली वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (क्यू) में परिभाषित अनुसार नगर परिषद या नगर निगम के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र या राजस्व जिला आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र होगा।"

"आचार संहिता की आवश्यकताएं।

लाइसेंस देने के लिए आवेदक आयोग को संतुष्ट करेगा कि वह दोषी नहीं पाया गया है या लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन की तारीख से पिछले तीन वर्षों के भीतर वह निम्नलिखित में से किसी भी प्रावधान के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया हैं:

- (क) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 203 धारा 274, धारा 388ख या धारा 397;
- (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 276, धारा 276ख, धारा 276खख, धारा 276ग, धारा 277 या धारा 278;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 की धारा 15ग, धारा 15छ, धारा 15ज या धारा 15जक की;
- (घ) उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 9 की उप-धारा (1) की धारा (ख), (खख), (खखख), (खखखब), (ग) या (घ);

(ड.) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 132 या धारा 135,

और यह कि आवेदक वह व्यक्ति नहीं है जिसके मामले में लाइसेंस का धारा 24 के तहत निलंबित कर दिया गया था या आवेदन की तिथि से पिछले तीन वर्षों के भीतर अधिनियम की धारा 19 के तहत निरस्त कर दिया गया था:

बशर्ते कि जहां आवेदक एक कंपनी है, वह इस नियम के प्रावधानों के अलावा आयोग को संतुष्ट करेगा कि कंपनी या उसी प्रमोटर के किसी अन्य कंपनी को बंद करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 443 (ड.) के तहत कोई याचिका अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण दायर नहीं की गई है।"

20. मानित ट्रांसमिशन/ वितरण लाइसेंस प्रदान करना:

- 20.1 जब तक आयोग द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है, तब तक गोवा राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली के ट्रांसिमशन/ वितरण के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की निम्न श्रेणी को आवेदन किया गया माना जाएगा और उन्हें खंड (20.2) में निहित शर्तों के पूरा करने पर और उसके प्रयोजनों के लिए ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस प्रदान किया जाएगा:
 - (क) ऐसे व्यक्ति जो स्वयं द्वारा उत्पादित बिजली की आपूर्ति करते हैं और/ या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा उन्हें आपूर्ति की जाती है, किसी कार्यक्रम या समारोह के प्रयोजनों के लिए, जो दो (2) महीने से अधिक न हो, और जब बिजली उनके स्वामित्व वाली प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाती है:
 - (ख) ऐसे व्यक्ति जो अपने कर्मचारियों के उपयोग और व्यवसाय के लिए ऐसी कॉलोनियों को बनाए रखने और/ या कर्मचारियों के लिए सुविधाओं और सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्तियों के उपयोग और व्यवसाय हेतु आवासीय कॉलोनियों में बिजली की आपूर्ति करते हैं, जहां ऐसा व्यक्ति किसी लाइसेंसधारी या आयोग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्रोत से बिजली खरीदता है और आवासीय कॉलोनियों के भीतर बिजली को बिना किसी लाभ के उद्देश्य के आधार पर वितरित करता है;
 - (ग) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें आयोग द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाए जो आयोग द्वारा निर्देशित निबंधन एवं शर्तों के अधीन होंगे।

20.2 खण्ड (20.1) के तहत ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंसधारी:

- (क) अपने संचालन और ट्रांसिमशन के क्षेत्र के बाहर बिजली या ट्रांसिमशन/ वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार नहीं करेगा और इसे संबंधित अनुमोदित प्रयोजन के लिए सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा;
- (ख) इलेक्ट्रिक लाइन स्थापित करेगा या केवल संचालन क्षेत्र के भीतर काम करेगा;
- (ग) यदि आवश्यक हो, तो आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा, समय-समय पर निर्देशित करेगा;
- (घ) अधिनियम के प्रावधानों, आयोग के विनियमों, तकनीकी कोड जैसे ग्रिड संहिता, विद्युत आपूर्ति संहिता, वितरण संहिता, प्रदर्शन मानकों और समग्र निष्पादन मानकों या आयोग द्वारा जारी अन्य कोई दिशा- निर्देशों का अनुपालन करेगा;
- (इ.) संचालन की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सभी लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा;

- (च) लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली की आपूर्ति के आस-पास के क्षेत्र में प्रचलित शुल्कों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले शुल्क के संबंध में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किन्हीं दिशा-निर्देशों का पालन करेगा:
- 20.3 आयोग को, जैसा उचित समझे, समय-समय पर उचित दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार होगा, और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस की शर्तों के किसी भी उल्लंघन के लिए या इसका अनुपालन न करने पर इस विनियम के तहत किसी लाइसेंसधारी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है।
- 20.4 आयोग, किसी भी स्तर पर, यदि यह आवश्यक समझता है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को उपर्युक्त विनियम 3 के अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए निर्देशित कर सकता है और तदनुसार अनुमोदन दे सकता है या इंकार कर सकता है और इस विनियम के तहत बिजली के ट्रांसमिशन/ वितरण को बंद करने के लिए लाइसेंसधारी को संचालन क्षेत्र या उसके किसी भाग में अंतरिम या अंतिम आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है।
- 20.5 यदि कोई अंतर या विवाद उत्पन्न होता है कि क्या व्यक्ति इन विनियमों के तहत लाइसेंसधारी के रूप में ट्रांसमिशन/ वितरण करने का पात्र है. तो आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

21. एसईजेड के लिए मानित वितरण लाइसेंसधारी स्थिति

21.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14(ख) के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र को मानित वितरण लाइसेंसधारी के रूप में मान्यता प्राप्त है। 3 मार्च, 2010 की अधिसूचना सां.आ. सं. 528(ड.) द्वारा अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किए गए थे:

"बशर्ते कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता को ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी इस खंड के प्रयोजन के लिए एक लाइसेंसधारी माना जाएगा।

- 21.2 विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकासकर्ता समय-समय पर यथा संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन विनियम), 2009 के अनुसार आयोग के समक्ष निम्नलिखित के लिए आवेदन शुल्क सहित एक आवेदन करेंगे:
 - (क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के संदर्भ में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14, एसईजेड अधिनियम की धारा 49 के तहत मानित वितरण की स्थिति को रिकॉर्ड में लेने के लिए।
 - (ख) अधिनियम की धारा 16 और 181 के अनुसार याचिकाकर्ता पर लागू वितरण लाइसेंस की विशिष्ट शर्तें जारी करना।
 - (ग) याचिकाकर्ता को अपने लाइसेंस क्षेत्र में अंतरिम रूप में संबंधित लाइसेंस क्षेत्र में उपभोक्ताओं से टैरिफ लेने की अनुमित देना जो समय-समय पर संशोधित अनुसार आपूर्ति के उनके क्षेत्र में 'अधिकतम सीमा टैरिफ' के रूप में आपूर्ति से जुड़े क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संबंधित श्रेणी पर लागू हो और उचित टैरिफ अनुसूची को मंजूरी देना।
 - (घ) याचिकाकर्ता को उसके लाइसेंस क्षेत्र में उपभोक्ताओं से समय-समय पर संशोधित समान अनुसूची प्रभार लेने की अनुमति देना जो आपूर्ति के मौजूदा क्षेत्र में लागू हो।

21.3 आवेदक आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:

(क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में आवेदक को दिया गया स्वीकृति-पत्र;

- (ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), भारत सरकार द्वारा आवेदक को विशेष आर्थिक क्षेत्र का अधिसूचित क्षेत्र;
- (ग) मानित वितरण लाइसेंसधारी का उपभोक्ता आधार;
- (घ) तारीख जिससे मानित लाइसेंस मांगा गया है और जिस अवधि के लिए मानित लाइसेंस मांगा गया है;
- (ड.) आवेदक के संचालन की विशेषता पर विचार करते हुए कोई अन्य अतिरिक्त सूचना।

22. ट्रांसमिशन/ वितरण लाइसेंस की शुरुआत और अवधि की तारीख

- 22.1 ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस ऐसी तारीख से शुरू होगा, जैसा आयोग लाइसेंस शुरू करने की तारीख के रूप में निर्देशित कर सकता है और;
- 22.2 ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस इसके प्रारंभ होने की तारीख से पच्चीस (25) वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, जब तक कि आयोग द्वारा इसे विधिवत निलंबित या समय पूर्व रद्द नहीं कर दिया जाता है।

23. नक्शे और प्रपत्र जमा करना

- 23.1 जब कोई लाइसेंस प्रदान किया गया है, तो नीचे दिए गए खंड (23.2) में निर्दिष्ट विवरणों वाले नक्शे और प्रपत्र के तीन (3) सेट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और आयोग द्वारा नामित सचिव या कोई अन्य अधिकारी द्वारा लाइसेंस प्रदान करने की अधिसूचना की तारीख के अनुरूप तारीख लिखी जाएगी। ऐसे नक्शे के एक सेट को उक्त अधिकारी द्वारा मा नक्शों के रूप में रखा जाएगा और अन्य दो (2) सेट लाइसेंसधारी को दिए जाएंगे:
- 23.2 उपर्युकत खंड (23.1) के तहत प्रपत्र में दिए जाने वाले विवरण निम्नानुसार होंगे:
 - (क) आवेदक के पते और विवरण के साथ प्रस्तावित उपयोगिता का लघु शीर्षक विवरण, और यदि आवेदक कोई कंपनी है, तो कंपनी के सभी निदेशकों के नाम:
 - (ख) प्रदान किए जाने वाले लाइसेंस का प्रकार;
 - (ग) प्रचालन के प्रस्तावित क्षेत्र का स्थान;
 - (घ) संचालन के प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण और;
 - (ड.) सामान्य शर्तें, विचलन तत्संबंधी और विशिष्ट शर्तें, यदि कोई हों, जिसे आयोग ने सामान्य शर्तों से दिए गए किसी भी विचलन के औचित्य के लिए लाइसेंस में निर्धारित किया है;
- 23.3 लाइसेंसधारी, जब भी आयोग द्वारा आवश्यक हो, नक्शे की अतिरिक्त प्रतिलिपि और इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी नक्शे और प्रपत्र प्रस्तुत करेगा।

24. लाइसेंस की मुद्रित प्रतियों को जमा करना

- 24.1 प्रत्येक व्यक्ति, जिसे लाइसेंस दिया जाता है, इसके प्रदान किए जाने के तीस (30) दिनों के भीतर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा:
 - (क) मुद्रित लाइसेंस की प्रतियां पर्याप्त संख्या में रखेगा;
 - (ख) पर्याप्त संख्या में नक्शे तैयार करवाएगा जिसमें लाइसेंस में निर्दिष्ट अनुसार कार्यकलाप क्षेत्र या आपूर्ति क्षेत्र को दर्शाया जाएगा;

- (ग) अपने मुख्यालय, अपने स्थानीय कार्यालय, (यदि कोई हो) और गतिविधि क्षेत्र या आपूर्ति क्षेत्र, जैसा मामला हो, ेके भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय में सभी उचित समय पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए ऐसे लाइसेंस और नक्शे की एक प्रति प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा।
- 24.2 ऐसा प्रत्येक लाइसेंसधारी, उपर्युक्त तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को कार्यकलाप क्षेत्र या आपूर्ति क्षेत्र के भीतर लाइसेंस और संबंधित मानचित्रों की एक (1) प्रतिलिपि की आपूर्ति नि:शुल्क करेगा, और इसके लिए आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को लाइसेंस की मुद्रित प्रतियों की बिक्री के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए, और इसके लिए सामान्य फोटोकॉपी शुल्क से अधिक कीमत नहीं ली जानी चाहिए।

25. ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस में संशोधन

- 25.1 आयोग ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस में संशोधन के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए या ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस के आवेदन पर या किसी व्यक्ति से शिकायत या सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही शुरू कर सकता है।
- 25.2 लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस में संशोधन के लिए तैयार किया गया आवेदन, इस विनियम के परिशिष्ट-3 में निर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार होगा और इसके साथ आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क संलग्न किया जाएगा।
- 25.3 जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, लाइसेंस में संशोधन के लिए देय शुल्क, समय-समय पर संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन विनियम), 2009 के अनुसार होगा।
- 25.4 ऐसे आवेदन के साथ प्रस्तावित संशोधन का एक विवरण संलग्न होगा और इसके साथ समय-समय पर संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन विनियम), 2009 के अध्याय।। में उपलब्ध अनुसार एक शपथपत्र संलग्न किया जाएगा।
- 25.5 आवेदक संशोधन के लिए आवेदन के जमा होने की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर, निम्नलिखित विवरण देते हुए एक नोटिस दो (2) दैनिक समाचार-पत्रों, एक अंग्रेजी भाषा में और एक स्थानीय भाषा में प्रकाशित करेगा, जिसका संशोधन किए जाने वाले ट्रांसमिशन/ वितरण लाइसेंस के प्रचालन क्षेत्र में व्यापक परिचालन हो:
 - (क) मौजूदा ट्रांसमिशन/ वितरण लाइसेंस का संक्षिप्त विवरण;
 - (ख) मौजूदा ट्रांसमिशन/ वितरण लाइसेंस में संशोधन और संशोधन कराने का संक्षिप्त कारण;
 - (ग) प्रदान किए गए लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारी के कार्यों के निर्वहन पर प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव;
 - (घ) कार्यों के ऐसे निर्वहन के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक व्यवस्था;
 - (ड.) प्रस्तावित ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस के क्षेत्र के प्रमुख शहरों या कस्बों में आवेदक द्वारा नामांकित व्यक्ति (व्यक्ति) के नाम, पते और अन्य आवश्यक विवरण, जो निरीक्षण आवेदन और अन्य दस्तावेजों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से या उचित शुल्क देकर डाक द्वारा खरीद सकते हैं, जिसका प्रभार फोटोकॉपी शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए;
 - (च) यह विवरण कि कोई भी व्यक्ति, जो प्रस्तावित संशोधन में कोई सुझाव देने या आपत्ति करने दर्ज करने का इच्छुक है, वह नोटिस के पहले प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर आयोग के सचिव को लिखित में याचिका दे सकता है।
- 25.6 जहां आयोग द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए ट्रांसमिशन/ वितरण लाइसेंस में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है, आयोग जहां वह ट्रांसमिशन/ वितरण लाइसेंस में संशोधन करना चाहता है, दो (2) दैनिक समाचार-पत्रों, जिनका

प्रचालन क्षेत्र में व्यापक परिचालन हो, में एक अंग्रेजी में और एक स्थानीय भाषा में एक नोटिस प्रकाशित करेगा तथा इसे निम्नलिखित विवरण के साथ अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेगा:

- ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंसधारी का नाम और आपूर्ति के क्षेत्र में मुख्य कार्यालय का पता; (क)
- आयोग द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन का विवरण; (ख)
- प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन का संक्षिप्त कारण: (ग)
- यह विवरण कि कोई भी व्यक्ति, जो प्रस्तावित संशोधन में कोई सुझाव देने या आपत्ति करने का इच्छक है, (ঘ) वह नोटिस के पहले प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर सचिव को लिखित याचिका दायर करके ऐसा कर सकता है।
- 25.7 प्रकाशन में उन कार्यालयों के पते दिए जाएंगे, जहां संशोधन के लिए आवेदन का निरीक्षण किया जा सकता है और दस्तावेजों की प्रतियां खरीदी जा सकती हैं तथा यह उल्लेख किया जाएगा कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, उपयोगिता या व्यक्ति, आयोग के आवेदन के संदर्भ में कोई अभ्यावेदन देने का इच्छक है, तो वह इस संबंध में आयोग द्वारा नामित अधिकारी को पत्र लिखकर ऐसा कर सकता है।
- 25.8 प्रस्तावित संशोधन पर, नोटिस के पहले प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों पर आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन को लागू करने या अस्वीकार करने पर विचार किया जाएगा।
- 25.9 जब तक कि आयोग द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट न किया जाए, लाइसेंस देने के लिए इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया, जहां तक इसे लागू किया जा सकता है, का लाइसेंस के संशोधन संबंधी आवेदन पर कार्रवाई करते हुए पालन किया जाएगा।
- 25.10 यदि किसी आवेदन में आपूर्ति के क्षेत्र के संबंध में परिवर्तन या संशोधन का प्रस्ताव पूरे या किसी छावनी, हवाई अड्डा, वन, गोदी या शिविर या सरकार के कब्जे में किसी इमारत या स्थान के किसी भी हिस्से को शामिल करने के मामले में रक्षा उद्देश्य से संबंधित है, तो आयोग केंद्र सरकार की सहमति के बिना कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा।

26. आपूर्ति की आदर्श शर्तें

26.1 लाइसेंसधारी समय-समय पर संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (कार्य संचालन विनियम), 2009 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के खण्ड 53 के अनुसार आपूर्ति की आदर्श स्थिति का पालन करेगा।

27. ट्रांसमिशन/ वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उल्लंघन

- 27.1 आयोग लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तों और लागू कानून के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए नियम या कानून का उल्लंघन या संभावित उल्लंघन करने पर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित कर सकता है।
- 27.2 आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अधीन लाइसेंसधारी द्वारा उल्लंघन या संभावित उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही से निपटने के लिए इन विनियमों में निर्देशित सामान्य प्रक्रिया का यथासंभव पालन कर सकता है।

28. लाइसेंस से छूट प्रदान करना

28.1 लाइसेंस से छूट इस तरह से दी जाएगी जो लागू कानून और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है।

29. ट्रांसमिशन/ वितरण लाइसेंस का निरसन

- 29.1 लाइसेंस रद्द करने या अधिनियम की धारा 19 में उल्लिखित किसी भी अन्य आदेश को पारित करने के लिए कार्यवाही आयोग द्वारा पारित आदेश द्वारा शुरू की जाएगी, जिसे आयोग स्वत: संज्ञान लेते हुए या लाइसेंसधारी के आवेदन पर या किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत या सूचना प्राप्त करने पर शुरू कर सकता है।
- 29.2 प्रक्रिया और निरसन का तरीका अधिनियम की धारा 19 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधानों के अनुरूप होगा।
- 29.3 अधिनियम के प्रावधानों और उसमें निहित प्रक्रिया के अधीन, लाइसेंस के निरसन पर आयोग द्वारा जांच, जहां तक यह लागू है, उसी तरह से की जाएगी जैसा कि उपर्युक्त विनियम 16 में निर्धारित किया गया है। े
- 29.4 कोई लाइसेंसधारी जो स्वयं आवेदन करना चाहता है या अपने लाइसेंस के निरसन या उसके किसी भाग को निरस्त करने की सहमित देता है, वह आयोग को आवेदन कर सकता है। आयोग लाइसेंसधारी और ऐसे अन्य व्यक्तियों की सुनवाई के बाद, जैसा वह उचित समझता है, ऐसे आवेदन पर आदेश पारित करेगा।
- 29.5 लाइसेंसधारी या किसी व्यक्ति द्वारा लाइसेंस के निरसन संबंधी दिए गए आवेदन के साथ आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार शुल्क लगाया जाएगा।
- 29.6 जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस के निरसन के लिए देय शुल्क, समय-समय पर संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन विनियम), 2009 के अनुसार होगा।

30. वितरण लाइसेंस का निलंबन और उपयोगिता की बिक्री

30.1 यदि किसी भी समय, आयोग की यह राय है कि यह सार्वजिनक हित में आवश्यक है, तो आयोग कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए, अधिनियम की धारा 24 में दी गई परिस्थितियों, पद्धित और प्रपत्र में वितरण लाइसेंसधारी के लाइसेंस को निलंबित कर सकता है।

31. लाइसेंसधारियों की क्रय शक्ति के विनियम

- 31.1 लाइसेंसधारी पहले से किए गए सभी विद्युत क्रय समझौते के प्रपत्र की की पूर्ण प्रतियां आयोग को प्रस्तुत करेगा।
- 31.2 आयोग को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि लाइसेंसधारी आयोग को यह विश्वास दिलाएगा कि लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की खरीद एक पारदर्शी बिजली क्रय प्रक्रिया के तहत है और किफायती है तथा लाइसेंसधारी को अपने सेवा के दायित्व को पूरा करने के लिए बिजली की आवश्यकता है।
- 31.3 लाइसेंसधारी आयोग को बिजली क्रय समझौते के प्रारूप को अनुमोदित करने के लिए आवेदन करेगा जिस पर लाइसेंसधारी द्वारा करार किए जाने का प्रस्ताव है। आयोग निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है:
 - i. समझौते को मंजूरी देना; या
 - समझौते की शर्तों को प्रस्तावित संशोधनों के साथ मंजूरी देना;
 - iii. समझौते को अस्वीकार करना।
- 31.4 इसमें किसी बात के होते हुए, कुछ भी मौजूदा अनुबंधों के तहत वितरण लाइसेंसधारी के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा और इसमें उत्पादन कंपनियों, बिजली व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों से बिजली की खरीद, आयात या अधिग्रहण की व्यवस्था, जिनके साथ लाइसेंसधारी ने समझौते या बिजली खरीद की व्यवस्था की है या ऐसे समझौतों की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऊर्जा की खरीद और आयोग द्वारा सहमत या अनुमोदित व्यवस्था शामिल है।

31.5 उपर्युक्त उप-विनियम (ii) और (iii) के प्रावधानों या उसमें की गई कोई भी कार्रवाई किसी भी तरीके से समय-समय पर जारी लागू कानून, विनियम और आदेशों के किसी भी अन्य प्रावधानों के तहत आयोग के कार्यों और शक्तियों के प्रतिकूल नहीं होगी।

32. निष्पादन के मानक

32.1 आयोग ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंसधारियों और व्यक्तियों, जिनके प्रभावित होने की संभावना है, से परामर्श के बाद, किसी लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के किसी वर्ग के निष्पादन मानकों को निर्दिष्ट करता है, जो उसकी राय में प्राप्य हैं और ऐसे लाइसेंसधारियों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए, और विभिन्न लाइसेंसधारियों के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किए जा सकते हैं। आयोग ऐसे रूप में और इस तरह से निर्धारित मानकों को प्रकाशित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है।

33. लाइसेंस शुल्क का भुगतान

- 33.1 आयोग लाइसेंस या छूट देते समय के बिजली के ट्रांसिमशन या आपूर्ति के व्यवसाय को शुरू कर सकता है जिसमें बिजली की थोक आपूर्ति या किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार प्रदान करने वाले आदेश शामिल है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय शुल्क लगा सकता है और एकत्र कर सकता है तथा समय-समय पर लाइसेंस या विशेषाधिकार प्रदान करते समय यथा संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन विनियम), 2009 और उसके बाद, प्रत्येक वर्ष के बाद जब तक लाइसेंस लागू रहता है, लाइसेंसधारी इस नियम के अनुसार, समय-समय पर संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन विनियम), 2009 के अनुसार वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा।
- 33.2 इन विनियमों के तहत देय शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट या वेतन आदेश के माध्यम से किया जाएगा, जो सचिव, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, गुड़गांव, हरियाणा में देय होगा।
- 33.3 इन विनियमों के तहत आयोग के सचिव द्वारा प्राप्त शुल्क आयोग द्वारा बैंक के खाते में जमा किया जाएगा, या किसी संगत सरकारी खाता शीर्ष में रखा जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देश दिया जाए।

अध्याय 2

ट्रांसिमशन लाइसेंस की सामान्य शर्तें

34. ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की गतिविधियाँ

- 34.1 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारक अधिनियम की धारा 40 में निर्धारित अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और लाइसेंस में निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करेगा।
- 34.2 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी एक कुशल समन्वित ट्रांसिमशन प्रणाली का निर्माण, रखरखाव और संचालन करेगा।
- 34.3 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी आर्थिक रूप से ट्रांसिमशन प्रणाली का संचालन करेगा ताकि ट्रांसिमशन चार्ज को न्यूनतम रखा जा सके और जिससे टैरिफ में ट्रांसिमशन लागत का घटक भी न्यूनतम रखा जा सके।
- 34.4 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी ट्रांसिमशन प्रणाली को इस तरह से संचालित करेगा कि मापदंडों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के ग्रिड मानकों में हर समय बनाए रखा जाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रणाली उत्पादन के लिए हर समय उपलब्ध है और वह यह सुनिश्चित करेगा कि सिस्टम जेनरेटरों के लिए हर समय उपलब्ध हो ताकि बिजली को इंजेक्ट (सहमत मात्रा में) किया जा सके और वितरण लाइसेंसधारी बिजली (सहमत मात्रा में) ले सके।

- 34.5 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी क्षेत्रीय विद्युत सिमिति, क्षेत्रीय और राज्य लोड प्रेषण केंद्र, केंद्रीय ट्रांसिमशन उपयोगिता, राज्य ट्रांसिमशन उपयोगिता, उत्पादन कंपनियों और लाइसेंसधारियों के साथ समन्वय करेगा, ताकि निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- 34.6 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए किसी अन्य कंपनी के साथ कोई भी समझौता करने से पहले आयोग से पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करेगा।
- 34.7 वितरण लाइसेंसधारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (स्थापना और मीटर के प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसार समय-समय पर संशोधित मीटर स्थापित करेगा, और सिस्टम के प्रत्येक घटक द्वारा पारेषित ऊर्जा का अद्यतन रिकार्ड रखेगा तथा आयोग और अन्य एजेंसियों के लिए, जब कभी आवश्यक होगा, समान उत्पादन करेगा।
- 34.8 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी ट्रांसिमशन शुरू करने से पहले पर्याप्त संचार और सूचना प्रणाली सुविधाएं स्थापित करेगा।
- 34.9 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए लाइसेंस के उपयोग में विवेकपूर्ण और औचित्यपूर्ण ढंग से कार्य करेगा।
- 34.10 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी सभी परिस्थितियों में अपनी परिसंपत्तियों को बंधक रखते हुए अपनी परिसंपत्तियों पर परिचालन नियंत्रण को बनाए रखेगा।
- 34.11 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी ऋणों को लेने, या किसी भी व्यक्ति के किसी भी दायित्व के लिए कोई गारंटी जारी करने से पहले आयोग की मंजूरी लेगा, सिवाय इसके जब लाइसेंसधारी ऐसा व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए किया गया हो या जारी किया जाता है, तथापि कर्मचारियों को उनकी सेवा की शर्तों के लिए ऋण और आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिमों को व्यवसाय के सामान्य रूप में ऐसे अनुमोदन की आवश्यकता से बाहर रखा गया है।
- 34.12 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने ट्रांसमिशन व्यवसाय के संबंध में लाइसेंसधारी को कोई भी सामान या सेवाएं प्रदान कर सकता है:
 - (क) लेनदेन एक-दूसरे से स्वतंत्र आधार पर होगा;
 - (ख) लेन-देन को माल और सेवाओं के प्रावधान से संबंधित आयोग द्वारा तैयार किए गए किसी भी विनियम के अनुरूप बनाया जाएगा, और;
 - (ग) प्रस्तावित व्यवस्था शुरू करने से पहले ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी आयोग को पंद्रह (15) दिनों का नोटिस देगा।

35. निषिद्ध गतिविधियाँ

- 35.1 कोई लाइसेंसधारी, आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना निम्नलिखित कोई कार्य नहीं करेगा:
 - (क) खरीद या अधिग्रहण या अन्यथा, किसी भी अन्य लाइसेंसधारी की किसी भी उपयोगिता को प्राप्त करने के लिए कोई भी लेनदेन; या
 - (ख) किसी अन्य लाइसेंसधारी की उपयोगिता के साथ अपनी उपयोगिता का विलय करना।
- 35.2 कोई लाइसेंसधारी, आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना, बिक्री, पट्टे, विनिमय या अन्यथा के माध्यम से अपनी उपयोगिता या लाइसेंस या उसके भाग को नहीं सौंपेगा या हस्तांतरण नहीं करेगा।
- 35.3 उपर्युक्त खंड (3 5.1) (3 5.2) के तहत अनुमोदन प्राप्त करने से पहले, कोई लाइसेंसधारी अन्य किसी लाइसेंसधारी को एक (1) महीने से कम का नोटिस नहीं देगा, जो ऐसे लाइसेंसधारी के क्षेत्र में बिजली वितरित करता है, जिसने ऐसे अनुमोदन के लिए आयोग में आवेदन किया है।

- 35.4 उपर्युक्त खंड (35.1) से (35.3) के संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा किया गया कोई भी समझौता तब अमान्य हो जाएगा जब तक कि आयोग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाए।
- 35.5 जहां ऐसी अनुमित की आवश्यकता होती है, लाइसेंसधारी सभी प्रासंगिक सूचनाओं को विधिवत प्रस्तुत करते हुए आयोग को एक आवेदन देगा। आयोग ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के भीतर, निबंधन एवं शर्तों के अधीन जैसा वह आवश्यक समझे, अपेक्षित अनुमित प्रदान कर सकता है या आवेदन अस्वीकृत कर सकता है और ऐसे रद्द करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
- 35.6 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी बिजली के ट्रांसिमशन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रणाली की परिसंपित्तयों का उपयोग नहीं करेगा, सिवाय इसके कि विनियम 37 में दिए गए अनुसार आयोग की पूर्व स्वीकृति ली गई हो।

36. परिसंपत्तियों का हस्तांतरण

- 36.1 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी इस विनियम 36 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किए बिना, एकल लेन-देन या संबंधित लेनदेन के किसी सेट में, अपनी उपयोगिता या उसके किसी भी भाग को बिक्री, पट्टे, विनिमय या अन्यथा स्थानांतरित नहीं करेगा।
- 36.2 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी अपनी उपयोगिता को हस्तांतरित करने और सभी प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करने के आशयय से आयोग को पूर्व लिखित सूचना देगा। आयोग, नोटिस प्राप्त होने के तीस (30) दिनों के भीतर, लेन-देन के समर्थन में और अधिक जानकारी मांग सकता है और आम तौर पर ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत की जा रही ऐसी आगामी सूचना के तीस (30) दिनों के भीतर, और जहां उपर्युक्त अनुसार आयोग द्वारा आगे कोई सूचना नहीं मांगी गई है, आवेदन दाखिल करने के साठ (60) दिनों के भीतर, ऐसी निबंधन एवं शर्तों के अधीन हस्तांतरण के लिए अनुमित देगा या जैसा उपयुक्त समझा जाएगा या कोई तर्क के देकर इसे अस्वीकार कर सकता है।
- 36.3 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारक अपनी उपयोगिता हस्तांतरित कर सकता है, जैसा कि खंड (36.2) के तहत दिए गए किसी भी नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है यदि:
 - (क) आयोग लिखित रूप में यह पृष्टि करता है कि वह ऐसे हस्तांतरण के लिए सहमित देता है, जो ऐसी शर्तों के अधीन होगी जैसा आयोग लागू कर सकता है; या
 - (ख) आयोग, अपने निर्णय के लिए खंड (36.2) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर, ट्रांसिमशन लाइसेंस के नोटिस का कोई उत्तर नहीं देता है कि वह ट्रांसिमशन लाइसेंसिधारी के आवेदन पर कार्रवाई करने का इच्छुक है।
- 36.4 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारक अपनी उपयोगिता को हस्तांतरित कर सकता है:
 - (क) आयोग ने इस विनियम 36 के उद्देश्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें किसी निर्दिष्ट विवरण के लेनदेन, और/ या निर्दिष्ट विवरण के हस्तांतरण के लिए सामान्य सहमति (चाहे शर्त के अधीन हो अथवा नहीं) शामिल हो, और हस्तांतरण किन्हीं शर्तों के अनुसार हो जिसके अधीन सहमति है; या
 - (ख) संबंधित स्थानांतरण किसी कानून के आदेश के तहत या उसके द्वारा आवश्यक है; या
 - (ग) ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी द्वारा संबंधित परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया गया था और इसका उपयोग किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में विशेष रूप से या मुख्य रूप से किया गया था कि यह विनियम 22 का अनुपालन करने के लिए अधिकृत है और इसमें भूमि में कानूनी या लाभकारी हित शामिल नहीं है या अन्यथा यह ट्रांसिमशन प्रणाली का हिस्सा है या अन्यथा लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय के लिए आवश्यक परिसंपत्ति नहीं है।

- (घ) ऊपर उल्लिखित किसी बात के बावजूद, ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण और क्रेडिट सुविधाओं सिहत व्यापार के साधारण रूप में लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय के निधियन या वित्तपोषित करने के उपाय के रूप में परिसंपत्तियों के उपयोग का निम्नलिखित शर्तों के अधीन पात्र होगा:
 - i. ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी आयोग को संबंधित समझौतों की प्रभावी तारीख से कम से कम पंद्रह (15)
 दिन पहले ऐसी व्यवस्था के बारे में सुचित करेगा;
 - ii. ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी परिसंपत्तियों के ऐसे उपयोग में विवेकपूर्ण और उचित तरीके से कार्य करता है: तथा
 - iii. ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी ट्रांसिमशन प्रणाली में संपत्ति पर परिचालन नियंत्रण को बनाए रखता है।

37. अन्य व्यवसाय

- 37.1 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसिमशन लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसाय का उपचार) विनियम, 2009 के अनुसार आयोग के अनुमोदन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- 37.2 जहां ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यवसाय में लगा हुआ है, वहां ऐसे व्यवसाय से आय की गणना समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसिमशन लाइसेंस और वितरण लाइसेंस के अन्य व्यवसाय का उपचार) विनियम, 2009 के अनुसार की जाएगी और इसकी लाइसेंसधारी की सकल राजस्व आवश्यकता से कटौती की जाएगी:

बशर्ते कि लाइसेंसधारी ट्रांसिमशन व्यवसाय और अन्य व्यवसाय के बीच सभी संयुक्त और आम लागतों के आवंटन के लिए उचित आधार का पालन करेगा तथा समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसिमशन लाइसेंस और वितरण लाइसेंस के अन्य व्यवसाय का उपचार) विनियम, 2009 के अनुसार लेखांकन विवरण तैयार करेगा, और उसे टैरिफ के निर्धारण के लिए अपने आवेदन के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा;

बशर्ते आगे कि ऐसे अन्य व्यवसाय की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का कुल योग ऐसे अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व से अधिक हो, तथा ऐसे किसी अन्य व्यवसाय के खाते में लाइसेंसधारी की सकल राजस्व आवश्यकता में कोई राशि जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

38. लेखा और लेखा-परीक्षा

38.1 प्रत्येक ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी अपनी उपयोगिता के लेखों को प्रत्येक वर्ष मार्च की इक्तीस (31) दिन तक बनाएगा।

38.2 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी:

- (क) ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय और किसी अन्य व्यवसाय के लिए लेखों की अलग-अलग सूचना और लेखा विवरण बनाए रखा जाएगा:
 - बशर्ते, इसके अलावा, लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय और कंपनी के समग्र खातों के लिए अलग-अलग खाते प्रस्तुत करेगा।
- (ख) लेखाओं के विवरण को ऐसे रूप और विवरण में रखना जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और तब तक समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956, कंपनी अधिनियम 2013, जहां ऐसे अधिनियम लागू होते हैं, के अनुसार लेखाओं को रखा जाएगा;

- (ग) ऐसे रिकॉर्डों से संगत आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखांकन विवरण तैयार करना जिसमें लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र और स्रोत विवरण तथा निधियों के प्रयोग तथा इन पर टिप्पणियां और किसी भी राजस्व, लागत, परिसंपत्ति, देयता, रिजर्व, या प्रावधान की मात्रा को अलग-अलग दिखाना शामिल है जिसे निम्नलिखित से प्रभारित किया गया हो:
 - उस प्रभार के आधार के विवरण सिहत किसी अन्य व्यवसाय से या को प्रभारित करना या:
 - ii. विभाजन या आवंटन के आधार पर विवरण सहित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के बीच विभाजन या आवंटन द्वारा निर्धारित:
- (घ) पूर्ववर्ती खंडों के अनुसार तैयार किए गए लेखा विवरणों के संबंध में, प्रत्येक वर्ष के संबंध में लेखा परीक्षकों द्वारा एक रिपोर्ट प्रदान करना, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि क्या उनकी राय में विवरण उचित प्रकार से तैयार किए गए हैं तथा ये राजस्व, लागत, परिसंपत्तियां और देनदारियां, व्यवसाय के लिए यथोचित रूप से जिम्मेदार रिजर्व जिससे विवरण संबंधित हैं, का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं; तथा
- (ड.) ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उपर्युक्त तारीख से छह (6) महीने की अविध के भीतर, या आयोग द्वारा इस बात से संतुष्ट होने पर कि दिया गया समय लाइसेंसधारी के नियंत्रण से परे स्थितियां होने के कारण अपर्याप्त है, अविध को बढ़ाने के लिए अधिकृत कर सकता है, अपने लेखा-परीक्षित लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करके प्रस्तुत करेगा और विवरण की प्रतियां की संख्या आयोग द्वारा निर्देशित अनुसार प्रदान की जाएंगी;
- (च) लेखा आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देशित अनुसार प्रपत्रों में बनाए जाएंगे। सभी प्रपत्रों पर ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या उनके मान्यता-प्राप्त और विधिवत अधिकृत एजेंट या प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे;
- (छ) आयोग उपर्युक्त खंड 38.2(च) में निर्देशित प्रपत्रों में वार्षिक लेखा विवरणों को प्रस्तुत करने के अलावा, विशेष या सामान्य आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी आयोग या ऐसे अन्य प्राधिकरण को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अतिरिक्त सूचना, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करेगा;
- 38.3 आयोग द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी के लेखाओं का निरीक्षण और सत्यापन करने के लिए पात्र होगा और ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी ऐसे व्यक्ति को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा:
 - बशर्ते, आगे यह कि यदि आयोग उचित समझे, तो वह किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी के लेखाओं की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा प्राप्त कर सकता है, जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) शामिल है।
- 38.4 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी किसी वित्तीय वर्ष के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष के संबंध में लागू किए गए वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखांकन विवरणों को तैयार करते समय आयोग से पूर्व अनुमित लिए बिना प्रभार या विभाजन या राजस्व के आवंटन या व्यय को नहीं बदलेगा:
 - बशर्ते कि वित्तीय वर्ष के दौरान कोई ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी अपने लेखांकन विवरणों में प्रभार या विभाजन या आवंटन का आधार बदलता है, जो तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए अपनाया जाता है, तो आयोग लेखांकन विवरण

- जिस आधार पर इसे अपनाया गया था, को तैयार करने के अलावा, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को पिछले आधार पर ऐसे लेखांकन विवरण तैयार करने का निर्देश दे सकता है।
- 38.5 यदि ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी अपनी परिसंपत्ति के इष्टतम उपयोग के लिए कोई अन्य व्यवसाय कर रहा है, तो यह ऐसे लेखांकन रिकॉर्डों को सुसंगत आधार पर तैयार करेगा तथा समय-समय पर संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसिमशन लाइसेंस और वितरण लाइसेंस के अन्य व्यवसाय का उपचार) विनियम, 2009 के अनुसार आयोग को सौंपेगा।
- 38.6 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखांकन विवरण और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में यहां ऊपर उल्लिखित लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का इस तरह से प्रचार किया जाए जैसा कि आयोग द्वारा निर्देश दिया जाएगा, और उन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुरोध करने पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका मूल्य इसकी नकल बनाने की उचित लागत से अधिक नहीं होगा, या आयोग द्वारा निर्दिष्ट ऐसे किसी मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा।

39. व्यवसाय योजना

39.1 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी आयोग को समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, ट्रांसिमशन और वितरण बहु वर्ष प्रशुल्क) विनियम, 2018 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित पूरी नियंत्रण अविध के लिए एक व्यावसायिक योजना आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

40. निवेश

- 40.1 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में एक कुशल, समन्वित और किफायती ट्रांसिमशन प्रणाली के निर्माण, रखरखाव और संचालन के कर्तव्य द्वारा निर्देशित होने के कारण विवेकपूर्ण तरीके से निवेश करेगा।
- 40.2 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रांसिमशन प्रणाली का संवर्द्धन किया जाए, ताकि आवश्यकता के अनुसार ओवरलोड भागों को बढ़ाया जा सके।
- 40.3 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी आयोग को समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, ट्रांसिमशन और वितरण बहु वर्ष प्रशुल्क) विनियम, 2018, दिशानिर्देशों, निर्देशों और आदेशों का अनुपालन करेगा जिन्हें आयोग ट्रांसिमशन व्यवसाय में किए जाने वाले निवेश के संबंध में समय-समय पर जारी करेगा।

41, सामग्री/ उपकरण/ सेवाओं की खरीद

41.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी सभी सामग्रियों/ उपकरणों की खरीद करेगा या केवल पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी अनुबंध को निष्पादित करेगा।

42. प्रमुख घटनाएं

42.1 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी आयोग को ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी के क्षेत्र में होने वाली किसी भी बड़ी घटना के बारे में सूचित करेगा। मानक परिचालन स्थिति से ट्रांसिमशन प्रणाली के किसी भी भाग से विचलन, जो सीमा पार प्रभाव, जनरेटर प्रणाली, वितरण प्रणाली या अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपभोक्ताओं की प्रणाली से उत्पन्न हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप उपकरण हानि या किसी व्यक्ति या पशु की जीवन हानि हुई है तो इसे एक बड़ी घटना माना जाएगा। ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी निम्नलिखित भी प्रस्तुत करेगा:

- (क) घटनाओं, उसके कारणों और कुल बिजली प्रणाली पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव देने वाले तथ्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा (कुल बिजली प्रणाली में ट्रांसमिशन प्रणाली, उत्पादन यूनिट, वितरण प्रणाली और ईएचटी उपभोक्ताओं की प्रणाली शामिल है);
- (ख) बड़ी घटना पर लाइसेंसधारी के विश्लेषण और ऐसी बड़ी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के सुझावों सहित एक नोट प्रस्तुत करेगा;
- (ग) ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी यथाशीघ्र संभव तारीख तक कार्रवाई करेगा जो किसी घटना के घटने की तारीख से दो (2) महीने बाद नहीं होगा:
 - आयोग को एक रिपोर्ट सौंपेगा जिसमें उस घटना और उसके कारण के बारे में लाइसेंसधारी की जानकारी के अनुसार तथ्यों की पूरी जानकारी दी जाएगी;
 - ii. यदि उप-खंड (क) के तहत बड़े हादसे की रिपोर्ट की तारीख से पंद्रह (15) दिनों से अधिक समय लगने की संभावना है, तो ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी घटना की ऐसी तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर ऐसे प्रारंभिक रिपोर्ट के रूप में ऐसा विवरण प्रस्तुत करेगा जो ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी यथोचित रूप से प्रस्तुत कर सकता है और यह कारण बताएगा कि ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को ऐसी घटना की पूरी रिपोर्ट देने के लिए पंद्रह (15) दिनों से अधिक की आवश्यकता किसलिए थी;
 - iii. रिपोर्ट की प्रतियों और टिप्पणी को राज्य लोड डिस्पैच सेंटर, राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता, राज्य सरकार, और मुख्य विद्युत निरीक्षणालय आदि को भेजा जाएगा।
- 42.2 आयोग किसी स्वतंत्र व्यक्ति को किसी बड़ी घटना के मामले में जाँच करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।
- 42.3 आयोग रिपोर्ट और सभी स्रोतों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर सकता है और यह तय करेगा कि क्या कोई बड़ी घटना अप्रत्याशित स्थिति की घटना है या यह ट्रांसमिशन लाइसेंस की शर्तों या ग्रिड कोड या अधिनियम के तहत नियमों और विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण हुई है अथवा नहीं।
- 42.4 आयोग निम्नलिखित पर निर्णय ले सकता है:
 - (ग) ऐसी बड़ी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कुल बिजली प्रणाली (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी सहित) के भागों के एक या एक से अधिक ऑपरेटरों (या मालिकों) द्वारा किए किए वाले उपचारात्मक उपाय;
 - (ख) एक या एक से अधिक व्यक्तियों पर चूक के लिए दंड लगाया जाना चाहिए जिसके कारण बड़ी घटना हुई थी;
 - (ग) एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना [संपूर्ण बिजली व्यवस्था के एक खंड के मालिक (या संचालक) द्वारा संपूर्ण बिजली व्यवस्था के दूसरे खंड के मालिक (या संचालक) को भुगतान किया जाना।]
- 42.5 आयोग बड़े हादसे पर अपने विचार और निर्णय राज्य भार प्रेषण केंद्र, मुख्य विद्युत निरीक्षक, राज्य प्रवेश पत्र आदि को भेज सकता है।

43. खुली पहुंच

43.1 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 42 के तहत आयोग द्वारा जारी ओपन एक्सेस विनियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी ट्रांसिमशन प्रणाली में बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के प्रावधान की व्यवस्था करेगा।

44. संभावित राजस्व और शुल्क दायर करना

- 44.1 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी शुल्क से अपेक्षित राजस्व का विवरण दर्ज करते समय और इसके किसी भी या सभी टैरिफ को प्रस्तावित या संशोधित करने के लिए टैरिफ विनियमों में शामिल कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं और अन्य निर्देशों का पालन करेगा।
- 44.2 लाइसेंसधारी को किसी भी वित्तीय वर्ष में जिस राशि को इसके टैरिफ से वसूलने की अनुमित दी गई है यह वह राशि है जिसे आयोग वित्तीय सिद्धांतों और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 में प्रदान किए गए उनके आवेदन के अनुसार निर्धारित करता है, और ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी को उचित प्रतिलाभ कमाने का उचित अवसर प्रदान करेगा।
- 44.3 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार लाइसेंसधारी के ट्रांसिमशन व्यापार के लिए टैरिफ निर्धारित करेगा, और अपने प्रभार इस लाइसेंस, विनियमों, आयोग के आदेशों और आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य आवश्यकताओं के अनुसार अपने प्रभारों की गणना करेगा।
- 44.4 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी बिजली के अपने ट्रांसिमशन के लिए टैरिफ का प्रकाशन करेगा जिसमें टैरिफ प्रभारों तथा उपर्युक्त खंड (44.3) में निर्दिष्ट या आयोग द्वारा निर्देशित अनुसार अनुमोदित टैरिफ में निहित अन्य निबंधन एवं शर्तों को दर्शाया जाएगा।
- 44.5 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी आयोग के अधिनियम और लागू विनियमों और निर्देशों के अनुसार अपने टैरिफ में संशोधन करने के लिए आयोग को आवेदन करेगा।
- 44.6 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी आयोग को अपने टैरिफ में संशोधन करने के लिए आयोग को आवेदन करेगा, यदि आयोग को इसकी उसके द्वारा चिन्हित किसी भी अनुचित भेदभाव को हटाने के लिए आवश्यकता है।

45. आयोग और अन्य हितधारकों को सूचना का प्रावधान

- 45.1 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारक लाइसेंस की इन शर्तों के लागू होने से साठ (60) दिनों के भीतर संलग्न प्रारूपों में लाइसेंसधारी के लिए लागू सभी जानकारी प्रदान करेगा। इसके बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूरा होने के एक महीने के भीतर, लाइसेंसधारियों द्वारा सभी प्रारूप वार्षिक आधार पर भरकर जमा किए जाएंगे।
- 45.2 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी बिना किसी अनुचित देरी के आयोग को लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय या लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय की परिसंपत्तियों के अनुकूलतम उपयोग में संलग्न लाइसेंसधारी के अन्य किसी लाइसेंस व्यवसाय से संबंधित ऐसी सूचना, दस्तावेज़ और संबंधित विवरण प्रस्तुत करेगा, जैसा कि आयोग को समय-समय पर अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए या भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय आयोग और/ या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य ट्रांसिमशन उपयोगिता और राज्य लोड डिस्पैच सेंटर के उद्देश्यों के लिए आवश्यकता हो सकती है।
- 45.3 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी अपने ट्रांसिमशन व्यवसाय में और ट्रांसिमशन व्यवसाय से संबंधित अन्य मामले में समय-समय पर किए जाने वाले सुधारों के लिए आयोग के निर्देशानुसार अध्ययन भी शुरू कराएगा।
- 45.4 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी ऐसी किसी घटना के बारे में आयोग को विधिवत सूचना देगा जो उसे अपने लाइसेंस के तहत उसकी बाध्यताओं को पूरा करने में बाधा डाल रही है जिसमें आयोग या अन्य द्वारा कमीशन का कोई कार्य भी शामिल है और ऐसी घटना के प्रभाव को कम करने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।
- 45.5 आयोग किसी भी समय लाइसेंसधारी को घटनाओं के संबंध में खंड 45.3 के प्रावधानों का पालन करने के लिए कह सकता है जिनके बारे में आयोग विशेष रूप से निर्देश दे सकता है और लाइसेंसधारी इसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

45.6 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार निश्चित समय-सीमा के भीतर हितधारकों/ उपभोक्ताओं/ उपभोक्ता संघों/उपभोक्ता निकायों, आदि द्वारा अपेक्षित अनुसार उपलब्ध विवरण/ डेटा/ दस्तावेज सामग्री रूप में उपलब्ध कराएगा। यदि आयोग द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है, तो लाइसेंसधारी अनुरोध की तारीख से तीस (30) दिनों की अधिकतम अविध के भीतर इसे प्रदान करेगा।

अध्याय 3

ट्रांसमिशन लाइसेंस की तकनीकी शर्तें

- 46. ट्रांसिमशन योजना और सुरक्षा मानक, विद्युत आपूर्ति योजना और सुरक्षा मानक, ट्रांसिमशन ऑपरेटिंग मानक; और विद्युत आपूर्ति संचालन मानक
- 46.1 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी ट्रांसिमशन प्रणाली की योजना और संचालन करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ट्रांसिमशन प्रणाली ट्रांसिमशन की एक कुशल, समन्वित और किफायती प्रणाली प्रदान करने में सक्षम है।
- 46.2 विशेष रूप से, ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी:
 - (क) आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार ग्रिड कोड सिहत ट्रांसिमशन प्रणाली योजना और सुरक्षा मानकों के अनुसार अपनी ट्रांसिमशन प्रणाली की योजना बनाएगा और उसका विकास करेगा; तथा
 - (ख) आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार ग्रिड कोड सिहत ट्रांसिमशन प्रणाली प्रचालन मानकों के अनुरूप ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी की ट्रांसिमशन प्रणाली का संचालन करेगा।
- 46.3 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी बिजली आपूर्ति योजना और सुरक्षा मानकों तथा बिजली आपूर्ति संचालन मानकों का पालन करने के लिए, लाइसेंस जारी करने की तारीख से बारह (12) महीने के भीतर व्यवस्था करेगा।
- 46.4 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी लाइसेंस के प्रभावी होने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर आयोग को निम्नलिखित के लिए मौजूदा मानक प्रस्तुत करेगा:
 - (क) इसकी ट्रांसिमशन प्रणाली, योजना और सुरक्षा मानकों, परिचालन मानकों के लिए मानक;
 - (ख) इसकी विद्युत आपूर्ति प्रणाली, योजना और सुरक्षा मानकों, परिचालन मानकों के लिए मानक:
 - (ग) इनमें निमनलिखित शामिल हैं:
 - इसकी ट्रांसिमशन प्रणाली से जुड़ी उत्पादन क्षमता का इसके बाद लाइसेंसधारी द्वारा पालन किया जाता है; ऐसे संशोधन, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, सिहत ऐसे मौजूदा मानक तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि आयोग द्वारा अनुमोदित नए मानक खंड (46.5) और (46.6) लागू नहीं हो जाते।
- 46.5 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी, छह (6) महीने के भीतर, या लाइसेंस के प्रभावी होने के बाद ऐसे लंबे समय, जिसके लिए आयोग द्वारा अनुमित दी जाए, आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादन कंपिनयों, केंद्रीय ट्रांसिमशन उपयोगिता, क्षेत्रीय बिजली बोर्डों और ऐसे अन्य लोगों, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, के परामर्श से प्रस्ताव तैयार करेगा, और विनियम 46 के अनुसार ट्रांसिमशन योजना और सुरक्षा मानकों, ट्रांसिमशन प्रचालन मानकों, विद्युत आपूर्ति योजना और सुरक्षा मानकों तथा विद्युत आपूर्ति प्रचालन मानक लाइसेंसधारी के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आयोग को प्रस्तुत करेगा।
- 46.6 इस पैरा के अनुसरण में लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत ट्रांसमिशन योजना और सुरक्षा मानक, ट्रांसमिशन प्रचालन मानक, बिजली आपूर्ति योजना और सुरक्षा मानक और विद्युत आपूर्ति प्रचालन मानक ऐसे संशोधनों सहित, जैसा आयोग को आवश्यकता हो सकती है, उस तारीख से प्रभावी होंगे जैसा आयोग निर्दिष्ट कर सकता है।

- 46.7 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यदि वह प्रत्याशित स्थितियों के कारण ट्रांसिमशन योजना और सुरक्षा मानकों या ट्रांसिमशन प्रचालन मानकों को पूरा करने में विफल रहा है, तो लाइसेंसधारी ने अपने उचित प्रयासों का जहां तक यथोचित रूप से तर्कसंगत था, उपयोग किया है, तािक ट्रांसिमशन योजना और सुरक्षा मानक या ट्रांसिमशन प्रचालन मानक, जैसा भी मामला हो, का पालन किया जा सके।
- 46.8 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी आपूर्तिकर्ताओं को बिक्री के लिए, बिजली आपूर्ति योजना और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली और आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत आपूर्ति संचालन मानकों की उचित व्यवस्था करेगा।
- 46.9 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी राज्य में आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादन कंपिनयों, वितरण लाइसेंसधारियों, केंद्रीय ट्रांसिमशन उपयोगिता, क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड और आयोग के आदेश के रूप में ऐसे अन्य व्यक्तियों के परामर्श से प्रत्येक अवसर पर मानकों और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा कर सकता है। ऐसी समीक्षा के बाद, ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी आयोग को निम्नलिखित भेजेगा
 - (क) ऐसी समीक्षा के परिणाम पर एक रिपोर्ट; तथा
 - (ख) कोई संशोधन जिसका लाइसेंसधारी समय-समय पर ऐसे दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए प्रस्ताव करता है (ऐसी समीक्षा के परिणाम के संबंध में); तथा
 - (ग) आपूर्तिकर्ता, उत्पादन कंपनियों, केंद्रीय ट्रांसिमशन उपयोगिता, क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड और ऐसे अन्य व्यक्तियों से कोई लिखित अभ्यावेदन या आपित्तयां (लाइसेंसधारी द्वारा स्वीकार नहीं किए गए सिहत), जिन पर आयोग परामर्श प्रक्रिया के दौरान आदेश दे सकता है;
 - आयोग, ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी के आवेदन पर, ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी को मानकों और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करने के दायित्व से उस सीमा तक छूट दे सकता है जैसा कि इस शर्त के प्रयोजनों के लिए आयोग द्वारा ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी को जारी किए गए निर्देशों में निर्दिष्ट किया जाएगा।
- 46.10 विनियम (46.9 (ग)) में निर्दिष्ट किन्हीं लिखित अभ्यावेदन या आपित्तयों के संबंध में, और ऐसे आगे के परामर्श (यदि हो तो) के बाद, आयोग जैसा उचित समझे, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को मानकों में इस तरह से संशोधन करने का निर्देश जारी कर सकता है जैसा कि निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया हो।
- 46.11 आयोग ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को मानकों में इस तरह से संशोधन करने का निर्देश जारी कर सकता है जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।
- 46.12 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी वितरण लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों) के परामर्श से वार्षिक आधार पर:
 - (क) अगले दस (10) वर्षों में से प्रत्येक में ट्रांसिमशन और थोक आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर बिजली की मांग का पूर्वानुमान लगाएगा; तथा
 - (ख) आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्वानुमान तैयार करेगा और आयोग को प्रस्तुत करेगा।
- 46.13 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन (3) महीनों के भीतर आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ट्रांसिमशन प्रणाली के निष्पादन का संकेत देगी।
- 46.14 यदि आयोग द्वारा आवश्यक हो तो ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी, आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करेगा।

47. ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा ग्रिड कोड के साथ अनुपालन

- 47.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी समय-समय पर संशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और जेईआरसी राज्य ग्रिड कोड का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- 47.2 आयोग उचित आधार पर और प्रभावित उत्पादन कंपनी, ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी, राज्य ट्रांसिमशन उपयोगिता, राज्य लोड प्रेषण केंद्र और बिजली व्यापारियों से परामर्श के बाद, लाइसेंसधारियों को राज्य ग्रिड कोड के ऐसे भाग के संबंध में उनके दायित्व से उस सीमा तक छूट देने के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जाएगा।

48. केंद्रीय समय-निर्धारण और प्रेषण

- 48.1 आपूर्तिकर्ता, उत्पादन कंपनियों, केंद्रीय ट्रांसिमशन उपयोगिता, वितरण लाइसेंसधारियों और क्षेत्र में अन्य उपयोगिताओं (बिजली की मांग के पूर्वानुमानित स्तर और उत्पादन क्षमता की उपलब्धता के बारे में सूचना सिहत) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के संबंध में, ट्रांसिमशन योजना और सुरक्षा मानक और इस लाइसेंस में उल्लिखित ट्रांसिमशन प्रचालन मानकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी वितरण लाइसेंसधारी के परामर्श से, इसके लिए अनुबंधित सभी उत्पादन सेटों के संभावित उत्पादन के अनुरूप प्रचालन योजना तथा किसी अन्य थोक आपूर्ति और ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी की ट्रांसिमशन प्रणाली से जुड़ी विद्युत ऊर्जा (सुरक्षा मार्जिन या उत्पादन की उपलब्धता प्रदान करने के लिए उत्पादन रिजर्व सिहत) को अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वानुमान मांग को ध्यान में रखते हुए शुरू करेगा:
 - (क) उत्पादन सेट बनाने की अनुपलब्धता; तथा
 - (ख) कुल प्रणाली पर तकनीकी सीमाओं द्वारा समय-समय पर अधिरोपित बाधाएं या अन्य ट्रांसिमशन प्रणाली या उसके किसी भाग के साथ इंटरकनेक्शन;
 - (ग) इस खंड (48.1) के अनुरूप और रखरखाव के लिए ट्रांसिमशन प्रणाली के कुछ पुर्जों को सेवा से हटाने के लिए ग्रिड कोड के अनुसार सुदृढ करने के लिए मरम्मत करना।
- 48.2 खण्ड (48.3) में निर्दिष्ट तथ्यों को देखते हुए, लाइसेंसधारी उत्पादन सेटों तथा बिजली के अन्य स्रोतों से बिजली के प्रेषण की अनुसूची बनाएगा और प्रतयक्ष निर्देश जारी करेगा जिस समय में बिजली का उत्पादन करने के लिए उपलब्ध हो और जो प्रेषण के निर्देशों के अधीन है:
 - (क) संगत मूल्यों के बढ़ते क्रम में, जो हाइड्रो-इलेक्ट्रिक उत्पादन पर बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, कुल प्रणाली में बिजली उत्पादन के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं; तथा
 - (ख) जैसा कि पूर्णयोग में (और कुल प्रणाली से या अन्य स्रोतों से या को वितरित की गई बिजली को ध्यान में रखते हुए) हर समय अपेक्षित मांग के अनुरूप (उत्पादन सेटों की उपलब्धता के संबंध में संभव सीमा तक), आपूर्तकर्ताओं, केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता और क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड संयुक्त रूप से रिजर्व के उचित मार्जिन सहित प्रदान की गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त होगा।
- 48.3 खंड 48.2 में उल्लिखित कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - (क) अपेक्षित मांग (हानि सहित);
 - (ख) कुल प्रणाली या इसके किसी भाग या भागों पर समय-समय पर अधिरोपित आर्थिक और तकनीकी बाधाएं;
 - (ग) उपलब्ध उत्पादन सेटों की गतिशील परिचालन विशेषताएं; तथा

- (घ) ग्रिड कोड में उपलब्ध अन्य मामले।
- 48.4 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी आयोग को ऐसी सूचना उपलब्ध कराएगा जैसी आयोग को खण्ड (48.2 (क)) या इसके प्रचालन के किसी भी पहलू में वर्णित योग्यता क्रम प्रेषण के संबंध में आवश्यक होगी।

49. प्रणाली के उपयोग और प्रणाली के कनेक्शन के लिए प्रस्तावित शर्तों की आवश्यकता

- 49.1 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी तीसरे पक्ष द्वारा ट्रांसिमशन प्रणाली के उपयोग के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जैसा कि विनियम 49 में निर्दिष्ट है। ऐसे किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा दिए गए आवेदन पर, ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी ट्रांसिमशन प्रणाली के उपयोग के लिए उस व्यक्ति के साथ एक समझौते करने का प्रस्ताव करेगा।
 - (क) उस व्यक्ति द्वारा प्रदत्त ट्रांसमिशन प्रणाली बिजली को स्वीकार करना;
 - (ख) बिजली की हानि को समायोजित करने के लिए किसी निर्दिष्ट निकास बिंदु तक ऐसी बिजली देना;
 - (ग) यह निर्दिष्ट करना कि उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रणाली प्रभारों का उपयोग विनियम44 के अनुसार होगा।

स्पष्टीकरण: इस खंड (49.1) में संदर्भित तीसरे पक्ष का अर्थ है :

- (क) ऊर्जा के अंतर-राज्यीय परिवहन में ट्रांसिमशन प्रणाली में बिजली के प्रेषण के लिए भारत संघ द्वारा अधिनियमित कानून के तहत अधिकृत व्यक्ति;
- (ख) ऐसे व्यक्ति जिन्हें आयोग द्वारा ट्रांसमिशन प्रणाली का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया जाए।
- 49.2 प्रसारण प्रणाली से सीधे जुड़ने की इच्छा रखने वाले उपभोक्ता को कनेक्शन देने के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन पर, लाइसेंसधारी ट्रांसिमशन प्रणाली में कनेक्शन के लिए या ऐसे मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए ऐसे आपूर्तिकर्ता और/ या उपभोक्ता, जैसा भी मामला हो, के साथ एक समझौते का प्रस्ताव करेगा, और ऐसे प्रस्ताव में निम्नलिखित के लिए प्रावधान होगा:
 - (क) अपेक्षित कनेक्शन बनाने के लिए आवश्यक कार्य करना, जिसमें मीटर की स्थापना भी शामिल है;
 - (ख) लाइसेंसधारी की ट्रांसमिशन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कोई आवश्यक कार्य करना;
 - (ग) विनियम 44 के अनुसार कनेक्शन शुल्क का भुगतान करना; तथा
 - (घ) पूरा होने की तिथि और ऐसी अन्य शर्तें जैसी परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक हैं।
- 49.3 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी खंड (49.1) या (49.2) के अनुसार समझौते की शर्तों को जल्द से जल्द व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत करेगा लेकिन जहां खण्ड (49.1) या (49.2) के तहत आवेदन किया जाता है, वहां यह दो (2 महीने) से अधिक नहीं होगा (सिवाय उसके जहां आयोग लंबी अवधि के लिए सहमित देता है)।
- 49.4 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी को किसी करार का प्रस्ताव करने या कोई करार करने के लिए विनियम 34 के अनुसार बाध्य नहीं किया जाएगा यदि इसमें:
 - (क) ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को शामिल किए जाने की संभावना हो;
 - i. अधिनियम की धारा 17 के तहत अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर या;
 - भारतीय विद्युत नियम 1956 सिहत ट्रांसिमशन व्यवसाय के लिए लागू सुरक्षा या मानकों से संबंधित किसी भी नियम या विनियम का उल्लंघन; या

- iii. ग्रिड कोड का उल्लंघन करने पर; या
- iv. इस लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर: या यदि
- (ख) आवेदन करने वाले व्यक्ति को समय-समय पर लागू ग्रिड कोड का उस सीमा तक अनुपालन नहीं करना होगा, जिस सीमा तक यह उस व्यक्ति पर लागू होता है, या;
- (ग) खंड (49.1) के तहत प्रणाली के उपयोग के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के मामले में, ऐसे व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट अनुसार अधिकृत नहीं रहेंगे; या
- (घ) यदि व्यक्तियों के पास ट्रांसिमशन शुल्क का भुगतान करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हैं।
- 49.5 यदि खण्ड 49 के तहत किसी अनुरोध के अनुसरण में किसी अविध के बाद, जो आयोग को किसी उद्देश्य के लिए उचित प्रतीत होती है, लाइसेंसधारी खंड (49.1) और (49.2) के अनुरूप किसी आवेदक के साथ समझौते करने में विफल रहा है, तो आयोग किसी पार्टी के अनुरोध पर लाइसेंसधारी और उस व्यक्ति के बीच विवाद में ऐसी शर्तों का निपटान कर सकता है और वह व्यक्ति और ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी आयोग द्वारा तय शर्तों के अनुसार कोई समझौता करेंगे।
- 49.6 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी वार्षिक आधार पर आयोग को पिछले प्रत्येक पांच (5) वित्तीय वर्षों के संबंध में एक समझौता, सिकेट क्षमता का पूर्वानुमान, मानक नियोजन मापदंड के तहत बिजली का प्रवाह और ट्रांसिमशन प्रणाली पर लोडिंग की रूपरेखा तैयार करेगा और उसे निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत करेगा:
 - (क) ऐसी आगामी सूचना, जो किसी भी व्यक्ति को ऐसी प्रणाली से जुड़ने और उपयोग करने के लिए उपलब्ध अवसरों की पहचान करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए प्रणाली का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी जो यथोचित रूप से आवश्यक होगी; तथा
 - (ख) लाइसेंसधारी द्वारा एक टिप्पणी तैयार की जाएगी, जिसमें लाइसेंसधारी की ट्रांसिमशन प्रणाली के उन भागों के रूप में लाइसेंसधारी के विचारों को दर्शाया जाता है जो नए कनेक्शन और बिजली की अधिक मात्रा के परिवहन के अनुकूल हैं।
- 49.7 ऐसे व्यक्ति या आपूर्तिकर्ता के अनुरोध पर, जो खंड (49.1) (49.2) के तहत ट्रांसिमशन प्रणाली का उपयोग करना चाहता है, ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी उपर्युक्त विवरण के लिए अद्यतन स्थिति तैयार करेगा, जिसमें हाल का अधिकांश डेटा सम्मिलित होगा लेकिन इसमें विशेष रूप से कोई सुविधा शामिल होगी जिसके लिए किसी अन्य व्यक्ति या आपूर्तिकर्ता ने ट्रांसिमशन प्रणाली के उपयोग और कनेक्शन का अनुरोध किया है।
- 49.8 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी प्रणाली का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को दिए या भेजे गए किसी विवरण के लिए प्रभार ले सकता है जिसकी राशि में ऐसा विवरण उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी की उचित लागत को दर्शाया जाता है।

अध्याय 4

वितरण लाइसेंस की सामान्य शर्तें

50. अनुरोध पर बिजली की आपूर्ति करने के लिए शुल्क

- 50.1 अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, वितरण लाइसेंसधारी समय-समय संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2018, बिजली की आपूर्ति के संबंध में आयोग के दिशा-निर्देशों और आदेशों की आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।
- 50.2 जहां किसी भी परिसर के मालिक या व्यवसायी को उपर्युक्त खंड 50.1 की शर्तों के तहत बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, तो आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन दिया जाएगा और उस आवेदन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया आयोग द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

50.3 वितरण लाइसेंसधारी का उपर्युक्त खंड 50.1 की शर्तों के अनुसार परिसरों को बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए किसी बिजली के संयंत्र या इलेक्ट्रिक लाइन, यदि आवश्यक हो, उपलब्ध कराने का दायित्व होगा:

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को लाइसेंसधारी (वितरण लाइसेंसधारी सिहत) से किसी भी परिसर के लिए बिजली की आपूर्ति की मांग करने या उसे निरंतर प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने लाइसेंसधारी (वितरण लाइसेंसधारी सिहत) के साथ आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार भुगतान करने के लिए सहमित व्यक्त न की हो;

बशर्ते आगे यह कि वितरण लाइसेंसधारी आपूर्ति करने के दायित्व और इससे संबंधित मामलों के संबंध में अधिनियम की धारा 43, 44, 46 और 48 के तहत आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों से बाध्य होगा।

51. मीटर की स्थापना

- 51.1 वितरण लाइसेंसधारी अधिनियम अर्थात् समय-समय पर संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2018 और मीटर द्वारा बिजली की आपूर्ति के संबंध में आयोग के निर्देशों और आदेशों के अनुसार आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।
- 51.2 प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी समय-समय पर संशोधित अधिनियम की धारा 55 के तहत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा अधिसूचित "स्थापना और मीटर प्रचालन' विनियम, 2006 के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में उचित मीटर आदि की स्थापना के बाद ही बिजली की आपूर्ति करेगा। इसके बावजूद, लाइसेंसधारी बाजार में उपलब्ध हो रहे उन्नत प्रौद्योगिकी मीटर को स्थापित करने पर विचार कर सकता है यदि वह सीईए की आवश्यकताओं से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- 51.3 यदि मीटर की आपूर्ति वितरण लाइसेंसधारी द्वारा की जाती है, तो लाइसेंसधारी मांग नोटिस के भाग के रूप में मीटर और संबंधित उपकरणों की लागत की वसूली करने का हकदार होगा। इसके अलावा, वितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार मीटर का किराया वसूल करेगा। कनेक्शन के मामले में जहां मीटर की खरीद उपभोक्ता द्वारा की गई है, उपभोक्ता से कोई मीटर किराया और मीटर की लागत नहीं ली जाएगी।
- 51.4 मीटर की स्थापना पर निर्णय उपभोक्ता के परामर्श से लिया जाएगा। उपभोक्ता मीटर की स्थापना के लिए उपयुक्त और पर्याप्त स्थान इस प्रकार से प्रदान करेगा कि उस तक पहुंचना हमेशा लाइसेंसधारी या उसके प्रतिनिधियों के लिए सुलभ हो। बहु-मंजिला इमारतों के मामले में, सभी मीटर भूतल/ बढ़ते हुए मुख्य स्थानों पर उचित वायु संचार और निर्दिष्ट मानकों और कोडों के अनुसार पर्याप्त रोशनी को प्राथमिकता देते हुए तय किए जाएंगे।
- 51.5 मीटर की प्रारंभिक स्थापना या प्रतिस्थापन लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि द्वारा उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तीन (3) दिनों का नोटिस देने के बाद किया जाएगा।
- 51.6 जब भी कोई नया मीटर स्थापित किया जाता है (नए कनेक्शन के लिए या प्रतिस्थापन के रूप में) तो उसे उपभोक्ता की उपस्थिति में सील किया जाएगा। उक्त उपकरण या यंत्र पर अंकित की गई सील, नेम प्लेट और पहचान संख्या या चिह्न किसी भी तरह से उपभोक्ता द्वारा तोड़े, मिटाए या बदले नहीं जाएंगे। मीटर सील का उपचार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 और बाद के सभी संशोधनों के अनुसार होगा।
- 51.7 उपर्युक्त खंड (51.2) में निहित प्रावधान के अनुपालन में किसी भी दोष के लिए, आयोग जैसा उचित समझेगा, चूक के लिए जिम्मेदार लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारी के किसी अधिकारी और कर्मचारियों को दोष दूर करने का आदेश देगा।

52. शुल्क लगाने तथा जुर्माना और शुल्क वसूलने की प्रक्रिया

- 52.1 यदि किसी कार्यवाही के निष्कर्ष पर, आयोग इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति जुर्माना या प्रभारों के लिए उत्तरदायी है, तो वह केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के प्रावधानों और इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट विनियम के अनुसार ऐसा जुर्माना या प्रभार लगाने का आदेश लिखित में जारी कर सकता है और मुआवजा पर निर्णय भी दे सकता है।
- 52.2 जुर्माना या प्रभारों की मात्रा निर्धारित करते समय, आयोग निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेगा:
 - (क) गैर-अनुपालन या उल्लंघन की प्रकृति और सीमा;
 - (ख) गैर-अनुपालन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्राप्त गलत लाभ या अनुचित लाभ;
 - (ग) गैर-अनुपालन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति(यों) को नुकसान या हानि की सीमा, और
 - (घ) गैर-अनुपालन या उल्लंघन का बार-बार होना।
- 52.3 इस विनियम के तहत आदेश पारित करते समय, आयोग शिकायतकर्ता या प्रभावित पक्ष को मुआवजा दे सकता है जिसका भुगतान गैर-अनुपालन या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
- 52.4 आयोग उस समय को निर्देशित कर सकता है जिसके भीतर संबंधित व्यक्ति द्वारा जुर्माना, प्रभार या मुआवजा का भुगतान किया जाना चाहिए।
- 52.5 आयोग केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना और प्रभार लेने के लिए किसी अधिकारी को नामित कर सकता है।

53. ओपन एक्सेस

53.1 वितरण लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 42 के तहत आयोग द्वारा जारी ओपन एक्सेस विनियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी वितरण प्रणाली के लिए बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के प्रावधान की व्यवस्था करेगा।

54. वितरण लाइसेंसधारी के अन्य व्यवसाय

- 54.1 वितरण लाइसेंसधारी समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंस और वितरण लाइसेंस के अन्य व्यवसाय का उपचार) विनियम, 2009 के अनुसार आयोग के अनुमोदन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- 54.2 जहाँ वितरण लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यवसाय में लगा हुआ है, वहां ऐसे व्यवसाय से आय की गणना समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसिमशन लाइसेंस और वितरण लाइसेंस के अन्य व्यवसाय का उपचार) विनियम, 2009 के अनुसार की जाएगी और इसकी कटौती लाइसेंसधारी की सकल राजस्व आवश्यकता से की जाएगी:
 - बशर्ते कि लाइसेंसधारी वितरण व्यवसाय और अन्य व्यवसाय के बीच सभी संयुक्त और आम लागतों के आवंटन के लिए एक उचित आधार का पालन करेगा और समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसिमशन लाइसेंस और वितरण लाइसेंस के अन्य व्यवसाय का उपचार) विनियम, 2009 के अनुसार लेखांकन विवरण तैयार करेगा और उसे टैरिफ के निर्धारण के लिए अपने आवेदन के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते आगे यह कि ऐसे अन्य व्यवसाय की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत का योग ऐसे अन्य व्यवसाय से राजस्व से अधिक हो, तो ऐसे किसी अन्य व्यवसाय के खाते में वितरण लाइसेंसधारी की सकल राजस्व आवश्यकता में कोई राशि जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

55. फ्रेंचाइजी

- 55.1 वितरण लाइसेंसधारक अपनी सहायक कंपनी या धारिता कंपनी या ऐसी धारिता कंपनी की सहायक कंपनी को किसी भी माल या सेवाओं को लाइसेंसधारी को उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय के संबंध में नियुक्त कर सकता है, जो निम्न शर्तों के अधीन होगी:
 - (क) लेन-देन स्वतंत्र आधार पर तथा उस मूल्य पर होगा जो परिस्थितियों के अनुसार उचित और तर्कसंगत होगा;
 - (ख) यह लेनदेन लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के संबंध में वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान से संबंधित आयोग द्वारा तैयार किए गए किसी भी विनियम के अनुरूप होगा; तथा
 - (ग) लाइसेंसधारी प्रस्तावित व्यवस्था शुरू करने से पहले आयोग को पंद्रह (15) दिनों का नोटिस देगा और नोटिस के साथ व्यवस्था के सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान करेगा।
- 55.2 लाइसेंसधारी सहायक कंपनियों की स्थापना कर सकते हैं या संबद्ध कंपनियों की स्थापना या कोई फ्रेंचाइजी प्रदान कर सकते हैं या प्रबंधन अनुबंध कर सकते हैं जिसमें कार्यों को करने या निपटान करने के लिए बिलिंग एजेंट की नियुक्ति शामिल हो सकती है, जिसे लाइसेंसधारी अधिनियम और यह लाइसेंस के तहत करने के लिए अधिकृत होता है। बशर्ते यह कि:
 - (क) ऐसी कोई भी सहायक या संबद्ध कंपनी या फ्रेंचाइजी या ठेकेदार या एजेंट लाइसेंसधारी के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में और इस लाइसेंस की शर्तों के तहत काम करेंगे; तथा
 - (ख) लाइसेंसधारी के पास ऐसी किसी भी सहायक कंपनी या संबद्ध कंपनी या फ्रेंचाइजी या ठेकेदार को किसी भी कार्य को सौंपने से पहले, आयोग को ऐसी शर्तों जैसी वह निर्धारित करे, के अधीन प्रतिवर्ष 100 लाख रुपए से अधिक मुल्य के लेनदेन की सूचना देनी होगी;
 - (ग) लाइसेंसधारी सहायक कंपनी या संबद्ध कंपनी या फ्रेंचाइजी या एजेंटों या ठेकेदारों के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे और यदि उनका निष्पादन लाइसेंसधारी की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है तो करार को समाप्त किया जा सकता है।
- 55.3 जहां ऐसी पूर्व अनुमित की आवश्यकता होती है, लाइसेंसधारी प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करते हुए आयोग को एक उपयुक्त आवेदन देगा। आयोग, आवेदन प्रस्तुत करने के तीस (30) दिनों के भीतर आवेदन के समर्थन में और जानकारी मांग सकता है। आयोग लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत ऐसी आगामी जानकारी के आम तौर पर तीस (30) दिनों के भीतर, और जहाँ आयोग द्वारा उपर्युक्त कोई और जानकारी नहीं मांगी गई है, आम तौर पर आवेदन दाखिल करने के साठ (60) दिनों के भीतर, अनुमित देता है, ऐसी शर्तों या संशोधनों के अधीन व्यवस्था को उपयुक्त माना जाता है या उसे अस्वीकार कर दिया जाता है जिसके कारणों को आयोग द्वारा जारी आदेश में लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
- 55.4 लाइसेंसधारी इस लाइसेंस या इस लाइसेंस के तहत किसी भी कार्य को किसी अन्य व्यक्ति को केवल आयोग की पूर्व स्वीकृति के साथ हस्तांतरित या सौंपने का हकदार होगा। उपर्युक्त के रूप में आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, लाइसेंसधारी आयोग को एक उपयुक्त आवेदन देगा, जिसमें इस संबंध में प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा किया जाएगा और आयोग ऐसे आवेदन का शीघ्रता से निपटान करेगा।

56. उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की स्थापना

- 56.1 वितरण लाइसेंसधारी समय-समय पर अधिनियम की धारा 42 के तहत आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच या मंचों की स्थापना करेगा।
- 56.2 वितरण लाइसेंसधारी उचित समय के भीतर आयोग द्वारा निर्देशित अनुसार, लाइसेंस के प्रभावी हो जाने के बाद और आयोग के अनुमोदन से, शिकायतों के निवारण के लिए मंच के अलावा लाइसेंसधारी के उपभोक्ताओं से शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा। आयोग राज्य सलाहकार समिति या व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के साथ विचार-विमर्श कर सकता है, जिन्हें आयोग प्रभावित होने की संभावना वाले उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में मानता है और इस प्रकार प्रक्रिया को संशोधित करता है, क्योंकि यह स्वीकृति देने से पहले उपभोक्ता की शिकायतों को आवश्यक मानता है।
- 56.3 आयोग कोई अभ्यावेदन प्राप्त करने पर, या अन्यथा, वितरण लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा करता है कि वह तैयार की गई शिकायत से निपटने की प्रक्रिया और जिस तरीके से इसे लागू किया गया है, की समीक्षा करे ताकि यह निर्धारित हो सके कि क्या इसमें या इसके कार्यान्वयन के तरीका में कोई संशोधन किया जाना चाहिए अथवा नहीं।
- 56.4 इस प्रकार स्थापित कोई प्रक्रिया, जिसमें कोई संशोधन शामिल है, उस अवधि को सूचित करेगा जिसके भीतर यह अपेक्षा की जाती है कि विभिन्न प्रकार की शिकायतों पर कार्रवाई करके इनका समाधान किया जाएगा।
- 56.5 वितरण लाइसेंसधारी स्थापित प्रक्रिया में किए जाने वाले किसी प्रस्तावित संशोधन के लिए उसे आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

56.6 वितरण लाइसेंसधारी:

- (क) उपभोक्ताओं का ध्यान, इस तरह से जैसे आयोग निर्देश दे सकता है, शिकायत निवारण की मौजूदा प्रिक्रिया और इसके प्रत्येक संभावित संशोधन की ओर दिलाएगा और कैसे उपभोक्ता ऐसी प्रक्रिया की नवीनतम प्रतियों का निरीक्षण कर सकते हैं या उन्हें प्राप्त कर सकते हैं:
- (ख) सामान्य कार्य घंटों के दौरान लाइसेंसधारी के संबंधित कार्यालयों में जनता द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध समय-समय पर संशोधित शिकायत निवारण प्रक्रिया की एक प्रति रखेगा; तथा
- (ग) प्रत्येक नए उपभोक्ता को समय-समय पर संशोधित शिकायत निवारण प्रक्रिया की एक प्रति, और किसी अन्य व्यक्ति को, जो इसके लिए अनुरोध करता है, ऐसे मूल्य पर प्रदान करेगा जिसकी प्रतिलिपि बनाने की लागत, सर्वमान्य लागत से अधिक नहीं होगी।

57. रेलवे, राजमार्गों, टेलीग्राफिक लाइनों का संरक्षण

- 57.1 वितरण लाइसेंसधारी किसी भी तरह से किसी भी रेलवे, राजमार्ग, हवाई अड्डे, ट्रामवे, नहर या जल-मार्ग या किसी भी गोदी, घाट या चबूतरे पर या उसके द्वारा नियंत्रित या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित, या किसी भी रेलवे, वायुमार्ग, ट्रामवे, नहर या जल-मार्ग पर यातायात में किसी भी तरह से बिजली के वितरण, आपूर्ति या उपयोग के दौरान बाधा या रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा।
- 57.2 वितरण लाइसेंसधारी को अपनी विद्युत लाइनों, विद्युत संयंत्र और अन्य कार्यों के निर्माण, लाइनें बिछाने और रखने में और अपनी प्रणाली को बनाने में सभी उचित सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि किसी को कोई चोट न लगे, चाहे यह इंडक्शन से हो या अन्यथा टेलीग्राफिक, टेलीफोन या इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग संचार के लिए प्रयोग की जाने वाली ऐसी किसी तार या लाइन में करंट के कारण हो।

- 57.3 जहां वितरण लाइसेंसधारी और टेलीग्राफ प्राधिकरण के बीच कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है कि क्या वितरण लाइसेंसधारी ने उपर्युक्त खंड (57.2) का उल्लंघन करते हुए कोई निर्माण किया है, अपनी इलेक्ट्रिक लाइनों को बिछाया या निर्धारित किया है, इलेक्ट्रिकल संयंत्र या अन्य कार्य किए हैं, या अपनी प्रणाली में काम किया है, या क्या किसी तार, लाइन या करंट से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो वह इस मामले को केंद्र सरकार को भेजेगा।
- 57.4 केंद्र सरकार, जब तक उसकी यह राय नहीं है कि ऐसी लाइनों, संयंत्र या कार्यों के निर्माण के बाद, तार या लाइन को अनुपयुक्त रूप से विद्युत लाइनों, विद्युत संयंत्र के काफी नजदीक बिछाया गया है या वितरण लाइसेंसधारी के कार्य अनुचित हैं, तो वह वितरण लाइसेंसधारी को इसकी प्रणाली में जैसा आवश्यक हो, बदलाव, या परिवर्धन करने का निर्देश दे सकता है ताकि इस विनियम 57 के प्रावधानों का अनुपालन हो सके, और वितरण लाइसेंसधारी तदनुसार ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन करेगा:
 - बशर्ते कि उपर्युक्त खंड (57.3) के बावजूद और यह खंड (57.4) किसी भी विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र की मरम्मत, नवीनीकरण या संशोधन पर लागू होगा, जब तक कि विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र के दौरान और बिजली की मात्रा और प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
- 57.5 जहां वितरण लाइसेंसधारी इस खंड की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में चूक करता है, तो वह इस कारण से हुए किसी भी हानि या नुकसान के लिए पूरे मुआवजे का भुगतान करेगा, और जहां इस तरह के मुआवजे की राशि के रूप में कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है, तो मामले का अधिनियम की धारा 158 के अनुसार आयोजित मध्यस्थता द्वारा समाधान किया जाएगा।
 - स्पष्टीकरण इस विनियम 57 के प्रयोजनों के लिए, कोई टेलीग्राफ लाइन गंभीर रूप से प्रभावित मानी जाएगी यदि ऐसी लाइन से कोई टेलीग्राफ, टेलीफोन या बिजली सिग्नल संचार प्रभावित होता है चाहे इंडक्श से हो या अन्यथा, जो किसी इलेक्ट्रिक लाइन, बिजली संयंत्र या अन्य कार्य या इसके द्वारा किए गए किसी भी उपयोग के द्वारा हानिकारक रूप से प्रभावित हुई है।

58. कार्य संचालन का प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना

58.1 प्रत्येक लाइसेंसधारी ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा या अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग नहीं करेगा या कोई संयोजन नहीं करेगा जिससे बिजली के वितरण में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या कारण बने।

59. राज्य ट्रांसिमशन उपयोगिता, राज्य भार प्रेषण केंद्र और अन्य लाइसेंसधारियों के साथ सहयोग

- 59.1 वितरण लाइसेंसधारी राज्य लोड प्रेषण केन्द्र और राज्य ट्रांसिमशन उपयोगिता और/ या अन्य लाइसेंसधारियों को ऐसी सूचना प्रदान करेगा जैसी उनके द्वारा अधिनियम और/ या सुधार अधिनियम के तहत उनके कार्यों और उनकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित हो।
- 59.2 वितरण लाइसेंसधारी हमेशा अधिनियम और/ या सुधार अधिनियम के तहत जारी राज्य लोड प्रेषण केंद्र, क्षेत्रीय लोड प्रेषण केंद्र और राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता के निर्देशों का पालन करेगा।
- 59.3 वितरण लाइसेंसधारी बिजली कंपनियों के कुशल और समन्वित संचालन के लिए उत्पादक कंपनियों, अन्य लाइसेंसधारियों और राज्य लोड प्रेषण केंद्र के साथ सहयोग करेगा।

60. निवेश

60.1 वितरण लाइसेंसधारी विवेकपूर्ण तरीके से निवेश करेगा, जो गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में एक कुशल, समन्वित और किफायती वितरण प्रणाली के निर्माण, रखरखाव और संचालन के कर्तव्य द्वारा निर्देशित होगा। 60.2 वितरण लाइसेंसधारक समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, ट्रांसिमशन और वितरण बहु वर्ष टैरिफ) विनियम, 2018 का विधिवत अनुपालन करेगा और वितरण व्यवसाय में किए जाने वाले निवेश के संबंध में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, निर्देशों और आदेशों का पालन करेगा।

61. सामग्री/ उपकरण/ सेवाओं की खरीद

61.1 वितरण लाइसेंसधारी सभी सामग्री/ उपकरणों की खरीद करेगा या पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ही बिजली खरीद सहित सेवाओं के लिए किसी भी अनुबंध को निष्पादित करेगा।

62. अपेक्षित राजस्व और टैरिफ दायर करना

- 62.1 लाइसेंसधारी शुल्क से अपेक्षित राजस्व का विवरण दर्ज करते समय और इसके किसी भी या सभी टैरिफ का प्रस्ताव करने या उसमें संशोधन करने के लिए टैरिफ विनियमों में शामिल कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं और अन्य निर्देशों का पालन करेगा।
- 62.2 राशि जिसे लाइसेंसधारी को किसी वित्तीय वर्ष में अपने टैरिफ से वसूलने की अनुमित है, वह राशि है जिसे आयोग वित्तीय सिद्धांतों और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 में दिए गए उनके अनुप्रयोगों के अनुसार निर्धारित करता है, जो लाइसेंसधारी को उचित लाभ कमाने का उचित अवसर देने की अनुमित देगा।
- 62.3 लाइसेंसधारी, अपने वितरण व्यवसाय के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ को लागू करेगा और इस लाइसेंस, विनियमों, आयोग के आदेशों और समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यकताओं के अनुसार अपने शुल्कों की गणना करेगा।
- 62.4 लाइसेंसधारी टैरिफ प्रभारों और उपर्युक्त खंड (62.3) में संदर्भित अनुमोदित टैरिफ में निहित अन्य निबंधन एवं शर्तों को या आयोग के निर्देशानुसार अपने बिजली के वितरण के लिए टैरिफ के रूप में प्रकाशित करेगा।
- 62.5 लाइसेंसधारी आयोग को अधिनियम, लागू विनियमों और निर्देशों के अनुसार अपने टैरिफ में संशोधन करने के लिए आयोग को आवेदन करेगा।
- 62.6 लाइसेंसधारी अधिनियम के अनुसार अपने टैरिफ में संशोधन करने के लिए आयोग को आवेदन करेगा यदि आयोग उसके द्वारा पहचाने गए किसी भी अनुचित भेदभाव को दूर करने के लिए ऐसा करना चाहता है।

63. लेखा और लेखा-परीक्षा

63.1 प्रत्येक वितरण लाइसेसधारी अपनी उपयोगिता के लेखाओं को प्रत्येक वर्ष मार्च की इक्तीस (31) तारीख तक तैयार करेगा।

63.2 वितरण लाइसेंसधारी:

- (क) लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय और किसी अन्य व्यवसाय के लिए लेखाओं की अलग-अलग सूचना और विवरण को बनाए रखेगा
 - बशर्ते, आगे यह कि लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय और कंपनी के समग्र लेखाओं के लिए अलग-अलग लेखा प्रस्तुत करेगा।
- (ख) ऐसे खातों के विवरण को जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, ऐसे रूप में और ऐसे विवरणों को बनाए रखेगा और तब तक रखेगा जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, तथा लेखाओं को समय-समय पर

संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार रखेगा, जहां ऐसे अधिनियम लागू होते हैं:

- (ग) ऐसे रिकॉर्ड से सतत आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष का लेखांकन विवरण तैयार किया जाएगा, जिसमें लाभ और हानि लेखा, तुलन-पत्र और स्नोत विवरण और निधियों के प्रयोग के साथ-साथ इससे संबंधित टिप्पणियां और किसी भी राजस्व, लागत, परिसंपत्ति, देयता, रिजर्व, या प्रावधान की मात्रा को अलग-अलग दिखाना शामिल है जो या तो:
 - i. उस शुल्क के आधार के विवरण के साथ या किसी अन्य व्यवसाय से एक साथ प्रभारित हो या;
 - ii. विभाजन या आवंटन के आधार पर विवरण सहित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के बीच विभाजन या आवंटन द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- (घ) पूर्ववर्ती खंडों के अनुसार तैयार किए गए लेखा विवरणों के संबंध में, प्रत्येक वर्ष के संबंध में लेखा परीक्षकों द्वारा एक रिपोर्ट प्रदान करना, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि क्या उनकी राय में विवरण उचित प्रकार से तैयार किए गए हैं और ये राजस्व लागत, परिसंपत्तियों और देयताओं, व्यवसाय जिससे यह विवरण संबंधित है, के लिए यथोचित रूप से जिम्मेदार रिजर्व का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, और
- (इ.) वितरण लाइसेंसधारी, आयोग के प्रावधानों के अनुसार, ऊपर उल्लिखित तारीख से छह (6) महीने की अविध के भीतर, या ऐसी विस्तारित अविध के अनुसार आयोग को अपने लेखा-परीक्षित लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार और प्रस्तुत करेगा और आयोग इस बात से संतुष्ट होने के बाद यह प्राधिकृत कर सकता है कि दिया गया समय किसी कारण से कम था जो लाइसेंसधारी के नियंत्रण से परे था और विवरण की प्रतियां इतनी संख्या में दी जाएंगी जैसा कि आयोग द्वारा निर्देश दिया जाएगा।
- (च) लेखाओं को उस प्रपत्र में बनाया जाएगा, जैसा आयोग समय-समय पर निर्देशित कर सकता है। वितरण लाइसेंसधारी या उनके मान्यता-प्राप्त और विधिवत अधिकृत एजेंट या प्रबंधक द्वारा सभी प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (छ) आयोग विशेष या सामान्य आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि उपर्युक्त खंड 63.2(च) में दिए गए प्रपत्रों में लेखाओं के वार्षिक विवरणों को प्रस्तुत करने के अलावा, वितरण लाइसेंसधारी आयोग या ऐसे अन्य प्राधिकरण को जैसा वह इस संबंध में निर्दिष्ट करे, अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेगा, जैसी इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो सकती है।
- 63.3 आयोग द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति वितरण लाइसेंसधारी के लेखाओं का निरीक्षण और सत्यापन करने का पात्र होगा और वितरण लाइसेंसधारी ऐसे व्यक्ति को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
 - बशर्ते, आगे यह कि यदि आयोग उचित समझे, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) सहित किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से वितरण लाइसेंसधारी के लेखाओं की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा करा सकता है।
- 63.4 वितरण लाइसेंसधारी किसी वित्तीय वर्ष के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष के संबंध में लागू किए गए वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखांकन विवरणों को तैया करते समय आयोग से पूर्व अनुमित लिए बिना प्रभार या विभाजन या राजस्व के आवंटन या व्यय को नहीं बदलेगा:
 - बशर्ते कि वित्तीय वर्ष के दौरान कोई वितरण लाइसेंसधारी अपने लेखांकन विवरणों में प्रभार या विभाजन या आवंटन का आधार बदलता है, जो तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए अपनाया जाता है, तो आयोग लेखांकन विवरण जिस आधार पर इसे अपनाया गया था, को तैयार करने के अलावा, वितरण लाइसेंसधारी को पिछले आधार पर ऐसे लेखांकन विवरण तैयार करने का निर्देश दे सकता है।

- 63.5 यदि वितरण लाइसेंसधारी अपनी परिसंपत्ति के इष्टतम उपयोग के लिए कोई अन्य व्यवसाय कर रहा है, तो यह ऐसे लेखांकन रिकॉर्डों को सुसंगत आधार पर तैयार करेगा तथा समय-समय पर संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंस और वितरण लाइसेंस के अन्य व्यवसाय का उपचार) विनियम, 2009 के अनुसार आयोग को सौंपेगा।
- 63.6 वितरण लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखांकन विवरण और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में यहां ऊपर उल्लिखित लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का इस तरह से प्रचार किया जाए जैसा कि आयोग द्वारा निर्देश दिया जाएगा, और उन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुरोध करने पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका मूल्य इसकी नकल बनाने की उचित लागत से अधिक नहीं होगा, या आयोग द्वारा निर्दिष्ट ऐसे किसी मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा।

64. सब्सिडी पर प्रतिबंध

64.1 वितरण लाइसेंसधारी गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 65 के अनुसरण में दी गई सब्सिडी को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति या वितरण लाइसेंसधारी के किसी अन्य व्यवसाय के लिए कोई सब्सिडी या आर्थिक सहायता नहीं देगा।

65. आयोग और अन्य हितधारकों को सूचना का प्रावधान

- 65.1 लाइसेंसधारी लाइसेंस की इन शर्तों के लागू होने से साठ (60) दिनों के भीतर संलग्न प्रपत्रों में उस पर लागू सभी सूचना देगा। इसके बाद, सभी प्रारूपों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूरा होने के एक महीने के भीतर, वार्षिक रूप से लाइसेंस द्वारा भरा और जमा किया जाएगा।
- 65.2 वितरण लाइसेंसधारी बिना किसी अनुचित देरी के आयोग को लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय या लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय की परिसंपत्तियों के अनुकूलतम उपयोग में संलग्न लाइसेंसधारी के अन्य किसी लाइसेंस व्यवसाय से संबंधित ऐसी सूचना, दस्तावेज़ और संबंधित विवरण प्रस्तुत करेगा, जैसा कि आयोग को समय-समय पर अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए या भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय आयोग और/ या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता और राज्य लोड डिस्पैच सेंटर के उद्देश्यों के लिए आवश्यकता हो सकती है।
- 65.3 वितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा समय-समय पर संशोधित वितरण लाइसेंसधारी विनियम 2015, में अधिसूचित अनुसार निष्पादन के मानकों में निर्दिष्ट अनुसार लाइसेंसधारी निष्पादन के मानकों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेगा।
- 65.4 वितरण लाइसेंसधारी किसी बड़ी घटना या दुर्घटना के घटित होने पर विद्युत आपूर्ति कोड, और आयोग द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचित वितरण लाइसेंसधारी विनियमों के निष्पादन मानकों के अनुसार ऐसी घटना के बारे में आयोग को सूचित करेगा।
- 65.5 वितरण लाइसेंसधारी अपने वितरण व्यवसाय में और वितरण व्यवसाय से संबंधित अन्य मामले में समय-समय पर किए जाने वाले सुधारों के लिए आयोग के निर्देशानुसार अध्ययन भी शुरू कराएगा।
- 65.6 वितरण लाइसेंसधारी ऐसी किसी घटना के बारे में आयोग को विधिवत सूचना देगा जो उसे अपने लाइसेंस के तहत उसकी बाध्यताओं को पूरा करने में बाधा डाल रही है जिसमें आयोग या अन्य द्वारा कमीशन का कोई कार्य भी शामिल है और ऐसी घटना के प्रभाव को कम करने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।
- 65.7 आयोग किसी भी समय लाइसेंसधारी को घटनाओं के संबंध में खंड (65.3) से (65.3) के प्रावधानों का पालन करने के लिए कह सकता है जिनके बारे में आयोग विशेष रूप से निर्देश दे सकता है और लाइसेंसधारी इसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा, इस बात के बावजूद कि ऐसी घटनाएं प्रमुख घटनाएं नहीं हैं; बशर्ते कि खंड (65.3) में

निर्दिष्ट समय-सीमा उस तारीख से शुरू होगी जैसी आयोग ऐसी आवश्यकता के लाइसेंसधारी को सूचित करेगा।

65.8 लाइसेंसधारी आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार निश्चित समय-सीमा के भीतर हितधारकों/ उपभोक्ताओं/ उपभोक्ता संघों/उपभोक्ता निकायों, आदि द्वारा अपेक्षित अनुसार उपलब्ध विवरण/ डेटा/ दस्तावेज सामग्री रूप में उपलब्ध कराएगा। यदि आयोग द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है, तो लाइसेंसधारी अनुरोध की तारीख से तीस (30) दिनों की अधिकतम अविध के भीतर इसे प्रदान करेगा।

66. अधिनियम जो वितरण लाइसेंसधारी नहीं देगा

- 66.1 कोई लाइसेंसधारी, आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना निम्नलिखित कोई कार्य नहीं करेगा:
 - (क) खरीद या अधिग्रहण या अन्यथा, किसी भी अन्य लाइसेंसधारी की किसी भी उपयोगिता को प्राप्त करने के लिए कोई भी लेनदेन; या
 - (ख) किसी अन्य लाइसेंसधारी की उपयोगिता के साथ अपनी उपयोगिता का विलय करना।
- 66.2 कोई लाइसेंसधारी, आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना, बिक्री, पट्टे, विनिमय या अन्यथा के माध्यम से अपनी उपयोगिता या लाइसेंस या अन्यथा उसके भाग को उपयुक्त आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं सौंपेगा या हस्तांतरण नहीं करेगा।
- 66.3 उपर्युक्त खंड (66.1) (66.2) के तहत अनुमोदन प्राप्त करने से पहले, कोई लाइसेंसधारी अन्य किसी लाइसेंसधारी को एक (1) महीने से कम का नोटिस नहीं देगा, जो ऐसे लाइसेंसधारी के क्षेत्र में बिजली वितरित करता है, जिसने ऐसे अनुमोदन के लिए आयोग में आवेदन किया है।
- 66.4 उपर्युक्त खंड (66.1) से (66.3) के संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा किया गया कोई भी समझौता तब अमान्य हो जाएगा जब तक कि आयोग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाए।
- 66.5 जहां ऐसी अनुमित की आवश्यकता होती है, लाइसेंसधारी सभी प्रासंगिक सूचनाओं को विधिवत प्रस्तुत करते हुए आयोग को एक आवेदन देगा। आयोग ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के भीतर, निबंधन एवं शर्तों के अधीन जैसा वह आवश्यक समझे, अपेक्षित अनुमित प्रदान कर सकता है या आवेदन अस्वीकृत कर सकता है और ऐसे रद्द करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
- 66.6 ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी बिजली के ट्रांसिमशन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रणाली की परिसंपित्तयों का उपयोग नहीं करेगा, सिवाय इसके कि विनियम 54 में दिए गए अनुसार आयोग की पूर्व स्वीकृति ली गई हो।

67. बड़ी घटना

- 67.1 वितरण लाइसेंसधारी आयोग को वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में होने वाली किसी भी बड़ी घटना के बारे में सूचित करेगा। मानक परिचालन स्थिति से ट्रांसिमशन प्रणाली के किसी भी भाग से विचलन, जो सीमा पार प्रभाव, जनरेटर प्रणाली, वितरण प्रणाली या अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपभोक्ताओं की प्रणाली से उत्पन्न हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप उपकरण हानि या किसी व्यक्ति या पशु की जीवन हानि हुई है तो इसे एक बड़ी घटना माना जाएगा। लाइसेंसधारी निम्नलिखित भी प्रस्तुत करेगा:
 - (क) घटनाओं, उसके कारणों और कुल बिजली प्रणाली पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव देने वाले तथ्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा (कुल बिजली प्रणाली में ट्रांसमिशन प्रणाली, उत्पादन यूनिट, वितरण प्रणाली और ईएचटी उपभोक्ताओं की प्रणाली शामिल है);

- (ख) बड़ी घटना पर लाइसेंसधारी के विश्लेषण और ऐसी बड़ी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के सुझावों सहित एक नोट प्रस्तुत करेगा;
- (ग) लाइसेंसधारी यथाशीघ्र संभव तारीख तक कार्रवाई करेगा जो किसी घटना के घटने की तारीख से दो (2) महीने बाद नहीं होगा:
 - i. आयोग को एक रिपोर्ट सौंपेगा जिसमें उस घटना और उसके कारण के बारे में लाइसेंसधारी की जानकारी के अनुसार तथ्यों की पूरी जानकारी दी जाएगी;
 - ii. यदि उप-खंड (क) के तहत बड़े हादसे की रिपोर्ट की तारीख से पंद्रह (15) दिनों से अधिक समय लगने की संभावना है, तो लाइसेंसधारी घटना की ऐसी तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर ऐसे प्रारंभिक रिपोर्ट के रूप में ऐसा विवरण प्रस्तुत करेगा जो लाइसेंसधारी यथोचित रूप से प्रस्तुत कर सकता है और यह कारण बताएगा कि लाइसेंसधारी को ऐसी घटना की पूरी रिपोर्ट देने के लिए पंद्रह (15) दिनों से अधिक की आवश्यकता किसलिए थी;
 - iii. रिपोर्ट की प्रतियों और टिप्पणी को राज्य लोड डिस्पैच सेंटर, राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता, राज्य सरकार, और मुख्य विद्युत निरीक्षणालय आदि को भेजा जाएगा।
- 67.2 आयोग किसी स्वतंत्र व्यक्ति को किसी बड़ी घटना के मामले में जाँच करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है। आयोग रिपोर्ट और सभी स्रोतों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर सकता है और यह तय करेगा कि क्या कोई बड़ी घटना अप्रत्याशित स्थिति की घटना है या यह ट्रांसमिशन लाइसेंस की शर्तों या ग्रिड कोड या अधिनियम के तहत नियमों और विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण हुई है अथवा नहीं।

67.3 आयोग निम्नलिखित पर निर्णय ले सकता है:

- (क) ऐसी बड़ी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कुल बिजली प्रणाली (वितरण लाइसेंसधारी सहित) के भागों के एक या एक से अधिक ऑपरेटरों (या मालिकों) द्वारा किए किए वाले उपचारात्मक उपाय:
- (ख) एक या एक से अधिक व्यक्तियों पर चूक के लिए दंड लगाया जाना चाहिए जिसके कारण बड़ी घटना हुई थी;
- (ग) एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना [संपूर्ण बिजली व्यवस्था के एक खंड के मालिक (या संचालक) द्वारा संपूर्ण बिजली व्यवस्था के दूसरे खंड के मालिक (या संचालक) को भुगतान किया जाना।]
- 67.4 आयोग बड़े हादसे पर अपने विचार और निर्णय राज्य भार प्रेषण केंद्र, मुख्य विद्युत निरीक्षक, राज्य प्रवेश पत्र आदि को भेज सकता है।

अध्याय 5

वितरण लाइसेंस की तकनीकी शर्तें

68. बिजली की खरीद

68.1 वितरण लाइसेंसधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में बिजली की मांग की पूर्ति के लिए बिजली की खरीद हेतु एक योजना तैयार करेगा और व्यवसाय योजना के एक भाग के रूप में अनुमोदन के लिए ऐसी योजना को आयोग को प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते आगे यह कि ऐसी बिजली खरीद योजना में दीर्घकालिक, मध्यम अवधि और बिजली खरीद के अल्पकालिक स्रोत शामिल हो सकते हैं। 68.2 लाइसेंसधारी समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, ट्रांसिमशन और वितरण बहु वर्षीय टैरिफ) विनियम, 2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार लोड पूर्वानुमान, बिजली खरीद योजना और बिजली खरीद प्रक्रिया की तैयारी के संबंध में पारदर्शी खरीद प्रक्रिया के तहत किफायती और प्रभावी तरीके से बिजली खरीदेगा।

69. कानून, नियमों और विनियमों का अनुपालन

- 69.1 वितरण लाइसेंसधारी अधिनियम, नियमों, विनियमों और आदेशों तथा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।
- 69.2 वितरण लाइसेंसधारी लाइसेंस में निर्दिष्ट इन सामान्य शर्तों के अनुसार कार्य करेगा सिवाय उसके जहां लाइसेंसधारी को किसी अलग आदेश के माध्यम से इन दिशा-निर्देशों से किसी विचलन के लिए विशेष रूप से छूट दी गई है या आयोग द्वारा अनुमति दी गई है।
- 69.3 वितरण लाइसेंसधारी राज्य लोड प्रेषण केंद्र और अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा उनके कार्यों के निर्वहन में जारी आदेशों और दिशा-निर्देशों का पालन करेगा।
- 69.4 वितरण लाइसेंसधारी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के संबंध में आयोग द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर संशोधित अनुसार मानक निष्पादन विनियमों और विद्युत आपूर्ति संहिता का पालन करेगा।

अध्याय 6

विविध

- 70. इन सामान्य शर्तों की व्याख्या के संबंध में और उसके बाद की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दे आयोग के निर्धारण के लिए एक विषय होंगे और ऐसे मुद्दों पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 71. अध्याय-2 और 4 के तहत सामान्य शर्तों के अलावा आयोग, विशिष्ट ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के वर्ग के लिए लागू विशिष्ट शर्तें निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसी शर्तों को ऐसे लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के वर्ग की शर्तों के रूप में माना जाएगा।

72. आयोग को रिपोर्ट करना

72.1 लाइसेंसधारी आयोग द्वारा अपेक्षित अनुसार समय-समय पर ऐसी रिपोर्ट, सूचना, डेटा प्रस्तुत करेगा।

73. बचत

- 73.1 इन विनियमों में किसी बात के बावजूद आयोग की शक्तियों को कम करने या प्रभावित करने के लिए ऐसे निर्देश या आदेश जारी नहीं किए जाएंगे जो न्याय की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक है या आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है।
- 73.2 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप किसी प्रक्रिया को अपनाने से नहीं रोकेगा, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान के साथ भिन्नता रखती है यदि आयोग ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग से निपटने के लिए ऐसा आवश्यक या समीचीन समझता है तो उसे इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।
- 73.3 नियमों में कुछ भी स्पष्ट या निहित रूप से आयोग को किसी भी मामले से निपटने या अधिनियम के तहत किसी भी शक्ति का उपयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिए आयोग द्वारा कोई विनियम नहीं बनाया गया है।

74. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

74.1 यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान बनाएगा जो अधिनियम, या सुधार अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों या संहिताओं के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों, जो कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत होते हैं।

75. संशोधन का अधिकार

75.1 आयोग किसी भी समय, इन विनियमों में किसी भी प्रावधान को जोड़ सकता है, उनमें परिवर्तन, बदलाव, आशोधन या संशोधन कर सकता है।

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4असा./511/ 2020-21]

परिशिष्ट 1

ट्रांसिमशन/ वितरण लाइसेंस देने के लिए आवेदन-पत्र

आवेदन सं
मामला सं (आयोग के कार्यालय द्वारा भरा जाए)
के मामले में:
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के तहत बिजली के ट्रांसिमशन/ वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान करना:

- <u>आवेदक का विवरण</u>
 - 1. आवेदक का नाम:
 - 2. निगमन का रूप, यदि कोई हो:
 - 4. पता:
 - 4. संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता:
 - 5. संपर्क के लिए दूरभाष नं.:
 - 6. फ़ैक्स नं.:
 - 7. ई-मेल आईडी:
 - 8. निगमन/ पंजीकरण का स्थान:
 - 9. निगमन/ पंजीकरण वर्ष:
 - 10. भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर आवेदक बिजली के ट्रांसमिशन/ वितरण करने का प्रस्ताव करता है:
 - 11. निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया जाए:
 - क) पंजीकरण/ निगमन का प्रमाण-पत्र;
 - ख) व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रमाण-पत्र;
 - ग) संस्था के बहिर्नियम और संस्था के अंतर्नियम;
 - घ) आवेदक या उसके प्रमोटर की प्रतिबद्धता के रूप में हस्ताक्षरकर्ता का मूल वकालतनामा;
 - ड.) आयकर पंजीकरण का विवरण;
 - च) ड्राफ्ट लाइसेंस;

छ) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन और वितरण लाइसेंसिंग) विनियम, 2020 के विनियम 3.6 में उल्लिखित सभी दस्तावेज

आवेदक के वित्तीय आंकड़ों का विवरण

12. पिछले तत्काल 5 (पांच) वित्तीय वर्षों का निवल मूल्य (प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर किया जाने वाला समतुल्य भारतीय रुपए-रूपांतरण)। (लागू वित्तीय वर्ष को निर्दिष्ट करें)

(दिवस/माह/वर्ष) (दिवस/माह/वर्ष)	से	घरेलू मुद्रा में	प्रयुक्त विनिमय दर	भारतीय समतुल्य	रुपए	के

उपर्युक्त के समर्थन में वार्षिक रिपोर्टों या प्रमाणित लेखापरीक्षा परिणामों की प्रतियां।

13. पिछले तत्काल 5 (पांच) वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक कारोबार (समतुल्य भारतीय रुपए में - प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर किया जाने वाला रूपांतरण)। (लागू वित्तीय वर्ष को निर्दिष्ट करें)

(दिवस/माह/वर्ष) (दिवस/माह/वर्ष)	से	घरेलू मुद्रा में	प्रयुक्त विनिमय दर	भारतीय समतुल्य	रुपए	के

उपर्युक्त के समर्थन में वार्षिक रिपोर्टें या प्रमाणित लेखापरीक्षा परिणामों की प्रतियां।

- 14. क्रेडिट रेटिंग का प्रमाण-पत्र
- 15. 'मानक' उधार खाते का प्रमाण-पत्र
- 16. यह प्रमाणपत्र कि आरबीआई ने आवेदक को 'जानबूझकर चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है।
- 17. उपर्युक्त क्र.सं. (10) और (11) के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की सूची:

क्र.सं.	दस्तावेजों का नाम
(क)	
(ख)	

- 18. क) क्या आवेदक स्वयं अपने तुलन-पत्र पर पूर्ण रूप से बिजली के प्रस्तावित ट्रांसमिशन/ वितरण का वित्त-पोषण करेगा।
 - ख) यदि, हाँ, आवेदक से प्रस्तावित इक्विटी
 - i. राशि:
 - ii. प्रतिशत:
- 19. यदि आवेदक इक्किटी के लिए किसी अन्य एजेंसी के साथ अनुबंध करने का प्रस्ताव करता है, तो ऐसी एजेंसी का नाम और पता:
 - क) अन्य एजेंसी के संदर्भ व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता:
 - ख) संपर्क दूरभाष नं.:

- ग) फैक्स नं.:
- घ) ई-मेल पता:
- ड.) दूसरी एजेंसी से प्रस्तावित इक्विटी
 - i. राशि:
 - ii. कुल इक्विटी का प्रतिशत:
 - iii. वह मुद्रा जिसमें इक्विटी प्रस्तावित है:
- च) इक्विटी भागीदारी के लिए आवेदक के साथ जुड़ने हेतु अन्य एजेंसी का सहमति-पत्र संलग्न किया जाए।
- छ) आवेदक और अन्य एजेंसी के बीच प्रस्तावित अनुबंध की प्रकृति।
- 20. ट्रांसिमशन/ वितरण गतिविधि के लिए प्रस्तावित ऋण का विवरण:
 - क) उधारदाताओं का विवरण:
 - ख) विभिन्न उधारदाताओं से प्राप्त होने वाली राशि:
 - ग) उपरोक्त के समर्थन में उधारदाताओं से पत्र संलग्न किया जाए।
- 21. आवेदक की क्षमता

(आवेदक को अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों और सामान्य रूप से बिजली क्षेत्र में पिछले अनुभव और विशेष रूप से बिजली के ट्रांसमिशन/ वितरण का उल्लेख करना आवश्यक है)

22. आवेदक की संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता:

(आवेदक को विनियमों के संदर्भ में विभिन्न कार्यपालकों, प्रस्तावित कार्यालय और संचार सुविधाओं, आदि की प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना और जीवनवृत्त के रूप में अपनी संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता का प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है)

23. दृष्टिकोण और पद्धति:

(आवेदक को अपने ट्रांसिमशन/ वितरण प्रणाली की स्थापना के लिए दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली तथा प्रस्तावित अनुसार बिजली के व्यवसाय ट्रांसिमशन/ बिजली के वितरण का संचालन करना का उल्लेख करना आवश्यक है। इसमें अगले पाँच वर्षों के दौरान उक्त व्यवसाय के लिए लाइसेंस देने और भावी योजनाओं के पहले वर्ष के दौरान बिजली के ट्रांसिमशन/ वितरण का व्यवसाय करने पर आवेदक की योजना का विवरण शामिल होना चाहिए।

- 24. आवेदक के भावी व्यवसाय से संबंधित आंकड़े
 - क) बिजली के ट्रांसिमशन या वितरण के लिए पंचवर्षीय व्यवसाय योजना, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है और भविष्य में लोड वृद्धि के लिए रखरखाव, संचालन, सुधार और विस्तार के लिए प्रस्तावित लाइसेंस के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए निधियों की व्यवस्था।
 - ख) उपलब्ध आंकड़ों को दर्शाते हुए अनुमानों के आधार पर लागत, बिक्री, राजस्व और परियोजना वित्तपोषण के पंचवर्षीय वार्षिक पूर्वानुमान।

(आवेदक के हस्ताक्षर	.)
स्थान:	
दिनांक:	

मानित लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र

आवेदन सं			
मामला सं	(आयोग के काय	लिय द्वारा भरा	जाए)
के मामले में:			

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के तहत बिजली के ट्रांसिमशन/ वितरण के लिए मानित लाइसेंस प्रदान करना:

आवेदक का विवरण

- 1. आवेदक का पूरा नाम:
- 2. आवेदक का पता:
- 3. आवेदन शुल्क (डीडी विवरण):
- 4. पंजीकृत कार्यालय पता:
- 5. स्थानीय कार्यालय का पता/ प्रशासनिक कार्यालय का पता:
- 6. संपर्क के लिए दूरभाष सं.:
- फ़ैक्स नं.:
- 8. ईमेल पता:
- 9. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण:
- 10. निगमन का रूप, यदि कोई हो:
- 11. निगमन/ पंजीकरण का स्थान:
- 12. निगमन/ पंजीकरण का वर्ष:
- 13. निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया जाए:
 - क) पंजीकरण/ निगमन का प्रमाण-पत्र;
 - ख) व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रमाण-पत्र;
 - ग) संस्था के बिहर्नियम और संस्था के अंतर्नियम (विद्युत वितरण का विधिवत उल्लेख करना व्यावसायिक गतिविधि में से एक है);
 - घ) आवेदक या उसके प्रमोटर की प्रतिबद्धता के रूप में हस्ताक्षरकर्ता का मूल वकालतनामा;
 - ड.) आयकर पंजीकरण का विवरण;
- 14. निदेशकों/ सक्षम अधिकारियों के नाम और पते (विवरण दें, यदि लागू हों):
- 15. प्रमुख शेयरधारक/ भागीदार/ सदस्य:
- 16. प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि:
- 17. भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर आवेदक वितरण करने का प्रस्ताव रखता है (जब आवश्यक हो संलग्न नक्शे का संदर्भ देते हुए सीमाओं का उल्लेख करें):
- 18. बिजली विवरण:
 - क) बिजली का स्रोत:
 - i. वोल्टेज:

- ii. आपूर्ति का स्रोत (अन्य/ डिस्कॉम से स्वयं उत्पादित/ खरीदी गई):
- iii. पिछले 12 महीनों में हैंडल की गई बिजली की मात्रा:
 - मांग (मेगावॉट):
 - ऊर्जा (एमयू):
- iv. क्या आपके पास किसी भी डिस्कॉम/ उत्पादन/ व्यवसाय के साथ कोई बिजली आपूर्ति समझौता है, यदि हां, तो बिजली खरीद का संक्षिप्त विवरण प्रदान करें
- ख) बिजली की आपूर्ति:
 - i. आपूर्ति की मात्रा:
 - ii. जिन व्यक्तियों को बिजली दी जानी है उन व्यक्तियों की श्रेणियों (सदस्यों/ कर्मचारियों की कॉलोनियों/ अन्य समस्याओं/ आम जनता, आदि) का पूर्ण विवरण दिया जाए:
- ग) भावी लोड वृद्धि, आपूर्ति दायित्वों आदि को पूरा करने के लिए रखरखाव, संचालन, सुधार और विस्तार के लिए वित्त-पोषण की व्यवस्था।
- घ) क्या आवेदक स्वयं अपने तुलन-पत्र पर पूरी तरह से बिजली के प्रस्तावित वितरण का वित्तपोषण करेगा:

यदि, हाँ, आवेदक से प्रस्तावित इक्विटी:

- i. राशि:
- ii. प्रतिशत:
- 19. आवेदक की संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता:
- 20. (आवेदक को विनियमों के संदर्भ में विभिन्न कार्यपालकों, प्रस्तावित कार्यालय और संचार सुविधाओं, आदि की प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना और जीवनवृत्त के रूप में अपनी संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता का प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है)
 - क) प्रबंधन क्षमता:
 - ख) वित्तीय क्षमता:
 - ग) स्थायी तरीके से आपूर्ति कार्य का निर्वहन करने की क्षमता:
- 20. वह तारीख जिससे मानित लाइसेंस की मांग की गई है:वह अवधि जिसके लिए मानित लाइसेंस मांगा गया है:
- 21. लाइसेंस मांगने का विस्तृत औचित्य:
- 22. अन्य सूचना:
 - क) क्या आवेदक या उसके किसी साथी या प्रमोटर या निदेशक या एसोसिएट्स को दिवालिया घोषित किया गया है और उसे डिस्चार्ज नहीं किया गया है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
 - ख) आवेदन करने के वर्ष से पहले तीन वर्षों के दौरान आवेदक के धोखाधड़ी या आर्थिक अपराधों, उसके किसी भी साथी, प्रमोटर या निदेशक या एसोसिएट्स को दोषी ठहराए जाने के मामलों का विवरण:

- ग) आवेदक अपने, उनके सहयोगियों या प्रमोटरों या निदेशकों या एसोसिएट्स के सभी लंबित मामलों का विवरण, जिसमें विवाद की प्रकृति शामिल होगी, चाहे वह दिवानी या आपराधिक मामले हों, दूसरे पक्ष या पार्टियों का नाम, अदालत जिनके समक्ष मामले लंबित हैं और नवीनतम स्थिति;
- घ) क्या आवेदक या उसके किसी साथी, या प्रमोटर या निदेशक या एसोसिएट्स को लाइसेंस देने से कभी मना किया गया था। यदि हां, तो आवेदन करने की तारीख, मना करने की तारीख और इनकार के कारणों का विवरण दें।

	•	_	~.	\circ	0
23.	सलग्न	दस्तावे	जा	का	सुचा:

क)

ख)

(आवेदक के हस्ताक्षर)
स्थान:	
दिनांक:	

मानित लाइसेंस के आवेदन के साथ दस्तावेजों की सूची

- 1. कंपनियों के रजिस्ट्रार से निगमन का प्रमाण-पत्र;
- 2. कंपनी के संस्था के बहिर्नियम/संस्था के अंतर्नियम/ पार्टनरशिप विलेख आदि की प्रतियां।
- 3. आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकारी का प्रमाण;
- 4. प्रबंधन और वित्तीय क्षमता से संबंधित आंकडे:
 - क) प्रबंधकीय:
 - i. वरिष्ठ प्रबंधन का जीवन-वृत्त;
 - ii. विभिन्न श्रेणियों के लिए संवर्ग संख्या, तकनीकी और गैर-तकनीकी।
 - ख) वित्तीय:
 - i. बैंक संदर्भ यह पृष्टि करते हुए कि आवेदक आर्थिक रूप से सक्षम है;
 - ii. नवीनतम तुलन-पत्र;
 - iii. आवेदक और किसी भी धारिता कंपनी, सहायक कंपनी या पिछले तत्काल तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए संबद्ध कंपनी के लेखा-परीक्षित खाते:
 - iv. किसी प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट से उपर्युक्त विवरणों पर संलग्न टिप्पणियां और प्रमाणपत्र।
- 5. आवेदक के भावी व्यवसाय से संबंधित आंकड़े
 - क) व्यवसाय की पंचवर्षीय व्यवसाय योजना जिससे आवेदन संबंधित है;
 - ख) लागत, बिक्री, राजस्व और परियोजना वित्तपोषण के पंचवर्षीय वार्षिक पूर्वानुमान, जिसमें प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर मान्यताओं का उल्लेख किया गया हो।

आपूर्ति के प्रस्तावित क्षेत्र के विस्तृत नक्शे:

विस्तृत नक्शे जिसमें आपूर्ति किए गए क्षेत्र और सब-स्टेशनों सिहत ट्रांसिमशन/ सब-ट्रांसिमशन और वितरण प्रणाली की रूपरेखा शामिल हो। मानचित्र में मौजूदा प्रणाली और आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए आवश्यक किसी भी नई सुविधाओं के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया जाएगा।

नक्शे में गलियों और सड़कों को दर्शाया जाएगा जहां बिजली वितरित की जाती है और सार्वजनिक और निजी के बीच अंतर बताया जाएगा।

- 7. अवलंबी डिस्ट्रीब्यूशन/ राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता (एसटीयू) पर आवेदन की प्रति का सेवा- प्रमाण;
- 8. उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी प्रस्तुत न किए जाने के कारण;
- 9. आयकर पंजीकरण का विवरण:
- 10. कोई अन्य संगत जानकारी।

परिशिष्ट 2

गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग गुरुग्राम

ट्रांसमिशन लाइसेंस

- 1. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (इसके बाद "आयोग" के रूप में संदर्भित), विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 16 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह लाइसेंस मैसर्स...........(इसके बाद लाइसेंसधारी के रूप में संदर्भित) को(परियोजना का नाम) का निर्माण, रखरखाव और संचालन करने के लिए प्रदान किया जाता है, जिसका इस लाइसेंस से जुड़ी अनुसूची में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसे इस ट्रांसिमशन लाइसेंस के अनिवार्य भाग के रूप में पढ़ा जाएगा, जो संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसिमशन और वितरण लाइसेंसिंग) विनियम, 2020 और आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य विनियमों (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत विनिर्दिष्ट अधिनियम, नियमों और ट्रांसिमशन लाइसेंस की सामान्य शर्तों के अधीन है, जिसमें सांविधिक संशोधन, परिवर्तन, आशोधन, पुन: लागू किए गए संशोधन शामिल हैं और जिन्हें इस लाइसेंस के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा।
- जहां भी इस लाइसेंस और समझौतों में निहित नियमों और शर्तों के बीच विरोधाभास है, वहां समय-समय पर संशोधित इस लाइसेंस के प्रावधान लागू होंगे।
- 3. यह ट्रांसिमशन लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं है।
- 4. लाइसेंसधारी को ट्रांसिमशन लाइसेंस प्रदान करने से आयोग के अधिकार किसी भी तरह से या इस लाइसेंस से संबद्ध अनुसूची में वर्णित परियोजना के अलावा ट्रांसिमशन प्रणाली के लिए उसी क्षेत्र के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसिमशन लाइसेंस प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं होंगे। लाइसेंस। ट्रांसिमशन लाइसेंसधारी किसी भी विशिष्टता का दावा नहीं करेगा।
- 5. ट्रांसमिशन लाइसेंस, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता है, जारी होने की तारीख से 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा।

र जारी रहेगा।
(सचिव)
संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
स्थान: गुरुग्राम
तारीख:

अनुसूची

परियोजना संबंधित विवरण:

परियोजना में अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

क्र.सं.	ट्रांसमिशन घटक का नाम	चालू होने की अनुसूचित तारीख

(सचिव)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

स्थान: गुरुग्राम

तारीख:।

गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग गुरुग्राम

वितरण लाइसेंस

- 1. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (इसके बाद "आयोग" के रूप में संदर्भित), विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 16 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह लाइसेंस मैसर्स...........(इसके बाद लाइसेंसधारी के रूप में संदर्भित) को(परियोजना का नाम) का निर्माण, रखरखाव और संचालन करने के लिए प्रदान किया जाता है, जिसका इस लाइसेंस से जुड़ी अनुसूची में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसे इस ट्रांसिमशन लाइसेंस के अनिवार्य भाग के रूप में पढ़ा जाएगा, जो संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसिमशन और वितरण लाइसेंसिंग) विनियम, 2020 और आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य विनियमों (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत विनिर्दिष्ट अधिनियम, नियमों और ट्रांसिमशन लाइसेंस की सामान्य शर्तों के अधीन है, जिसमें सांविधिक संशोधन, परिवर्तन, आशोधन, पुन: लागू किए गए संशोधन शामिल हैं और जिन्हें इस लाइसेंस के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा।
- 2. वितरण का क्षेत्र:

वितरण का क्षेत्र निम्नानुसार पूर्ण क्षेत्र होगा:

उत्तर - द्वारा

पूर्व - द्वारा

दक्षिण - द्वारा

पश्चिम - द्वारा

- 3. यह वितरण लाइसेंस अधिनियमों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों को छोड़कर, हस्तांतरणीय नहीं है।
- 4. वितरण लाइसेंसधारी आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना:
 - क) खरीद या अधिग्रहण या किसी अन्य लाइसेंसधारी की उपयोगिता द्वारा अधिग्रहण करने के लिए कोई लेनदेन नहीं करेगा; या
 - ख) किसी अन्य लाइसेंसधारी की उपयोगिता के साथ अपनी उपयोगिता का विलय नहीं करेगा;

- 5. वितरण लाइसेंसधारी किसी भी समय आयोग के पूर्वानुमोदन के बिना, बिक्री, पट्टे, विनिमय या अन्यथा इसकी उपयोगिता, या इसके किसी भी भाग को हस्तांतरित नहीं करेगा।
- 6. जब तक आयोग की स्वीकृति नहीं ली जाती, उप-खंड (4) और उप-खंड (5) में उल्लिखित कोई भी लेनदेन से संबंधित कोई भी समझौता अमान्य होगा।
- 7. लाइसेंसधारी को वितरण लाइसेंस प्रदान करने से आयोग के अधिकार बिजली के वितरण के लिए उसी क्षेत्र के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस देने के लिए किसी भी तरह से बाधित या सीमित नहीं होंगे। वितरण लाइसेंसधारी किसी भी विशिष्टता का दावा नहीं करेगा।
- 8. यह वितरण लाइसेंस इसके जारी होने की तारीख से शुरू होगा और जब तक पहले रद्द नहीं किया जाता, यह 25 (पच्चीस वर्ष) की अवधि के लिए लागू रहेगा।
- 9. वितरण लाइसेंसधारी आयोग को पूर्व सूचना देते हुए, अपनी परिसंपत्तियों के इष्टतम उपयोग के लिए किसी भी व्यवसाय में संलग्न हो सकता है:
 - बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी बिजली के ट्रांसिमशन के व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा।
- 10. वितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा निर्दिष्ट लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा।
- 11. अधिनियमों में निहित प्रावधान वितरण लाइसेंसधारी पर वितरण लाइसेंस के निरस्तीकरण और उसकी उपयोगिता की बिक्री के संबंध में लागू होंगे।

(सचिव)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

स्थान: गुरुग्राम

तारीख:।

परिशिष्ट- 3

बिजली के ट्रांसिमशन या वितरण के लिए लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन-पत्र संयुक्त विद्युत विनियामक समिति के समक्ष

आवेदन सं		
मामला सं	(आयोग के कार्यालय	द्वारा भरा जाए)
के मामले में [.]		

2003 के बिजली विभाग की धारा 18 के तहत ट्रांसिमशन/ वितरण के लिए लाइसेंस में संशोधन प्रदान करना:

- 1. लाइसेंसधारी का नाम
- पता

आवेदक बिजली आपूर्ति ट्रांसिमशन/ वितरण (जो लागू न हो उसे काट दें) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 18 के तहत आयोग को एतदृद्वारा अपने मौजूदा लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन या संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता हैं:

1.	मौजूदा लाइसेंस के विवरण।		
	क) लाइसेंस सं	दिनांक	

ख) लाइसेंस की श्रेणी - ट्रांसमिशन या वितरण।

- ग) इसकी आपूर्ति/ ट्रांसमिशन का क्षेत्र।
- घ) आपूर्ति/ ट्रांसिमशन के क्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तन, यदि कोई हो।

मौजूदा क्षेत्र	प्रस्तावित क्षेत्र

- i. प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन से प्रभावित होने वाले आपूर्ति/ ट्रांसमिशन के क्षेत्र के भीतर आने वाले जिला परिषदों और नगरपालिकाओं का नाम और पता।
- ii. प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन से प्रभावित होने वाले आपूर्ति/ ट्रांसिमशन के क्षेत्र के भीतर आने वाले रक्षा उद्देश्यों के लिए छावनी, पत्तन, किले, शस्त्रागार, गोदी या शिविर या सरकार के कब्जे में कोई इमारत या स्थान।
- 2. अन्य खंडों में प्रस्तावित विशिष्ट संशोधन/ परिवर्तन।

मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/ परिवर्तन						
3. प्रस्तावित परिवर्तन/ संशोधन करने व	प्रस्तावित परिवर्तन/ संशोधन करने के कारण।						
4. यदि प्रस्तावित संशोधन/ परिवर्तन से	यदि प्रस्तावित संशोधन/ परिवर्तन से अतिरिक्त निवेश होगा, तो इसके लिए निधियों की व्यवस्था।						
5. अन्य कोई विवरण जो प्रासंगिक/ आव	अन्य कोई विवरण जो प्रासंगिक/ आवश्यक माना जाता है।						

6.	परिवर्त	निया र	पंशोधन	ा के लिए	शुल्क व	न वि	वरण। डीडी सं	f	देनांक		13	गोवा
	राज्य	और	संघ	राज्य	क्षेत्रों	के	लिए संयुक्त विद्युत	विनियामक	आयोग के	सचिव	के	पक्ष
	में			र	पए के ि	लेए ः	आहरित	; गुरुग्राम, हिन्	त्याणा में देय	1		

(आवेदक के हस	ताक्षर)
--------------	---------

स्थान:	••	• •	•	•	• •	•	•	 •	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•
टियांक:																		

मौजूदा लाइसेंस में संशोधन/ परिवर्तन के लिए आवेदन के साथ संलग्न की जाने वाली दस्तावेज की सूची

- 1. उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर अधिकृत व्यक्ति का शपथ-पत्र।
- 2. मौजूदा लाइसेंस और नामित मानचित्र की प्रतिलिपि।
- 3. आपूर्ति या ट्रांसमिशन के क्षेत्र का मानचित्र, यदि ऐसे क्षेत्र में परिवर्तन या संशोधन प्रस्तावित है।
- 4. कंपनी/ सोसायटी/ स्थानीय प्राधिकारी का प्रासंगिक संकल्प।
- 5. आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के पक्ष में निदेशक मंडल का अधिकार-पत्र।
- 6. विनियम 3.6 और परिशिष्ट में उल्लिखित दस्तावेज और प्रस्तावित संशोधन और आवेदन शुल्क के भुगतान के प्रमाण से संबंधित परिशिष्ट-1.

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES)

NOTIFICATION

Gurugram, the 10th February, 2021

No. JERC:27/2021: — In exercise of the powers conferred under Section 15 &16 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) (hereinafter referred to as 'the Act'), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & Union Territories)hereby makes the following Regulations, namely:

1. Short Title, Commencement and Extent

- 1.1 These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020.
- 1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.
- 1.3 These Regulations shall apply to licensees for transmission and distribution of electricity.
- 1.4 These Regulations extend to the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry.

2 Definitions:

- 2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:
 - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003);
 - (b) "Annual Accounts" means the accounts of the Transmission/Distribution Licensee prepared in accordance with the provisions of the Companies Act 1956, Companies Act 2013 as amended from time to time, and/or in such other manner as may be directed by the Commission from time to time in terms of the provisions of the Act;
 - (c) "Applicant" means the person who made an application for a grant of a licence for Intra-State Transmission of Electricity and/or Distribution Licensee;
 - (d) "Area of Distribution" or "Area of Supply" means the area within which a Distribution Licensee is authorized to establish, operate and maintain a distribution system for supply of electricity under the terms and conditions stipulated by the Commission in the licence;
 - (e) "Area of Transmission" means the area stated in the Transmission Licence within which the Transmission Licensee is authorized to establish, operate and maintain transmission lines and transmission system;
 - (f) "Auditors" means the Transmission/Distribution Licensee's auditors, and if the Transmission/Distribution Licensee is a company, auditors holding office in accordance with the requirements of the Companies Act 1956, Companies Act 2013 as amended from time to time;
 - (g) "Commission" or "JERC" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra& Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry;
 - (h) "Deemed Licensee" means a person authorized under Sub-Section (b) of Section 14 and also under the first, second, third, and fifth provisos to Section 14 of the Act to operate and maintain a distribution system for supply of electricity to the consumers in his area of supply;
 - (i) "Distribution" means the conveyance or wheeling of electricity by means of a Distribution System;
 - (j) "Distribution Business" means authorized business of a Distribution Licensee to operate and maintain a Distribution System for supplying electricity to the consumers in the Area of Supply;
 - (k) "Distribution Licensee" means the person authorized by a "Distribution Licence" to operate and maintain a distribution system for supply/conveyance/wheeling of electricity to the consumers in his area of supply and shall include the deemed licensee;
 - (l) "Force Majeure" means events beyond the reasonable control of a Transmission/Distribution Licensee but not limited to earthquake, cyclone, lightning, riot, flood, storm, war, mutiny, terrorist attack, civil commotion, lock out, fire affecting the Licensee's installations or other similar occurrence that leads to any act which would involve a breach of relevant laws or regulations concerned with supply of electricity;
 - (m) "General Conditions" mean General Conditions of Transmission/Distribution Licence as specified in these Regulations;
 - (n) "Grid Code" means the Grid Code specified by the Commission under Clause (h) of Sub-Section (1) of Section 86 of the Electricity Act and includes the Indian Electricity Grid Code as applicable and in force on the date of commencement of these Regulations;

- (o) "Licence" means a licence granted under Section 14 of the Act, 2003;
- (p) "Licensed Business" means the business of Transmission/Distribution and Retail Supply of electricity in the Area of Licence as authorized under the Transmission/Distribution Licence;
- (q) "Major Incident" means an incident associated with the Transmission/Distribution of electricity, which results in a significant interruption of service, substantial damage to equipment, or loss of life or significant injury to human beings, or as otherwise specified by the Commission and shall also include any other incident which the Commission declares to be a Major Incident;
- (r) "Meeting" means hearings, meetings, discussions, deliberations, inquiries, investigations, consultations as held by the Commission from time to time in the discharge of its functions under the Act;
- (s) "Officer" means an officer of the Commission;
- (t) "Open Access" means the non-discriminatory provision for the use of transmission lines or transmission system or associated facilities with such lines or system by any licensee or consumer or a person engaged in generation accordance with the Electricity Act and the regulations specified by the Commission;
- (u) "Other Business" means any business of a Transmission/Distribution Licensee other than the Licensed Business:
- (v) "Petition" means and includes all petitions, applications, complaints, appeals replies, rejoinders, supplemental pleadings, other papers and documents;
- (w) "Proceedings" means and includes proceedings of all nature that the Commission may hold in the discharge of its function under the Act;
- (x) "Receiving Officer" means the officer designated by the Commission for receiving the petition;
- (y) "Regulations" means the Regulations made by the Commission, under the provisions of the Act;
- (z) "Retail Supply" means the supply of electricity to any consumer by a Distribution Licensee within its area of supply and the words "Retail Supplier" and "Retail Supply Business" shall be construed accordingly in that context;
- (aa) "Secretary" means the Secretary to the Commission;
- (bb) "Supply" means the supply of electricity and the word "Supplier" is construed accordingly;
- (cc) "Transmission Licence" means a licence granted by the Commission to a person /company under Section 14(a) of the Act for establishing, operating and maintaining of transmission lines and transmission system in the area specified in the licence. The words "Transmission Licensee" shall be construed accordingly;
- (dd) "Transmission System" means the system consisting of EHV electric lines being operated at EHV (excluding generator interconnection facilities) owned and/or operated by the Transmission Licensee for the purposes of transmission of electricity from one power station to a sub-station or to another power station or between sub-stations or to or from any external interconnection equipment up to the interconnection with the distribution system and includes the plant and apparatus and meters owned or used by the Transmission Licensee in connection with the transmission of electricity, but shall not include any part of any Licensee's distribution system;
- (ee) "Year" means a period of twelve months from 1st April of a calendar year to 31st March of the following calendar year.
- 2.2 All other words and expressions used in these Regulations if not specifically defined herein above, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act. The other words and expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act but defined under any other law passed by the Parliament applicable to the electricity industry in the State or Union Territory shall have the meaning assigned to them in such law.

Chapter - 1

Procedure for Grant of Transmission/Distribution Licence

3 Application for Grant of Transmission/Distribution Licence

3.1 The Regulations contained herein shall apply to all person desirous of engaging in the business of Transmission/Distribution of Electricity within the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry.

- 3.2 An application for any Transmission/Distribution Licence shall be made in accordance with the provision of the Act and these Regulations.
- 3.3 An applicant shall make an application to the Commission for grant of licence in the form specified in Appendix 1 of these Regulations and in the manner directed by the Commission and accompanied by such fee as may be prescribed by the Governmentfrom time to time.
- 3.4 Until otherwise specified, the fees payable for grant of licence, shall be as per Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Conduct of Business Regulations), 2009 and as amended from time to time.
- 3.5 Any person intending to apply for licence shall duly comply with the conditions and requirements laid down by the Commission.
- 3.6 The Commission may, if considered appropriate, advertise in newspapers or otherwise notify in such other appropriate manner as the Commission may decide inviting applications for grant of licence for Transmission/Distribution of Electricity thereby always guaranteeing the principle of transparency.
- 3.7 Every application for grant of licence shall be signed by the applicant or by an authorized signatory on behalf of the applicant and shall be addressed to the Secretary of the Commission or such officer as the Commission may designate in this behalf and it shall be accompanied by:
 - (a) Six (6) copies in print, and one (1) soft copy of the draft licence as proposed by the applicant with the name and address of the applicant and of his agent (if any) printed on the outside of the draft;
 - (b) Three (3) copies, each signed by the applicant, of maps of the proposed service area and, in the case of supply of the streets or roads in which the supply of electricity is to be made, which shall be so marked or coloured as to define any portions of such area and streets or roads which are under the administrative control of any local authority and shall be on a scale:
 - i. Maps of the proposed area of licence on a scale of not less than 10 cm to a km; or
 - ii. if no such maps are available, of not less than that of the largest scale ordinance maps available; or
 - iii. such other scale as may be approved by the Commission in a specific case.
 - (c) A Detailed map(s) of the proposed area for transmission/supply, showing the area to be supplied and the configuration of the Transmission/Distribution system. The map(s) shall clearly distinguish between the existing system and any new facilities that are or will be required for the purpose of providing transmission/supply of electricity. The map(s) shall indicate the sub-station, distribution mains, transmission/distribution network, streets and roads on which energy is supplied to various consumers and distinguish between public and private consumers;
 - (d) A detailed project report in relation to the construction, operation and/or maintenance of the transmission/distribution system proposed to be undertaken by the Applicant in the Area of Activity;
 - (e) A list of all the local authorities (viz. Gram Panchayat, Taluka Panchayat, District Panchayat, Municipal Area) vested with the administration of any portion of the proposed Area of Licence through which the proposed transmission/ distribution line will pass;
 - (f) An approximate statement describing any land which the Applicant proposes to acquire for the purpose of the Licensed Business and the means of such acquisition;
 - (g) Anapproximate statement of the capital proposed to be expended in connection with the utility and such other particulars as the Commission may require;
 - (h) A relevant information pertaining to the availability of adequate number of competent personnel to construct, operate and/or maintain the transmission/ distribution system effectively and efficiently, the availability of infrastructure facilities and the financial capacity to carry out the project;
 - (i) A copy of the Memorandum and Articles of Association of the company, where the Applicant is a body corporate, and similar applicable documents of incorporation, registration or agreement in case of other business entities;
 - (j) Accompanying notes and certifications, if any, on the above statements, from a chartered accountant;
 - (k) A copy of the Annual accounts of the Applicant for the previous three years or other similar documents as may be required;
 - (1) A receipt for such payment of application fee as specified in accordance with Clause (3.3) above;
 - (m) Applicant's details including technical, capital adequacy and credit-worthiness;
 - (n) A copy of letter seeking consent from local authority or consent letter;

- (o) A copy of letter seeking consent from the Central Government as per Section 15(2)(ii) of the Act, if applicable;
- (p) Where the Applicant is a company, details of any group company engaged in the business of generation, distribution, transmission or trading, whether within the State of Goa and Union Territories or in any other State;
- (q) Where the Applicant is not a company, details of the business of generation, distribution, transmission or trading, whether within the State of Goa and Union Territories or in any other State, in which the Applicant is directly or indirectly interested;
- (r) Brief history of the promoters where the Applicant is a company;
- (s) Such other documents or information as the Commission may seek;

4 Recommendations of State Transmission Utility (STU) for grant of Transmission Licence

- 4.1 The Transmission Licensee applicant shall immediately on making application in manner specified above, forward a copy of the application along with all the enclosures to the State Transmission Utility for its recommendations.
- 4.2 The State Transmission Utility shall acknowledge receipt of the application and shall within thirty (30) days of the receipt of said application, send its recommendations, if any, to the Commission.
- 4.3 The State Transmission Utility shall whether it sends its recommendations or not, submit a report to the Commission on the following aspects within thirty (30) days of receipt of copy of the application for grant of licence:
 - (a) Whether the assets mentioned in the application form for Transmission Licence form part of Intra-State Transmission System;
 - (b) Whether the assets mentioned in the application form part of the transmission plan;
 - (c) Whether the completion schedule mentioned in the application is feasible, synchronizes with expansion of other parts;
 - (d) Technical suitability of the assets;
 - (e) Justifiability of the estimated cost of completion indicated in the application;
 - (f) Any other relevant information the State Transmission Utility desire to convey to the Commission;
- 4.4 The recommendations, if any, and report by the State Transmission Utility shall be endorsed to the Applicant.
- 4.5 The Commission shall take into consideration the comments of the State Transmission Utility but the recommendations and the report of the State Transmission Utility shall not be binding on the Commission.

5 Copies of maps and draft licence for public inspection

- 5.1 The applicant shall keep at his own office and of his agents (if any) and shall deposit at the office of every local authority invested with the administration of any portion of the proposed area of supply:
 - i. Copies of the maps referred to in Clause 3.7 (b) above for public inspection; and
 - ii. A sufficient number of copies of the draft licence shall be furnished to all persons applying for them at a price not exceeding the normal photocopying charges.

6 Contents of Draft Licence

- 6.1 The Draft Licence shall contain the following particulars:
 - i. A short title descriptive of the proposed utility together with the address and description of the applicant and if the applicant is a company, the names of all the directors of the company;
 - ii. Type of Licence applied for;
 - iii. Locations of the proposed service area;
 - iv. A description of the proposed area; and
 - v. Such other particulars as the Commission may direct.

7 Conditions of Transmission/ Distribution Licence

- 7.1 The General Conditions subject to which each of the categories of licence shall be laid down by the Commission.
- 7.2 The Commission may decide on the special conditions subject to which licence shall be issued to the applicant.
- 7.3 Any person intending to apply for licence shall duly comply with the conditions and requirements laid down by the Commission.

8 Form of Draft Licence

8.1 The Commission may, from time to time, prescribe the form of licence to be issued and this form of licence may, with such variation as the circumstances of each case require, be used for the purposes of these Regulations.

9 Receipt and Acknowledgement of Application

9.1 Upon receipt of the application for grant of Transmission/Distribution Licence, the Secretary of the Commission or the Receiving Officer shall enter the particulars thereof in a register to be maintained for this purpose and allot a reference number to the application. The Secretary or the Receiving Officer shall send an acknowledgement to the Applicant at the address stated in the application including the date of receipt and the reference number.

10 Scrutiny of Application and Calling for Additional information

- 10.1 The Commission or the Secretary or any other officer designated by the Commission for this purpose, may, upon scrutiny of the application, require the Applicant to furnish, such additional information or documents as may be considered necessary for the purpose of dealing with the application.
- 10.2 The scrutiny of an application shall be in accordance with the Clause 15 of Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Conduct of Business Regulations), 2009 and as amended from time to time:

Provided, that, if on scrutiny, an application for grant of a licence is found to be incomplete or deficient in any manner, it shall be returned to the applicant for making a fresh application after completing it or removing deficiencies. The applicant shall be advised in writing of any defects in the pleadings and the time allowed to rectify them. The applicant shall follow the procedure laid down in this regulation in respect of his fresh application except that the application processing fee will not be required to be paid again.

11 Notifying the due filing of the application

11.1 If the Commission finds the application to be complete, accompanied by the requisite information, particulars and documents, and finds that the applicant has complied with all the requirements for making the application and furnishing of information, particulars and documents, the Commission or the Secretary shall certify that the application is ready for being considered for grant of licence in accordance with the applicable laws.

12 Public Notice of Application

- 12.1 Unless exempted by the applicable laws/Commission, the Applicant shall, within seven (7) days from date of admission of the application, publish a notice of his application by public advertisement in one English and one Local daily newspapers having wide circulation in the area of Transmission/Distribution for which the Licence is sought, and such advertisement shall contain such particulars as have been directed by the Commission in these Regulations, namely:
 - (a) Name of the Applicant in bold at the top clearly bringing out whether the Applicant is an individual, or a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932, or a private limited company or a public limited company, incorporated under the Companies Act, 1956, Companies Act, 2013 or any other incorporated or unincorporated body giving full particulars of its office address and also the registered office address, if any;
 - (b) A statement that the Applicant has submitted an application to the Commission for grant of a Transmission/Distribution Licence under Section 15 of the Act;
 - (c) Proposed Area of Transmission/Distribution Licence;
 - (d) Financial and technical strength, management profile and share holding pattern, if any, of the Applicant;
 - (e) A statement to the effect that the application and other documents filed before the Commission from time to time, are available with the Applicant for inspection by any person;
 - (f) The names, addresses and other necessary details of the person(s) nominated by the applicant in major cities or towns of area of proposed Transmission/Distribution Licence, who can make available for inspection, the application and other documents or from whom they can be purchased in person, or by post at reasonable charges, not exceeding photocopying charges;
 - (g) Brief particulars of the proposed Transmission/Distribution Licence;
 - (h) A statement to the effect that the completed application is available on the website of the Applicant or any other authorized website and can be downloaded free of cost;
 - (i) A statement that objections, if any, may be filed before the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories within thirty (30) days of publication of the

notice giving the address of office of the Commission:

Provided that the Applicant may request the Commission to permit it to refrain from publishing any of the above information in order to protect its business interests or rights in intellectual property with sufficient and reasonable grounds and the Commission may grant or reject such request after due consideration;

Provided further that the Applicant may be required to publish, in the manner specified, a non-confidential summary of the above information;

- (j) In addition to the above, the Commission may direct that notice of the application be served on any designated representative of the Central Government; the State Government, any local authority or any other authority or person or body as the Commission may deem appropriate;
- (k) The Applicant shall, within seven (7) days from the date of publication of the notice as aforesaid, submit to the Commission an affidavit, the details of the notice published, and shall also file relevant copies of the newspapers in which the notices were published.

13 Public Inspection of Application and Documents

- 13.1 From the date of publication of notice in accordance with Regulation 12 above, the Applicant shall make available at its own office and the office/s of its agents (if any) and also with every local authority as may be specified by the Commission from time to time, copies of the application and all the documents submitted therewith.
- 13.2 The Applicant shall furnish, to all persons applying, printed copies of its application, together with the attachments thereto, at the reasonable cost of photocopying such material.

14 Amendment of Draft Licence

14.1 Any person who desires to have any amendment made in the Draft Licence shall deliver a statement of the amendment to the applicant and to Secretary or such Officer as the Commission may designate in this behalf within a period thirty (30) days from the date of publication of notice of the application by way of advertisement in newspapers.

15 Objections and Suggestions

- 15.1 Any person intending to object/suggest to the grant of the Transmission/Distribution Licence shall file objections/suggestions within thirty (30) days from the date of issue of the first advertisement referred to in Regulation 12 above. The objections/suggestions shall be addressed to the Secretary of the Commission, with a copy to the Applicant.
- 15.2 Where an objection is received from any local authority concerned, the Commission shall, if in its opinion the objection is untenable, record the opinion in writing and communicate it to such local authority along with reasons, therefor.
- 15.3 Upon receipt of such objections/suggestions, the Secretary/designated officer shall imprint thereference number of the concerned application for grant of Transmission/Distribution Licence on the same and shall place such objections in the file relating to the concerned application, and also post the same on the Commission's website.
- 15.4 The Applicant shall submit comments on the objections or suggestions received in response to the notice under Regulation 12 above within fifteen (15) days of expiry of thirty (30) days' notice mentioned in Clause (15.1) above.
- 15.5 The objection/suggestions/comments on the objections shall be filed in the form of a reply and the provisions of Chapter II dealing with a reply/objection of Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business Regulations), 2009 and as amended from time to time.
- 15.6 In case of an application for a Transmission/Distribution Licence for an area including the whole or any part of any cantonment, aerodrome, fortress, arsenal, dockyard or camp or of any building or place in the occupation of the Central Government for defense purposes, before granting Transmission/Distribution Licence, the Commission shall ascertain that there is no objection, on the part of the Central Government, for grant of such Distribution Licence:
 - Provided that in case there is no response from the Central Government in this regard, the Commission may, at Its discretion, proceed further in accordance with Law.

16 Hearing and local inquiry

16.1 If the applicant has duly arranged for the publication of the notice of the intended application and the time for filing of the objections is over and after the applicant has furnished to the Commission the no objection, if required from the Central Government, the Commission shall proceed to place the application for regular hearing.

- 16.2 The Commission shall give the notice of inquiry or hearing to the applicant, the persons who had filed objections, the Central Government, the concerned Government and such other authority, person or body as the Commission considers appropriate.
- 16.3 If any person objects to the grant of licence applied for, the Commission shall, if either the applicant or the objector so desires, cause a local inquiry to be held of which the notice in writing shall be given to both the applicant and the objector:
 - Provided that the Commission may refuse such an inquiry if in its opinion the objection is of a trifling or vexatious nature;
 - Provided further that the Commission may, for reasons to be recorded in writing, extend the time fixed by it for the local enquiry.
- 16.4 In case of such local inquiry, a memorandum of results of the local inquiry made shall be prepared and shall be signed by the applicant, the Officer or person designated for the purpose and such other person as the Commission may direct.
- 16.5 The hearing on the application for grant of licence shall thereafter proceed as far as possible in the same manner as provided under Clause (16.7).
- 16.6 The result of the local enquiry shall be considered by the Commission while hearing the application for grant of Licence.
- 16.7 The Commission may determine the stages, manner, the place, the date and the time of the hearing of a matter and also time of hearing to the applicant, the Central Government, the State Government, the local authority and such other authority, person or body as the Commission considers appropriate. The Commission as it may consider appropriate and proceed further in any one or more of the following manners:
 - (a) The Commission may decide the matter on the pleadings of the parties or may call for the parties to produce evidence by way of affidavit or lead oral evidence in the matter.
 - (b) If the Commission directs evidence of a party to be led by way of oral submissions, the Commission may, if considered necessary or expedient, grant an opportunity to the other party to cross-examine the persons giving evidence.
 - (c) The Commission may, if considered necessary or expedient, direct that the evidence of any of the parties be recorded by an Officer or person designated for the purpose by the Commission.
 - (d) The Commission may direct the parties to file written note(s) of arguments or submissions in the matter.

17 Approval of draft Transmission/Distribution licence

- 17.1 After inquiry, if any, and the hearing of the application, the Commission may decide to grant or refuse the licence:
 - Provided, however, that the Commission shall in no event reject an application without giving the Applicant an opportunity of being heard, either by requiring the Applicant to file responses in writing or by conducting an oral hearing.
- 17.2 If the Commission decides to grant the Transmission/Distribution Licence, the licence shall be in the form specified in Appendix-2 of these Regulations:
 - Provided that the Commission may add to alter or amend the form specified for a licence as it may in its discretion deem necessary, subject to such other terms and conditions as the Commission may direct.
- 17.3 Before granting any licence, the Commission shall publish a notice in two (2) such daily newspapers, as the Commission may consider necessaryand on its website, stating name and address of the person to whom it proposes to issue the licence, with such other details as the Commission considers appropriate.
- 17.4 When the Commission has approved a draft licence either in its original form or in a modified form, the Secretary or such other officer as the Commission may designate in this behalf, shall inform the applicant of such approval and of the form in which it is proposed to grant the licence and the conditions to be satisfied by the applicant including the fees to be paid by the applicant for the grant of the licence.
- 17.5 The Commission shall immediately after issue of a licence forward a copy of the licence to the concerned Government, Central Electricity Authority, local authority, and to such other persons as the Commission considers necessary. The Commission shall also upload the copy of Licence granted, on its website.
- 17.6 If the Applicant is willing to accept the Transmission/Distribution Licence with the modifications, changes or additions, if any, and subject to such other terms and conditions as the Commission may direct under Clause (17.1) above, the applicant shall acknowledge acceptance to the Commission within seven (7) days of receipt of the approval from the Commission.
- 17.7 Where the Commission has decided to refuse the grant of Transmission/Distribution Licence, the Secretary shall, within fourteen (14) days of such refusal, inform the Applicant of such refusal enclosing a copy of the reasoned order of the Commission in support of such refusal.

18 Notification of Grant of Distribution/Transmission Licence

18.1 On receiving intimation in writing from the applicant that he is willing to accept the licence in the form approved by the Commission and after the applicant satisfies the conditions imposed for grant of the licence, the Commission shall publish the licence or such part or gist thereof as the Commission considers appropriate.

19 Application for grant of Distribution Licence in area of supply of existing Distribution Licensee

19.1 A person applying for grant of a licence for distribution of electricity through his own distribution system within the same area of supply of an existing Distribution Licensee shall, in addition to the provisions of Regulation 3, comply with such additional requirements including capital adequacy, creditworthiness or code of conduct as prescribed by the Central Government as per Distribution of Electricity Licence (additional requirements of Capital Adequacy, Creditworthiness and Code of Conduct) Rules, 2005 as amended from time to time. The existing provisions of Distribution of Electricity Licence (additional requirements of Capital Adequacy, Creditworthiness and Code of Conduct) Rules, 2005 in this regard are as follows:

"Requirements of capital adequacy and creditworthiness.

- (1) The Commission shall, upon receipt of an application for grant of licence for distribution of electricity under sub-section (1) of section 15 of the Electricity Act, 2003, decide the requirement of capital investment for distribution network after hearing the applicant and keeping in view the size of the area of supply and the service obligation within that area in terms of section 43.
- (2) The applicant for grant of licence shall be required to satisfy the Commission that on a norm of 30% equity on cost of investment as determined under sub-rule (1), he including the promoters, in case the applicant is a company, would be in a position to make available resources for such equity of the project on the basis of net worth and generation of internal resources of his business including of promoters in the preceding three years after excluding his other committed investments.

Explanation: For the grant of a licence for distribution of electricity within the same area in terms of sixth proviso to section 14 of the Act, the area falling within a Municipal Council or a Municipal Corporation as defined in the article 243(Q) of the Constitution of India or a revenue district shall be the minimum area of supply."

The applicant for grant of licence shall satisfy the Commission that he has not been found guilty or has not been disqualified under any of the following provisions within the last three years from the date of the application for the grant of licence:

- (a) section 203, section 274, section 388B or section 397 of the Companies Act, 1956;
- (b) section 276, section 276B, section 276BB, section 276C, section 277 or section 278 of the Income tax Act, 1961;
- (c) section 15C, section 15G, section 15H or section 15HA of the Securities and Exchange Board of India Act 1992;
- (d) clause (b), (bb), (bbb), (bbb), (c) or (d) of sub-section (1) of section 9 of the Excise Act 1944;
- (e) section 132 or section 135 of the Customs Act 1962,

and that the applicant is not a person in whose case licence was suspended under Section 24 or revoked under Section 19 of the Act, within the last three years from the date of application:

Provided that where the applicant is a company, it shall satisfy the Commission in addition to provisions of this rule that no petition for winding up of the company or any other company of the same promoter has been admitted under Section 443 (e) of the Companies Act, 1956 on the ground of its being unable to pay its debts."

20 Deemed grant of the Transmission/Distribution Licence:

- 20.1 Until otherwise directed by the Commission, the following classes of person engaged in the business of Transmission/Distribution of Electricity in the State of Goa and Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry shall be deemed to have applied for and been granted the Transmission/ Distribution Licence for the purposes contained herein and subject to the fulfillment of the conditions contained in Clause (20.2):
 - (a) Persons who supply electricity generated by themselves and/or supplied to them by an authorized person, for the purposes of an event or function not exceeding two (2) months, and when the electricity is distributed through a system owned by them;

[&]quot;Requirements of Code of Conduct.

- (b) Persons who supply electricity to the residential colonies as a part of their activity of maintaining such colonies for use and occupation of their employees and/or for use and occupation of persons providing facilities and services to the employees, where such person procures electricity from any Licensee or from any other source approved by the Commission and distributes the electricity within the residential colonies on no-profit motive basis;
- (c) Such other persons as the Commission may from time to time by order notify, subject to such terms and conditions as the Commission may direct.
- 20.2 The Transmission/Distribution Licensee under Clause (20.1) shall:
 - (a) Not directly or indirectly undertake trading in electricity or Transmission/Distributionof Electricity outside its area of operation and transmission and supply of electricity shall be strictly restricted to the relevant approved purpose;
 - (b) Establish electric line or works only within the area of operation;
 - (c) If so required, furnish to the Commission such information required by the Commission for the purposes of discharge of the functions of the Commission as the Commission, may from time to time direct:
 - (d) Comply with the provisions of the Act, the Regulations of the Commission, technical codes such as Grid Code, Electricity Supply Code, Distribution Code, Standards of Performance and Overall Standards of Performance or any other guidelines issued by the Commission;
 - (e) Comply with all applicable rules and regulations concerning the safety and security of the operation and;
 - (f) Comply with any directions which the Commission may issue from time to time in regard to the charges which licensee may levy on the consumers taking into account the charges prevailing in the nearby area of supply of electricity supplied by a licensee;
- 20.3 The Commission shall be entitled to issue appropriate directions from time to time as it may consider it to be necessary and take appropriate action against a licensee under this Regulation in accordance with the provisions of the Act for any breach of conditions of license or non-compliance thereof.
- 20.4 The Commission, at any stage, if it considers to be necessary, direct any such, person to apply for a licence in accordance with Regulation 3 above and consider accordingly the grant or refusaland may by an interim or final order, direct the Licensee under this Regulation to cease Transmission/Distribution of Electricity in the area of operation or any part thereof.
- 20.5 If any difference or dispute arises as to whether the person is entitled to undertake Transmission/Distribution of Electricity as a Licensee under these Regulations, the decision thereon of the Commission shall be final.

21 Deemed Distribution Licensee Status for SEZ

21.1 As per Section 14(b) of Electricity Act, 2003, Special Economic Zone is recognized as Deemed Distribution Licensee. The following provision was inserted in the Act vide Notification S. O. No. 528(E), dated March 3, 2010:

"Provided that the Developer of a Special Economic Zone notified under Sub-Section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act 2005, shall be deemed to be a licensee for the purpose of this clause, with effect from the date of notification of such Special Economic Zone."

- 21.2 The developer of a Special Economic Zone shall make an application accompanied by such application fee as per Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Conduct of Business Regulations), 2009 and as amended from time to time before the Commission for the following:
 - (a) To take on Record the Deemed Distribution status under Section 14 of the Electricity Act, 2003, Section 49 of SEZ Act, 2005 in terms of the notifications issued by the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), Government of India.
 - (b) To Issue Specific Conditions of Distribution Licence applicable to the Petitioner as per Sections 16 and 181 of the Act.
 - (c) To allow the Petitioner, in the interim, to charge consumers in its licence area, the tariff that is applicable for the respective category of consumers in the connected area of supply, as modified from time to time, as the 'ceiling tariff' in its area of supply and approve the appropriate tariff schedule.
 - (d) Allow the Petitioner to charge consumers in its licence area the same Schedule of Charges that is applicable in the existing area of supply, as modified from time to time
- 21.3 The Applicant along with an application to submit the following:

- (a) Letter of Approval against the applicant as Special Economic Zone by the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), Government of India;
- (b) Notified area of Special Economic Zone for the applicant by the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), Government of India;
- (c) Consumer base of the deemed Distribution Licensee;
- (d) Date from which deemed licence is sought and period for which deemed licence is sought;
- (e) Any other additional information considering peculiarity of operations of the Applicant.

22 Date of commencement and duration of Transmission/Distribution Licence

- 22.1 The Transmission/Distribution Licence shall commence from such date the Commission may direct as the date of commencement of licence and;
- 22.2 The Transmission/Distribution Licence shall be valid for a period of twenty-five (25) years from the date of its commencement, unless it is duly suspended or revoked earlier by the Commission.

23 Deposit of maps and proforma

- 23.1 When a licence has been granted, three (3) sets of maps and proforma containing the particulars specified in Clause (23.2) below shall be signed and dated to correspond with the date of the notification of the grant of the licence by Secretary or any other officer designated by the Commission. One set of such maps shall be retained as the deposited maps by the said Officer and the other two (2) sets given to the Licensee:
- 23.2 The particulars to be given in the proforma under Clause (23.1) above shall be as under:
 - (a) A short title descriptive of the proposed utility together with the address and description of the applicant, and if the applicant is a company, the names of all the Directors of the company;
 - (b) Type of licence granted;
 - (c) Location of the proposed area of operation;
 - (d) A description of the proposed area of operation and;
 - (e) The general conditions, the deviation therefrom and also the specific conditions, if any, which the Commission has laid down in the licence with justification for any deviation granted from general conditions:
- 23.3 The Licensee, whenever required by the Commission shall furnish additional copy maps and also the maps and proforma in an electronic form.

24 Deposit of printed copies of licence

- 24.1 Every person who is granted a licence shall within thirty (30) days of the grant thereof arrange to keep the following as specified by Central Electricity Authority:
 - (a) Have adequate number of copies of the licence printed;
 - (b) Have adequate number of maps prepared showing the area of activity or area of supply as specified in the licence;
 - (c) Arrange to exhibit a copy of such licence and maps for public inspection at all reasonable times at his head office, at his local offices (if any) and at the office of every local authority within the area of activity or area of supply as the case may be.
- 24.2 Every such licensee shall, within the aforesaid period of thirty (30) days, supply free of charge one (1) copy of the licence and the relevant maps to every local authority within the area of activity or area of supply as the case may be, and shall also make necessary arrangements for the sale of printed copies of the licence to all persons applying for the same, at a price not exceeding normal photocopying charges thereof.

25 Amendment of a Transmission/Distribution Licence

- 25.1 The Commission may initiate proceedings for amendment of a Transmission/ Distribution Licence, Suo-motu or on an application of the Transmission/Distribution Licensee or on receiving complaint or information from any person.
- 25.2 The application for amendment of the licence made by the Licensee, shall be as per the Form specified in Appendix 3 of this Regulation and accompanied by such fee as may be prescribed by the Commission from time to time.
- 25.3 Until otherwise specified, the fees payable for amendment of licence, shall be as per Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Conduct of Business Regulations), 2009 and as amended from time to time.

- 25.4 Such application shall be accompanied with a statement of the proposed amendment and shall be supported by an affidavit as provided in Chapter II of Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Conduct of Business Regulations), 2009 and as amended from time to time.
- 25.5 The applicant shall within seven (7) days from the date of admission of the application for amendment, publish a notice in two (2) daily newspapers, one in English language and other in local language, having wide circulation in area of operation of the Transmission/Distribution Licence sought to be amended, giving the following particulars:
 - (a) Brief Details of existing Transmission/Distribution Licence;
 - (b) Proposed amendments to the existing Transmission/Distribution Licence and brief reasons for seeking the amendment;
 - (c) The effect of the amendment proposed on the discharge of the functions of the Licensee under the licence granted;
 - (d) The alternate arrangement proposed for such discharge of functions;
 - (e) The names, addresses and other necessary details of the person(s) nominated by the applicant in major cities or towns of area of proposed Transmission/Distribution Licence, who can make available for inspection application and other documents or from whom they can be purchased in person or by post at reasonable charges, not exceeding photocopying charges;
 - (f) A statement that any person, desirous of making any suggestion or objection to the proposed amendment, may do so by filing written petition addressed to the Secretary of the Commission within thirty (30) days from the date of the first publication of the notice.
- 25.6 Where an amendment to a Transmission/Distribution Licence is proposed by the Commission Suo-motu, the Commission shall publish a notice in two (2) daily newspapers one in English language and the other in Local language having wide circulation in the area of operation of the Transmission/Distribution Licence sought to be amended and also on its website, giving the following particulars:
 - (a) Name of the Transmission/Distribution Licensee and address of main office in the area of supply;
 - (b) Description of alteration or amendment proposed to be made by the Commission;
 - (c) Brief reasons for proposed alteration or amendment;
 - (d) A statement that any person, desirous of making any suggestion or objection to the proposed amendment, may do so by filing written petition addressed to the Secretary within thirty (30) days from the date of the first publication of the notice.
- 25.7 The publication shall give the addresses of the offices at which the application for amendment may be inspected and the copies of documents be purchased and shall state that every local authority, utility or person, desirous of making any representation with reference to application to the Commission, may do so by letter addressed to such Officer as the Commission may designate in this behalf.
- 25.8 All objections to the proposed amendment, received within the thirty (30) days from the date of first publication of notice, shall be considered by the Commission before effecting or rejecting the proposed amendment.
- 25.9 Unless otherwise specified in writing by the Commission, the procedure specified in these Regulations for grant of licence, in so far it can be applied, shall be followed while dealing with an application for amendment of the licence.
- 25.10 In case of an application proposing alterations or modifications in respect of area of supply, comprising the whole or any part of any cantonment, aerodrome, forests, dockyard or camp or of any building or place in the occupation of the Government for defense purpose, the Commission shall not make any alterations or modifications except with the consent of the Central Government.

26 Model Conditions of Supply

26.1 The Licensee shall follow model condition of supply as per the Clause 53 of Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Conduct of Business Regulations), 2009 and as amended from time to time.

27 Contravention by Transmission/Distribution Licensee

- 27.1 The Commission may pass such orders, as it thinks fit, in accordance with the relevant provisions of the Act, for the contravention or the likely contravention, by a licensee, of the terms or conditions of the licence, any provisions of the applicable law or the rules or regulations made there under.
- 27.2 Subject to the provisions of the Act, the Commission may follow as far as possible the general procedure directed in these Regulations in dealing with a proceeding arising out of a contravention or likely contravention by a licensee.

28 Grant of exemption from licence

28.1 An exemption from licence shall be granted in a manner that is consistent with the provisions of the applicable law and provision of the Act.

29 Revocation of the Transmission/Distribution Licence

- 29.1 The proceedings for revocation of the licence or for passing of any other orders stated in Section 19 of the Act, shall be initiated by an order passed by the Commission, which the Commission may initiate Suo motu or on application of the Licensee or on receiving any complaint or information from any person.
- 29.2 The procedure and the manner of revocation shall be consistent with the provisions inter-alia of Section 19 of the Act.
- 29.3 Subject to the provisions of the Act and the procedure contained therein, the enquiry by the Commission on the revocation of the licence, in so far it is applicable, shall be in the same manner as prescribed in Regulation 16 above.
- 29.4 A licensee himself wishing to apply for or give consent to the revocation or part revocation of his licence may make an application to the Commission. The Commission shall pass orders on such applications, after hearing the Licensee and such other persons as it thinks fit.
- 29.5 The application for revocation of the licence made by the Licensee or by any person shall be accompanied by such fee as may be prescribed by the Commission from time to time.
- 29.6 Until otherwise specified, the fees payable for revocation of a Transmission/Distribution Licence, shall be as per Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Conduct of Business Regulations), 2009 and as amended from time to time.

30 Suspension of Distribution Licence and sale of utility

30.1 If at any time, the Commission is of the opinion that it is necessary in public interest, the Commission may, for reasons to be recorded in writing, suspend the licence of the Distribution Licensee in the circumstances, manner and form given in Section 24 of the Act.

31 Regulations of licensee's purchase of power

- 31.1 The Licensee shall file with the Commission in complete form copies of all Power Purchase Agreements already entered into by the Licensee.
- 31.2 The Commission shall be entitled to direct that the Licensee shall establish to the satisfaction of the Commission that the purchase of power by the Licensee is under a transparent power purchase procurement process and is economical and the power is necessary for the Licensee to meet its service obligation.
- 31.3 The Licensee shall apply to the Commission to approve the draft Power Purchase Agreement that the Licensee proposes to enter into. The Commission may pass orders:
 - i. Approving the agreement; or
 - ii. Approving the agreement with modifications proposed to the terms of the agreement;
 - iii. Rejecting the agreement.
- 31.4 Nothing contained herein shall affect the obligations of Distribution Licensee under the existing contracts and arrangements for purchase, import or acquisition of electricity from generating companies, electricity traders and from other persons with whom the Licensee has agreements or arrangements of power purchase or procurement of energy in accordance with the terms and conditions of such agreements and arrangements consented to or approved by the Commission.
- 31.5 The provisions of sub-regulation (ii) and (iii) above or any action taken therein shall not, in any manner, prejudice the exercise of functions and powers of the Commission under any of the other provisions of the applicable law, the Regulations and orders to be issued from time to time.

32 Standards of Performance

32.1 The Commission may, after consultation with the Transmission/ Distribution Licensees and persons likely to be affected, specify standards of performance of a licensee or a class of licensees which in its opinion, are attainable and ought to be achieved by such licensees, and different standards may be determined for different licensees. The Commission may publish the standards so determined in such form and in such manner as the Commission may consider appropriate.

33 Payment of Licence Fees

33.1 The Commission may while granting a licence or an Exemption to undertake the business of transmission or supply of electricity including bulk supply of electricity or any other order granting any privilege to any person may levy and collect the fee payable in accordance with provisions of the Act and these or Joint

Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Conduct of Business Regulations), 2009 and as amended from time to time at the time of the grant of licence or privilege and thereafter, for each subsequent year that the Licence remains in force, the Licensee shall pay an annual licence fees in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Conduct of Business Regulations), 2009 and as amended from time to time.

- 33.2 The fees payable under these regulations shall be paid by means of bank draft or pay order, drawn in favor of the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission, payable at Gurgaon, Haryana.
- 33.3 The fees received by the Secretary of the Commission under these regulations shall be deposited in a bank account to be maintained by the Commission at such bank and in such Branches as the Commission may direct from time to time or in Government Account under relevant head of account.

Chapter- 2 General Conditions of the Transmission Licence

34 Activities of the Transmission Licensee

- 34.1 The Transmission Licensee shall perform his duties stipulated in Section 40 of the Act and full fill the terms and conditions stipulated in the licence.
- 34.2 The Transmission Licensee shall build, maintain, and operate an efficient coordinated transmission system.
- 34.3 The Transmission Licensee shall operate the transmission system economically so that the transmission charges can be kept minimum and thereby the component of transmission cost in the tariff is also kept minimum.
- 34.4 The Transmission Licensee shall operate the transmission system in such a manner that the parameters are maintained in the ranges prescribed in the Central Electricity Authority's Grid Standards all the time and ensure that the system is available at all times for generators to inject power (of agreed quantum) and for Distribution Licensees to draw power (of agreed quantum).
- 34.5 The Transmission Licensee shall coordinate with Regional Power Committee, Regional and State Load Despatch Centres, Central Transmission Utility, State Transmission Utility, generating companies and licensees to ensure uninterrupted supply to the consumers.
- 34.6 The Transmission Licensee shall obtain prior written approval from the Commission before entering into any agreement with another company for supply of power to consumers in his area.
- 34.7 The Transmission Licensee shall install the meters, as required in accordance with Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 as amended from time to time and maintain up to date records of energy transmitted by each element of the system and produce the same to the Commission and to other agencies, wherever required.
- 34.8 The Transmission Licensee shall establish adequate communication and information system facilities before commencing transmission.
- 34.9 The Transmission Licensee shall act in a prudent and reasonable manner in utilization of the licence for obtaining credit facilities.
- 34.10 The Transmission Licensee shall under all circumstances retain operational control over his assets in the case of mortgage of his assets.
- 34.11 The Transmission Licensee shall seek approval of the Commission before advancing loans, or issuing any guarantee for any obligation of any person except when made or issued for the purposes of the Licensed Business, however loans to employees pursuant to their terms of service and advances to suppliers in the ordinary course of business are excluded from the requirement to seek such approval.
- 34.12 The Transmission Licensee may engage any affiliate to provide any goods or services to the Licensee, in connection with its transmission business, subject to the following conditions:
 - (a) the transaction will be on an arms-length basis;
 - (b) the transaction will be structured consistent with any regulation framed by the Commission relating to the provision of goods and services with respect to the transmission business and;
 - (c) Transmission Licensee will give fifteen (15) days' notice to the Commission prior to commencement of the proposed arrangement.

35 Prohibited Activities

- 35.1 No licensee, except with prior approval of the Commission, shall undertake:
 - (a) any transaction to acquire, through purchase or takeover or otherwise, any utility of any other licensee; or

- (b) merge his utility with another utility of any other licensee.
- 35.2 No licensee shall, without prior approval of the Commission, assign or transfer his utility or Licence or part thereof through sale, lease, exchange or otherwise.
- 35.3 Before obtaining approval under Clause (35.1) to (35.2) above, a Licensee shall give a notice of not less than one (1) month to every other Licensee, who distributes electricity in the area of such licensee, who applies for such approval to the Commission.
- 35.4 Any agreement entered into by the Licensee in respect of Clause (35.1) to (35.3) above shall become void unless prior approval of the Commission is obtained thereto.
- 35.5 Where such permission is required, the Licensee shall file an application with the Commission duly furnishing all relevant information. The Commission may, within thirty (30) days of the receipt of such application, accord required permission subject to the terms and conditions as it deems necessary or reject the application for the reasons to be recorded in writing in support of such rejection.
- 35.6 The Transmission Licensee shall not make use of the assets of the system for a purpose other than transmission of electricity, except with the prior approval of the Commission as provided for in Regulation 37.

36 Transfer of Assets

- 36.1 The Transmission Licensee shall not, in a single transaction or a set of related transactions, transfer its utility or any part thereof by sale, lease, exchange or otherwise, without complying with the conditions stipulated in this Regulation 36.
- 36.2 The Transmission Licensee shall give to the Commission prior written notice of its intention to transfer its utility and disclose all relevant facts. The Commission may, within thirty (30) days of the receipt of the notice, seek further information in support of the transaction and shall, generally within thirty (30) days of such further information being submitted by the Transmission Licensee, and where no such further information is sought by the Commission as above, within sixty (60) days of the filing of the application, allow the transfer arrangement subject to such terms and conditions or modifications as may be considered appropriate or reject the same, by means of a reasoned order.
- 36.3 The Transmission Licensee may transfer its utility as is specified in any notice given under Clause (36.2) if:
 - (a) the Commission confirms in writing that it consents to such transfer, subject to such conditions as the Commission may impose; or
 - (b) the Commission does not, within the time specified under Clause (36.2) for the decision of the Commission, give any response to the notice of the Transmission Licensee that it intends to deal with the application of the Transmission Licensee.
- 36.4 The Transmission Licensee may transfer its utility where:
 - (a) the Commission has issued directions for the purposes of this Regulation 36 containing a general consent (whether or not subject to conditions) to transactions of a specified description, and/or the transfer of a specified description, and the transfer is in accordance with any conditions to which the consent is subject; or
 - (b) the transfer in question is required by or under the mandate of any law; or
 - (c) the asset in question was acquired and used by the Transmission Licensee exclusively or primarily in connection with any Other Business that it has been authorized to carry on pursuant to Regulation 22 and does not constitute a legal or beneficial interest in land, or otherwise form part of the transmission system or is not otherwise an asset required for the Licensed Business.
 - (d) Notwithstanding what is stated above, the Transmission Licensee will be entitled to utilize the assets as a means of facilitating funding or financing the Licensed Business in the ordinary course of business including loans and credit facilities from banks and financial institutions, subject to the conditions:
 - i. that the Transmission Licensee will inform the Commission about such arrangements at least fifteen (15) days prior to the effective date of the relevant agreements;
 - ii. the Transmission Licensee acts in a prudent and reasonable manner in such utilization of assets; and
 - iii. the Transmission Licensee retains Operational Control over assets in the transmission system.

37 Other Business

37.1 The Transmission Licensee shall file an application for the Commission's approval for Other Business, in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of

Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time

37.2 Where the Transmission Licensee is engaged in any Other Business, the income from such business shall be calculated in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time and shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement of the Licensee:

Provided that the Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all joint and common costs between the transmission business and the Other Business and prepare Accounting Statements in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time and submit to the Commission along with its application for determination of tariff;

Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other Business exceeds the revenues from such Other Business, no amount shall be allowed to be added to the Aggregate Revenue Requirement of the Licensee on account of such Other Business.

38 Accounts and Audit

- 38.1 Every Transmission Licensee shall cause the accounts of his utility to be made up the thirty-first (31) day of March each year.
- 38.2 The Transmission Licensee shall:
 - (a) Maintain separate information and statement of accounts for the Licensed Business and any Other Business carried on by the Transmission Licensee:
 - Provided, further that, the Licensee shall submit separate accounts for its Licensed Business and overall accounts of the Company as a whole.
 - (b) Maintain the statement of accounts in such form and containing such particulars as may be specified by the Commission and till such time as these are specified by the Commission, the accounts shall be maintained in accordance with the Companies Act, 1956, Companies Act, 2013 as amended from time to time, where such Act is applicable;
 - (c) Prepare on a consistent basis, from such records, Accounting Statements for each financial year comprising a profit and loss account, a balance sheet and a statement of source and application of funds together with notes thereto and showing separately the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve, or provision which has been either:
 - Charged from or to any Other Business together with a description of the basis of that charge or;
 - ii. Determined by apportionment or allocation between the various business activities together with a description of the basis of the apportionment or allocation;
 - (d) Provide, in respect of the Accounting Statements prepared in accordance with foregoing Clauses, a report by the Auditors in respect of each year, stating whether in their opinion the statements have been properly prepared and give a true and fair view of the revenue, costs, assets, and liabilities, reserves reasonably attributable to the business to which the statements relate; and
 - (e) The Transmission Licensee shall prepare and render to the Commission an annual statement of his audited accounts in accordance with the provisions of the Act, within a period of six (6) months from the aforesaid date, or such extended period as the Commission may authorize after it is satisfied that the time allowed is insufficient owing to any cause beyond the control of the Licensee and the statement shall be rendered in such numbers of copies as the Commission directs;
 - (f) The accounts shall be made up in such forms as the Commission may direct from time to time. All the forms shall be signed by the Transmission Licensee or his accredited and duly authorized agent or manager;
 - (g) The Commission may by special or general order direct that, in addition to the submission of the annual statements of accounts in the forms directed in Clause 38.2 (f) above, a Transmission Licensee shall submit to the Commission or such other authority as it may designate in this behalf such additional information as it may require for the purpose;
- 38.3 Any person authorized by the Commission shall be entitled to inspect and verify the accounts of the Transmission Licensee and the Transmission Licensee shall render all necessary assistance to such person:
 - Provided, further that, if the Commission feel appropriate, the Commission may get the independent audit of the Transmission Licensee accounts from any independent agency, including Comptroller and Auditor General of India (CAG).

- 38.4 The Transmission Licensee shall not change the basis of charge or apportionment or allocation of revenues or expenses in relation to the preparation of the Accounting Statements in respect of a financial year from those applied in respect of the previous financial year, without prior approval from the Commission:
 - Provided that during the financial year that a Transmission Licensee changes the basis of charge or apportionment or allocation in its Accounting Statements from those adopted for the immediately preceding financial year, the Commission may direct the Transmission Licensee to prepare such Accounting Statements on the past basis in addition to preparing Accounting Statements on the basis which it has adopted.
- 38.5 If the Transmission Licensee is carrying on any Other Business for the optimum utilization of its assets, it shall prepare on a consistent basis from such accounting records and deliver to the Commission in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time.
- 38.6 The Transmission Licensee shall ensure that the Accounting Statements in respect of each financial year and the Auditors report in respect of each financial year mentioned hereinabove are publicized in such manner as the Commission may direct, and are made available to any person requesting them, at a price not exceeding the reasonable cost of duplicating them, or such price as the Commission may specify.

39 Business Plan

39.1 The Transmission Licensee shall file for the Commission's approval a Business Plan for the entire Control Period, duly approved by the competent authority, in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2018 and as amended from time to time.

40 Investments

- 40.1 The Transmission Licensee shall make the investments in a prudent manner, being guided by the duty to build, maintain and operate an efficient, coordinated and economical transmission system in the State of Goa and Union Territories.
- 40.2 The transmission licensee shall ensure that augmentation of transmission system is done so that the overloaded portions are augmented as required.
- 40.3 The Transmission Licensee shall duly comply with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2018 and as amended from time to time, guidelines, directions and orders that the Commission may issue from time to timein regard to investments to be made in the Transmission Business.

41 Procurement of Material/ Equipment/ Services

41.1 The Transmission Licensee shall procure all material/equipment or execute any contract for availing services only through the transparent competitive bidding process.

42 Major Incidents

- 42.1 The Transmission Licensee shall notify to the Commission any major incident that has occurred in the area of the Transmission Licensee. A deviation from any part of the transmission system from standard operating condition, which was triggered by cross boundary effect, in the system of generators, distribution system or in the system of extra high voltage consumers which has resulted in the loss of equipment or life of a person or animal, shall be deemed a major incident. The Transmission Licensee shall also:
 - (a) submit a detailed report giving facts of the incidents, the causes and the adverse effects on the total power system(The total power system comprises the transmission system, generating units, distribution systems and the systems of the EHT consumers);
 - (b) Submit a note containing the Licensee's analysis of the major incident and suggestions for carrying out remedial measures for preventing recurrence of such major incidents;
 - (c) The Transmission Licensee shall at the earliest possible date and in any event, no later than two (2) months from the date of such Major Incident:
 - i. Submit a report to the Commission giving full details of the facts within the knowledge of the Licensee regarding the incident and its cause;
 - ii. In the event the report under sub-clause (a) is likely to take more than fifteen (15) days from the date of the Major Incident, the Transmission Licensee shall within fifteen(15) days from such date of the incident submit a preliminary report with such details which the Transmission Licensee can reasonably furnish and state reasons as to why the Transmission Licensee requires more than fifteen (15) days for giving full report of such incident;
 - iii. send copies of the report and note to the State Load Despatch Centre, State Transmission Utility, State Government, and Chief Electrical Inspectorate etc.

- 42.2 The Commission may direct an independent person to investigate in the case of a major incident and submit his report.
- 42.3 The Commission may analyze the report and the information received from all sources and will decide whether a major incident is a Force Majeure event or is caused by violation of conditions of Transmission Licence or provisions of Grid Code or provisions of the Act or the rules and regulations under the Act.
- 42.4 The Commission may decide the following:
 - (a) remedial measures to be taken by one or more operators (or owners) of the parts of the total power system (including the Transmission Licensee) to prevent recurrence of similar major incidents;
 - (b) Punitive measures to be imposed on one or more persons for lapses which caused the major incident;
 - (c) Compensation to be paid by one party to another party [by the owner (or operator) of a segment of the total power system to the owner (or operator) of another segment of the total power system].
- 42.5 The Commission may send its views and decisions on the major incident to the State Load Despatch Centre, Chief Electrical Inspector, State Transmission Utility etc.

43 Open Access

43.1 The Transmission Licensee shall arrange for the provision of non-discriminatory open access to its transmission system to any persons in accordance with the Open Access Regulations issued by the Commission under Section 42 of the Act.

44 Expected Revenue and Tariff Filings

- 44.1 The Transmission Licensee shall follow the methodology, procedures and other directions included in the Tariff Regulations while filing statements of expected revenue from charges and for proposing or amending any or all of its tariffs.
- 44.2 The amount that the Licensee is permitted to recover from its tariffs in any financial year is the amount that the Commission determines in accordance with the financial principles and their applications provided in Section 62 of the Electricity Act 2003, as will allow the Transmission Licensee a fair opportunity to earn a reasonable return.
- 44.3 The Transmission Licensee shall establish a tariff as approved by the Commission, for the Licensee's Transmission Business and shall calculate its charges in accordance with this Licence, the Regulations, the orders of the Commission and other requirements prescribed by the Commission from time to time.
- 44.4 The Transmission Licensee shall publish a tariff for its Transmission of electricity reflecting the tariff charges and the other terms and conditions contained in the approved tariffs referred to in Clause (44.3) above or as directed by the Commission.
- 44.5 The Transmission Licensee shall apply to the Commission to amend its tariffs in accordance with the Act and applicable Regulations and directions of the Commission.
- 44.6 The Transmission Licensee shall apply to the Commission to amend its tariffs in accordance with the Act, if the Commission so requires in order to remove any undue discrimination identified by the Commission.

45 Provision of Information to the Commission and other Stakeholders

- 45.1 The Transmission Licensee shall provide all information as applicable to the Licensee in the formats enclosed within sixty (60) days from coming into force of these Conditions of Licence. Subsequently, all the formats shall be filled up and submitted by the Licensees, annually, within a month after the completion of every financial year.
- 45.2 The TransmissionLicensee shall furnish to the Commission without undue delay such information, documents and details related to the Licensed Business or any other business of the Licensee engaged for optimum utilization of the assets of the Licensed Business, as the Commission may require from time to time for its own purposes or for the purposes of the Government of India, State Government, the Central Commission, and/or the Central Electricity Authority, the State Transmission Utility and State Load Dispatch Centre.
- 45.3 The TransmissionLicensee shall also undertake such studies as the Commission may direct it to undertake from time to time for the improvement of its transmission business and any other matter concerning the transmission business.
- 45.4 The TransmissionLicensee shall duly inform the Commission about any incident restricting it from meeting its obligations under its licence including any act of Commission or commission by others and steps taken by the Licensee to mitigate the effect of such incident.
- 45.5 The Commission may at any time require the Licensee to comply with the provisions of Clauses 45.3 as to incidents which the Commission may specifically direct and the Licensee shall be obliged to comply with the same.

45.6 The Transmission Licensee shall provide details/data/documents available in material form as required by the stakeholders/consumers/consumer associations/consumer bodies, etc., within the time frame as prescribed by the Commission from time to time. If no time frame is prescribed by the Commission the Licensee shall provide the same within a maximum period of thirty (30) days from the date of request.

Chapter - 3

Technical Conditions of the Transmission Licence

- 46 Transmission Planning and Security Standards, Power Supply Planning and Security Standards, Transmission Operating Standards; and Power Supply Operating Standards
- 46.1 The Transmission Licensee shall plan and operate the Transmission System so as to ensure that the Transmission System is capable of providing an efficient, coordinated and economical system of Transmission.
- 46.2 In particular, the Transmission Licensee shall:
 - (a) plan and develop its Transmission System in accordance with the Transmission System Planning and Security Standards together with the Grid Code as approved by the Commission; and
 - (b) operate the Transmission Licensee's Transmission System in accordance with the Transmission System Operating Standards together with the Grid Code as approved by the Commission.
- 46.3 The Transmission Licensee shall make arrangements, within twelve (12) months from the date of issue of Licence, to comply with the Power Supply Planning and Security Standards and Power Supply Operating Standards.
- 46.4 The Transmission Licensee shall, within sixty (60) days from the date when Licence becomes effective; submit to the Commission the existing standards for the following:
 - (a) Standards for its Transmission System, Planning and Security Standards, Operating Standards;
 - (b) Standards for its Power Supply System, Planning and Security Standards, Operating Standards;
 - (c) Including those relating to:

Generation Capacity connected to its Transmission System being followed by the Licensee;

Such existing standards, with such modification as the Commission may direct, shall continue to remain in effect until new standards approved by the Commission pursuant to Clause (46.5) and (46.6) take effect.

- 46.5 The Transmission Licensee shall, within six (6) months, or such longer time as the Commission may allow, after Licence has become effective, prepare, in consultation with the Suppliers, Generating Companies, Central Transmission utility, Regional Electricity Boards and such other Person as the Commission may specify, and submit to the Commission for approval the Licensee's proposal for Transmission Planning and Security Standards. Transmission Operating Standards, Power Supply Planning and Security Standards and Power Supply Operating Standards in accordance with Regulation 46.
- 46.6 The Transmission Planning and Security Standards, Transmission Operating Standards, Power Supply Planning and Security Standards and Power supply Operating Standards submitted by the Licensee pursuant to this paragraph, with such modifications as the Commission may require, shall take effect from such date as the Commission may specify.
- 46.7 The Transmission Licensee shall not be in breach of its obligations under the Licence if it has failed to meet the Transmission Planning and Security Standards or the Transmission Operating Standards directly due to Force Majeure, provided, the Licensee has used its reasonable efforts, to the extent reasonably possible, to comply with the Transmission Planning and Security Standards or the Transmission Operating Standards as the case may be.
- 46.8 The Transmission Licensee shall make reasonable arrangements to provide for sale to Suppliers, sufficient electricity to meet Power Supply Planning and Security Standards and Power Supply Operating Standards approved by the Commission.
- 46.9 The Transmission Licensee shall, in consultation with Suppliers, the Generating Companies, Distribution Licensees in the state, the Central Transmission Utility, the regional Electricity Board and such other persons as the Commission may order, review Standards and their implementation on each occasion. Following such review, the Transmission Licensee shall send to the Commission:
 - (a) a report on the outcome of such review; and
 - (b) any revision which the Licensee proposes to make to such documents from time to time (having regard to the outcome of such review); and

- (c) any written representations or objections (including those not accepted by the Licensee) from Suppliers, Generating Companies, Central Transmission Utility, regional Electricity Board and such other Persons as the Commission may order during consultation process;
- The Commission may, upon application of the Transmission Licensee, relieve the Transmission Licensee from obligation to review the standards and their implementation, to such extent as shall be specified in directions issued to the Transmission Licensee by the Commission for the purposes of this condition.
- 46.10 Having regard to any written representations or objections referred to in Regulation (46.9(c)), and following such further consultation (if any) as the Commission may consider appropriate, it may issue directions requiring the Transmission Licensee to revise the standards in such manner as may be specified in the directions.
- 46.11 The Commission may issue directions requiring the Transmission licensee to revise any of the standards in such manner as may be specified by the Commission.
- 46.12 The Transmission Licensee in consultation with the Distribution Licensee(s) shall, on an annual basis:
 - (a) forecast the demand for power within the Area of Transmission and Bulk Supply in each of the next succeeding ten (10) years; and
 - (b) prepare and submit forecasts to the Commission in accordance with the guidelines issued by the Commission from time to time.
- 46.13 The Transmission Licensee shall within three (3) months of the end of each financial year, submit to the Commission a report indicating the performance of the Transmission System during the previous financial year.
- 46.14 The Transmission Licensee shall, if required by the Commission, publish a summary of the report in a manner to be determined by the Commission.

47 Compliance with Grid Code by the Transmission Licensee

- 47.1 The Transmission Licensee shall ensure due compliance with the Indian Electricity Grid Code and JERC State Grid Code, as amended from time to time.
- 47.2 The Commission may, on reasonable grounds and after consultation with the affected Generation Company, Transmission Licensee the State Transmission Utility the State Load Despatch Centre and electricity traders, issue direction relieving the Licensee of its obligation in respect of such parts of the State Grid Code and to such extent as may be decided by the Commission.

48 Central Scheduling and Despatch

- 48.1 Having regard to information provided to it by Suppliers. Generating Companies Central Transmission Utility, Distribution Licensees and other utilities in the region (including information as to forecast levels of electricity demand and availability of generation capacity) and keeping into consideration requirements of the Transmission Planning and Security Standards and the Transmission operating Standards referred to in this Licence, the Transmission Licensee in consultation with the Distribution Licensee(s) shall undertake operational planning matching to possible output of all Generating Sets contracted to it and any other Bulk Supply and other sources or electrical energy connected to the Transmission Licensee's Transmission System (including a reserve of generation to provide a security margin or generation availability) with forecast demand after taking into account, inter alia:
 - (a) unavailability of Generating Sets; and
 - (b) constraints from time to time imposed by technical limitations on the Total System or interconnections with other transmission systems or any part(s) thereof;
 - (c) consistent with this Clause (48.1) and in accordance with the Grid Codes, for the removal from service of parts of the transmission systems for maintenance, repair extension of reinforcement.
- 48.2 Taking account of the factors referred to in Clause (48.3) the Licensee shall schedule and issue direct instructions for dispatch of power from the Generating Sets and other sources of power as are at such times available to generate electricity and which are subject to dispatch instructions:
 - (a) in ascending order of relevant prices that are offered for the generation of electricity into the Total System, keeping in view the constraints on hydro-electric generation; and
 - (b) as will in aggregate (and after taking account of electricity delivered to or from the Total System from or to other sources) be sufficient to match at all times (to the extent possible having regard to the availability of Generation sets) expected demand, taking account of information provided by Suppliers, the Central Transmission Utility and the Regional Electricity Board together with an appropriate margin of reserve.

- 48.3 The factors referred to in Clause 48.2 include:
 - (a) expected demand (including losses);
 - (b) Economic and technical constraints from time to time imposed on the Total System or any part or parts thereof;
 - (c) the dynamic operating characteristics of available Generating Sets; and
 - (d) other matters provided for in the Grid Code.
- 48.4 The Transmission Licensee shall provide to the Commission such information as the Commission shall require concerning the merit order dispatch described in Clause (48.2(a)) or any aspect of its operation.

49 Requirement to Offer Terms for Use of System and Connection to System

- 49.1 The Transmission Licensee shall make such arrangements for use of the Transmission System by third parties as are specified in the Regulation 49. On application made by any such third party, the Transmission Licensee shall offer to enter into an agreement with that person for the use of the Transmission System.
 - (a) to accept into the Transmission System electricity provided by that Person;
 - (b) to deliver such electricity, adjusted for losses of electricity, to a designated exit point;
 - (c) that specifies that use of System charges to be paid by the user, shall be in accordance Regulation 44

Explanation: The third parties referred to in this Clause (49.1) means:

- (a) Persons authorized under a legislation enacted by the Union of India to wheel power across the Transmission System in an inter-state conveyance of energy;
- (b) Such persons as the Commission may authorize to use the Transmission system.
- 49.2 On application made by a Supplier for grant of a connection to a Consumer wishing to be connected directly to the Transmission System, the Licensee shall offer to enter into an agreement with such Supplier and/or Consumer, as the case may be, for connection to the Transmission System or for modification of such an existing connection and such offer shall make provision for:
 - (a) carrying out of works necessary to make the required connection, including the installation of meters;
 - (b) carrying out any necessary work to reinforce the Licensee's Transmission System;
 - (c) connection charges to be paid in accordance with Regulations 44; and
 - (d) date of completion and such other terms as are relevant to the circumstances.
- 49.3 The Transmission Licensee shall offer terms for agreements in accordance with Clause (49.1) or (49.2) as soon as practicable but (save where the Commission consents to a longer period) no more than two (2) months after an application under Clause (49.1) or (49.2) is made.
- 49.4 The Transmission Licensee shall not be obliged pursuant to Regulation 34 to offer to enter or to enter into any agreement if it is:
 - (a) likely to involve the Transmission Licensee;
 - i. in breach of its duties under Section 17of the Act or;
 - ii. in breach of any rules or Regulations relating to safety or standards applicable to the Transmission Business including, the Indian Electricity Rules 1956; or
 - iii. in breach of the Grid Code; or
 - iv. in breach of any of the conditions of this Licence; or if
 - (b) the persons making the application does not undertake to comply with the Grid Code from time to time in force to the extent that it is applicable to that Person, or;
 - (c) in case of persons making application for Use of System under Clause (49.1) such person ceases to be authorized as specified therein; or
 - (d) in case the persons do not have the financial resources to pay the transmission charges.
- 49.5 If, after a period, which appears to the Commission to be reasonable for the purpose, the Licensee has failed to enter into an agreement with any applicant referred to in Clause (49.1) and (49.2) pursuant to a request under Clause 49, the Commission may at the request of a party settle such terms in dispute between the Licensee and that Person and, the Transmission Licensee shall forth with enter into and implement such agreement in accordance with its terms as settled by the Commission.

- 49.6 The Transmission Licensee shall prepare and submit to the Commission on annual basis, a settlement showing in respect of each of the five (5) succeeding financial years, forecasts of circuits capacity, power flows and loading on the Transmission System under standard planning criteria, together with:
 - (a) such further information as shall be reasonably necessary to enable any Person seeking use of System to identify and evaluate the opportunities available when connecting to and making use of such system; and
 - (b) a commentary prepared by the Licensee indicating the Licensee's views as to those parts of the Licensee's Transmission System most suited to new connections and transport of further quantities of electricity.
- 49.7 At the request of a person or a supplier who wishes to use the Transmission System under Clause (49.1) or (49.2) the Transmission Licensee shall prepare an update to the above statement, incorporating most recent data but specifically including any facility for which any other Person or a Supplier has requested use of and connection to the Transmission System.
- 49.8 The Transmission Licensee may make a charge for any statement given or sent to Persons seeking Use of System, of an amount reflecting the Transmission Licensee's reasonable costs of providing such a statement.

Chapter- 4

General Conditions of the Distribution Licence

50 Duty to Supply Electricity on Request

- 50.1 Subject to the provisions of the Act, the Distribution Licensee shall comply with the requirements of Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Electricity Supply Code) Regulations, 2018 and as amended from time to time, Directions and Orders of the Commission in regard to supply of electricity.
- 50.2 Where the owner or occupier of any premises requires supply of electricity under the terms of Clause 50.1 above, the application shall be made in a form prescribed by the Commission and the procedure for responding to that application shall be in accordance with the procedure approved by the Commission.
- 50.3 The Distribution Licensee shall have the duty to provide, if required, any electric plant or electric line for providing the electric supply to the premises in terms of Clause 50.1 above:
 - Provided that no person shall be entitled to demand, or to continue to receive, from a Licensee (including a Distribution Licensee) a supply of electricity for any premises having a separate supply unless he has agreed with the Licensee (including the Distribution Licensee) to pay to it such price as determined by the Commission;
 - Provided further that the Distribution Licensee shall be bound by the Regulations made by the Commission under Sections 43, 44, 46 and 48 of the Act, in respect of the duty to supply and the matters related there to.

51 Installation of Meters

- 51.1 The Distribution Licensee shall comply with the requirements of the Act, Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Electricity Supply Code) Regulations, 2018 and as amended from time to time, Directions and Orders of the Commission in regard to supply of electricity through meter.
- 51.2 Every Distribution Licensee shall supply electricity only after installation of proper meter etc. in the premise of the consumer in accordance with the "Installation and Operation of Meter' Regulations, 2006 notified by the Central Electricity Authority (CEA) under Section 55 of the Act and as amended from time to time. Notwithstanding this, the Licensee may consider installing upgraded technology meter becoming available in the market if it meets the requirements over and above the requirements of CEA.
- 51.3 If the meter is supplied by the Distribution Licensee, the Licensee shall be entitled to recover the cost of meter and associated equipment as part of the demand notice. Else, the Distribution Licensee shall charge meter rent as approved by the Commission. In case of connections where the meter has been procured by the consumer, no meter rent and meter cost shall be charged from the consumer.
- 51.4 The installation of meter shall be decided in consultation with the consumer. The consumer shall provide suitable and adequate space for installation of the meter in such a manner that it is always accessible to the Licensee or its representatives. In case of multi-storied buildings, all the meters shall be fixed preferably on the ground floor/rising mains having proper air ventilation and adequate illumination as per the standards and codes specified.

- 51.5 Initial installation or replacement of the meter shall be done by the Licensee's representative in the presence of the consumer or his authorized representative, after giving a notice of three (3) days.
- 51.6 Whenever a new meter is installed (for a new connection or as a replacement) it shall be sealed in the presence of the consumer. The seal, name plates and distinguishing numbers or marks affixed on the said equipment or apparatus shall not in any way be broken, erased or altered by the consumer. Treatment of meter seals shall be in accordance with the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 and all subsequent amendments.
- 51.7 For any default in compliance of the provision contained in Clause (51.2) above, the Commission shall make an order, as it deems fit, to make good the default by the Licensee or by any of officer and staff of the Licensee who will be responsible for the default.

52 Process for Levy and Recovery of Fines and Charges

- 52.1 If on the conclusion of any proceeding, the Commission is satisfied that any person is liable to fines or charges, it may by order in writing impose such fines or charges in accordance with the provisions of the Central Act or the State Act, and the Regulation specified for the purpose and may also award compensation.
- 52.2 While determining the quantum of fines or charges, the Commission shall, amongst other, consider the following factors:
 - (a) The nature and extent of non-compliance or violation;
 - (b) Wrongful gain or unfair advantage derived as a result of the non-compliance or violation;
 - (c) Loss or degree of harassment caused to any person(s) as a result of the non-compliance or violation, and
 - (d) The repetitive nature of the non-compliance or violation.
- 52.3 While passing an order under this regulation, the Commission may award compensation to the complainant or affected party to be paid by the person found to have committed the non-compliance or violation.
- 52.4 The Commission may direct the time within which the fines, charges or compensation should be paid by the concerned person,
- 52.5 The Commission may designate an Officer to collect the fines and charges pursuant to the provisions of the Central Act or the State Act.

53 Open Access

53.1 The Distribution Licensee shall arrange for the provision of non-discriminatory open access to its distribution system to any persons in accordance with the Open Access Regulations issued by the Commission under Section 42 of the Act.

54 Other Business of Distribution Licensee

- 54.1 The Distribution Licensee shall file an application for the Commission's approval for Other Business, in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time
- 54.2 Where the Distribution Licensee is engaged in any Other Business, the income from such business shall be calculated in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time and shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement of the Licensee:

Provided that the Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all joint and common costs between the Distribution business and the Other Business and prepare Accounting Statements in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time and submit to the Commission along with its application for determination of tariff.

Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other Business exceeds the revenues from such Other Business, no amount shall be allowed to be added to the Aggregate Revenue Requirement of the Distribution Licensee on account of such Other Business.

55 Franchisee

- 55.1 The Distribution Licensee may engage any of its Subsidiaries or Holding Company or a Subsidiary of such Holding Company to provide any goods or services to the Licensee in connection with the Licensed Business, subject to the following conditions:
 - (a) that the transaction will be on an arms-length basis and at a value that is fair and reasonable in the circumstances:
 - (b) that the transaction will be consistent with any Regulations framed by the Commission relating to the provision of goods and services with respect to Licensed Business; and
 - (c) that the Licensee will give fifteen (15) days' notice to the Commission prior to commencement of the proposed arrangement and along with the notice provide all relevant details of the arrangement.
- 55.2 The Licensee may establish subsidiaries or establish associated companies or grant a franchise or enter into management contracts including appointment of billing agent to conduct or carry out any of the functions, which the Licensee is authorized to conduct or carry out under the Acts and this Licence. Provided always that:
 - (a) Any such Subsidiary or associated company or franchisees or contractors or agents shall operate under the overall supervision and control of the Licensee and upon the conditions of this licence; and
 - (b) The Licensee shall have, prior to delegating any function to any such Subsidiary or associated company or franchisees or contractor, intimate the Commission for transactions of value of greater than Rs 100 lacs per annum, subject to such conditions as the Commission may stipulate;
 - (c) The Licensee shall also be responsible for all actions of the subsidiaries or associated companies or franchisees or agents or contractors and may terminate the arrangements in case their performance is not to the satisfaction of the Licensee.
- 55.3 Where such prior permission is required, the Licensee will file a suitable application with the Commission disclosing relevant facts. The Commission may, within thirty (30) days of the filing of the application, seek further information in support of the application. The Commission shall generally within thirty (30) days of such further information being submitted by the Licensee, and where no such further information is sought by the Commission as above, generally within sixty (60) days of the filing of the application, allow the arrangement subject to such conditions or modifications as is considered appropriate or reject the same, for reasons recorded in writing in the order to be issued by the Commission.
- 55.4 The Licensee shall be entitled to Transfer or assign this Licence or any of the functions under this Licence to any other Person only with the prior approval of the Commission. To obtain the approval of the Commission as aforesaid, the Licensee will file a suitable application with the Commission disclosing relevant facts in that behalf and the Commission shall dispose such application expeditiously.

56 Establishment of Consumer Grievance Redressal forum

- 56.1 The Distribution Licensee shall establish a forum or forums for redressal of grievances of the consumers in accordance with the guidelines issued by the Commission under Section 42 of the Act from time to time.
- 56.2 The Distribution Licensee shall within reasonable time, as directed by the Commission, after the Licence becomes effective and with approval of the Commission, notify a procedure for handling complaints from Consumers of the Licensee in addition to the forum for redressal of grievances. The Commission may hold consultations with the State Advisory Committee or a Person or body of Persons, who the Commission considers as representing the interest of the Consumers likely to be affected and make such modification of the procedure, as it believes necessary before granting approval to the consumer complaints.
- 56.3 The Commission may, upon receiving a representation, or otherwise, require the Distribution Licensee to review the complaint handling procedure prepared and the manner in which it has been implemented, with a view to determine whether any modification should be made to it or to the manner of its implementation.
- 56.4 Any procedure so established, including any revisions to it, shall notify the periods within which it is intended that different kinds of complaint should be processed and resolved.
- 56.5 The Distribution Licensee shall submit to the Commission for its approval any revision proposed to be made to the procedure established.
- 56.6 The Distribution Licensee shall:
 - (a) draw to the attention of Consumers, in such manner as the Commission may direct, the existence of the complaint handling procedure and each substantive revision of it and how the Consumers may inspect or obtain copies of such procedure in its latest form;

- (b) make a copy of its complaint handling procedure, revised from time to time, available for inspection by members of the public at the relevant offices of the Licensee during normal working hours; and
- (c) provide a copy of the complaint handling procedure revised from time to time to each new Consumer, and to any other Person who requests for it at a price not exceeding the reasonable cost of duplicating it.

57 Protection of Railways, Highways, Telegraphic Lines

- 57.1 The Distribution Licensee shall not, in the course of distribution, supply or use of electricity, in any way injure any railway, highway, airport, tramway, canal or water-way or any dock, wharf or piers vested in or controlled by a local authority, or obstruct or interfere with the traffic on any railway, airway, tramway, canal or water-way.
- 57.2 The Distribution Licensee shall take all reasonable precautions in constructing, laying down and placing its electric lines, electrical plant and other works and in working its system, so as not to injuriously affect, whether by induction or otherwise, the working of any wire or line used for the purpose of telegraphic, telephone or electric signaling communication, or the currents in such wire or line.
- 57.3 Where any difference or dispute arises between the Distribution Licensee and the telegraph authority as to whether the Distribution Licensee has constructed, laid down or placed its electric lines, electrical plant or other works, or worked its system, in contravention of Clause (57.2) above or as to whether the working of any wire, line or current is or is not injuriously affected thereby, the matter shall be referred to the Central Government.
- 57.4 The Central Government, unless it is of the opinion that the wire or line has been placed in unreasonable proximity to the electric lines, electrical plant or works of the Distribution Licensee after the construction of such lines, plant or works, may direct the Distribution Licensee to make such alterations in, or additions to, its system as way be necessary in order to comply with the provisions of this Regulation 57, and the Distribution Licensee shall make such alterations or additions accordingly:
 - Provided that nothing in Clause (57.3) above and this Clause (57.4) shall apply to the repair, renewal or amendment of any electric line or electrical plant so long as the course of the electric line or electrical plant and the amount and nature of the electricity transmitted thereby are not altered.
- 57.5 Where the Distribution Licensee makes default in complying with the requirements of this section, it shall pay full compensation for any toss or damage incurred by reason thereof, and, where any difference or dispute arises as to the amount of such compensation, the matter shall be determined by arbitration conducted in accordance with Section 158 of the Act.
 - **Explanation** For the purposes of this Regulation 57, a telegraph line shall be deemed to be injuriously affected if telegraphic, telephonic or electric signaling communication by means of such line is, whether through induction or otherwise, prejudicially interfered with by an electric line, electrical plant or other work or by any use made thereof.

58 Conduct of Business having adverse effect on Competition

58.1 Every Licensee shall not enter into agreement or abuse its dominant position or enter into any combination which is likely to cause or causes an adverse impact on the competition in the distribution of electricity.

59 Co-operation with State Transmission Utility, State Load Dispatch Centre and other Licensees

- 59.1 The Distribution Licensee shall provide to the State Load Despatch Centre and State Transmission Utility and/or other Licensees, such information as may reasonably be required by them to perform their functions and exercise their powers under the Act and/or the Reform Act.
- 59.2 The Distribution Licensee shall always comply with the, directions of State Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centre and State Transmission Utility issued under the Act and/or the Reform Act.
- 59.3 The Distribution Licensee shall co-operate with generating companies, other Licensees and State Load Despatch Centre for the efficient and coordinated operation of the power system.

60 Investments

60.1 The Distribution Licensee shall make the investments in a prudent manner, being guided by the duty to build, maintain and operate an efficient, coordinated and economical distribution system in the State of Goa and Union Territories.

60.2 The Distribution Licensee shall duly comply with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2018 and as amended from time to time, guidelines, directions and orders that the Commission may issue from time to timein regard to investments to be made in the Distribution Business.

61 Procurement of Material/ Equipment/ Services

61.1 The Distribution Licensee shall procure all material/equipment or execute any contract for availing services including power procurement only through the transparent competitive bidding process.

62 Expected Revenue and Tariff Filings

- 62.1 The Licensee shall follow the methodology, procedures and other directions included in the Tariff Regulations while filing statements of expected revenue from charges and for proposing or amending any or all of its tariffs.
- 62.2 The amount that the Licensee is permitted to recover from its tariffs in any financial year is the amount that the Commission determines in accordance with the financial principles and their applications provided in Section 62 of the Electricity Act 2003, as will allow the Licensee a fair opportunity to earn a reasonable return.
- 62.3 The Licensee shall establish a tariff as approved by the Commission, for the Licensee's Distribution Business and shall calculate its charges in accordance with this License, the Regulations, the orders of the Commission and other requirements prescribed by the Commission from time to time.
- 62.4 The Licensee shall publish a tariff for its distribution of electricity reflecting the tariff charges and the other terms and conditions contained in the approved tariffs referred to in Clause (62.3) above or as directed by the Commission.
- 62.5 The Licensee shall apply to the Commission to amend its tariffs in accordance with the Act and applicable Regulations and directions of the Commission.
- 62.6 The Licensee shall apply to the Commission to amend its tariffs in accordance with the Act if the Commission so requires in order to remove any undue discrimination identified by the Commission.

63 Accounts and Audit

- 63.1 Every Distribution Licensee shall cause the accounts of his utility to be made up the thirty-first (31) day of March each year.
- 63.2 The Distribution Licensee shall:
 - (a) Maintain separate information and statement of accounts for the Licensed Business and any Other Business
 - Provided, further that, the Licensee shall submit separate accounts for its Licensed Business and overall accounts of a Company as a whole.
 - (b) Maintain the statement of accounts in such form and containing such particulars as may be specified by the Commission and till such time as these are specified by the Commission, the accounts shall be maintained in accordance with the Companies Act, 1956, Companies Act, 2013 as amended from time to time, where such Act is applicable;
 - (c) Prepare on a consistent basis, from such records, Accounting Statements for each financial year comprising a profit and loss account, a balance sheet and a statement of source and application of funds together with notes thereto and showing separately the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve, or provision which has been either:
 - i. Charged from or to any Other Business together with a description of the basis of that charge or;
 - ii. Determined by apportionment or allocation between the various business activities together with a description of the basis of the apportionment or allocation.
 - (d) Provide, in respect of the Accounting Statements prepared in accordance with foregoing Clauses, a report by the Auditors in respect of each year, stating whether in their opinion the statements have been properly prepared and give a true and fair view of the revenue, costs, assets, and liabilities, reserves reasonably attributable to the business to which the statements relate, and
 - (e) The Distribution Licensee shall prepare and render to the Commission an annual statement of his audited accounts in accordance with the provisions of the Act, within a period of six (6) months from the

- aforesaid date, or such extended period as the Commission may authorize after it is satisfied that the time allowed is insufficient owing to any cause beyond the control of the Licensee and the statement shall be rendered in such numbers of copies as the Commission directs.
- (f) The accounts shall be made up in such forms as the Commission may direct from time to time. All the forms shall be signed by the Distribution Licensee or his accredited and duly authorized agent or manager.
- (g) The Commission may by special or general order direct that, in addition to the submission of the annual statements of accounts in the forms directed in Clause 63.2 (f) above, a Distribution Licensee shall submit to the Commission or such other authority as it may designate in this behalf such additional information as it may require for the purpose
- Any person authorized by the Commission shall be entitled to inspect and verify the accounts of the Distribution Licensee and the Distribution Licensee shall render all necessary assistance to such person.
 - Provided, further that, if the Commission feel appropriate may get the independent audit of the Distribution Licensee accounts from any independent agency, including Comptroller and Auditor General of India (CAG).
- 63.4 The Distribution Licensee shall not change the basis of charge or apportionment or allocation of revenues or expenses in relation to the preparation of the Accounting Statements in respect of a financial year from those applied in respect of the previous financial year, without prior approval from the Commission:
 - Provided that during the financial year that a Distribution Licensee changes the basis of charge or apportionment or allocation in its Accounting Statements from those adopted for the immediately preceding financial year, the Commission may direct the Distribution Licensee to prepare such Accounting Statements on the past basis in addition to preparing Accounting Statements on the basis which it has adopted.
- 63.5 If the Distribution Licensee is carrying on any Other Business for the optimum utilization of its assets, it shall prepare the accounting statement for Other Business on a consistent basis from such accounting records and deliver to the Commission in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time.
- 63.6 The Distribution Licensee shall ensure that the Accounting Statements in respect of each financial year and the Auditors report in respect of each financial year mentioned hereinabove are publicized in such manner as the Commission may direct, and are made available to any person requesting them, at a price not exceeding the reasonable cost of duplicating them, or such price as the Commission may specify.

64 Prohibition of subsidies

64.1 The Distribution Licensee shall not give any subsidy or subvention to any person or any Other Business of the Distribution Licensee, except a subsidy granted by the State of Goa and Union territories Government pursuant to Section 65 of the Act.

65 Provision of Information to the Commission and other Stakeholders

- 65.1 The Licensee shall provide all information as applicable to the Licensee in the formats enclosed within sixty (60) days from coming into force of these Conditions of License. Subsequently, all the formats shall be filled up and submitted by the Licensees, annually, within a month after the completion of every financial year.
- 65.2 The Distribution Licensee shall furnish to the Commission without undue delay such information, documents and details related to the Licensed Business or any other business of the Licensee engaged for optimum utilization of the assets of the Licensed Business, as the Commission may require from time to time for its own purposes or for the purposes of the Government of India, State Government, the Central Commission, and/or the Central Electricity Authority, the State Transmission Utility and State Load Dispatch Centre.
- 65.3 The Distribution Licensee shall furnish information on the implementation of the standards of performance as specified in the Standards of Performance of Distribution Licensee Regulations 2015, notified by the Commission as amended from time to time.
- 65.4 The Distribution Licensee on occurrence of any major incident or accident shall notify the Commission about such occurrence as provided in Electricity Supply Code, and Standards of Performance of Distribution Licensee Regulations notified by the Commission and as amended from time to time.
- 65.5 The Distribution Licensee shall also undertake such studies as the Commission may direct it to undertake from time to time for the improvement of its distribution business and any other matter concerning the distribution business.

- 65.6 The Distribution Licensee shall duly inform the Commission about any incident restricting it from meeting its obligations under its licensee including any act of Commission or commission by others and steps taken by the Licensee to mitigate the effect of such incident.
- 65.7 The Commission may at any time require the Licensee to comply with the provisions of Clauses (65.3) to (65.5) as to incidents which the Commission may specifically direct and the Licensee shall be obliged to comply with the same notwithstanding that such incidents are not major incidents; provided that the time limits specified in Clause (65.3) shall commence from a date that the Commission notifies to the Licensee of such requirement.
- 65.8 The Licensee shall provide details/data/documents available in material form as required by the stakeholders/consumers/consumer associations/consumer bodies, etc., within the time frame as prescribed by the Commission from time to time. If no time frame is prescribed by the Commission the Licensee shall provide the same within a maximum period of thirty (30) days from the date of request.

66 Acts which Distribution Licensee shall not undertake

- 66.1 No Licensee, except with prior approval of the Commission, shall undertake:
 - (a) any transaction to acquire, through purchase or takeover or otherwise, any utility of any other licensee; or
 - (b) merge his utility with another utility of any other licensee.
- 66.2 No Licensee shall, without prior approval of the Commission, assign or transfer his utility or Licence or part thereof through sale, lease, exchange or otherwise without the prior approval of the Appropriate Commission.
- 66.3 Before obtaining approval under Clause (66.1) to (66.2) above, a Licensee shall give a notice of not less than one (1) month to every other Licensee, who distributes electricity in the area of such licensee, who applies for such approval to the Commission.
- 66.4 Any agreement entered into by the Licensee in respect of Clause (66.1) to (66.3) above shall become void unless prior approval of the Commission is obtained thereto.
- 66.5 Where such permission is required, the Licensee shall file an application with the Commission duly furnishing all relevant information. The Commission may, within thirty (30) days of the receipt of such application, accord required permission subject to the terms and conditions as it deems necessary or reject the application for the reasons to be recorded in writing in support of such rejection.
- The Distribution Licensee shall not make use of the assets of the system for a purpose other than distribution of electricity, except with the prior approval of the Commission as provided for in Regulation 54.

67 Major Incidents

- 67.1 The Distribution Licensee shall notify to the Commission any major incident that has occurred in the area of the Distribution Licensee. A deviation from any part of the distribution system from standard operating condition, which was triggered by cross boundary effect, in the system of generators, transmission system or in the system of extra high voltage consumers which has resulted in the loss of equipment or life of a person or animal, shall be deemed a major incident. The Licensee shall also:
 - (a) Submit a detailed report giving facts of the incidents, the causes and the adverse effects on the total power system. (The total power system comprises the transmission system, generating units, distribution systems and the systems of the EHT consumers).
 - (b) Submit a note containing the Licensee's analysis of the major incident and suggestions for carrying out remedial measures for preventing recurrence of such major incidents.
 - (c) The Licensee shall at the earliest possible date and in any event, no later than two (2) months from the date of such Major Incident:
 - i. submit a report to the Commission giving full details of the facts within the knowledge of the Licensee regarding the incident and its cause.
 - ii. In the event the report under sub-Clause (a) is likely to take more than fifteen (15) days from the date of the Major Incident, the Licensee shall within fifteen (15) days from such date of the incident submit a preliminary report with such details which the Licensee can reasonably furnish and state reasons as to why the Licensee requires more than fifteen (15) days for giving full report of such incident.

- iii. send copies of the report and note to the State Load Despatch Centre, State Transmission Utility, State Government, and Chief Electrical Inspectorate etc.
- 67.2 The Commission may direct an independent person to investigate in the case of a major incident and submit his report. The Commission may analyze the report and the information received from all sources and will decide whether a major incident is a Force Majeure event or is caused by violation of conditions of licence or provisions of Grid Code or provisions of the Act or the rules and regulations under the Act.
- 67.3 The Commission may decide the following:
 - (a) remedial measures to be taken by one or more operators (or owners) of the parts of the total power system (including the Distribution Licensee) to prevent recurrence of similar major incidents.
 - (b) Punitive measures to be imposed on one or more persons for lapses which caused the major incident.
 - (c) Compensation to be paid by one party to another party [by the owner (or operator) of a segment of the total power system to the owner (or operator) of another segment of the total power system].
- 67.4 The Commission may send its views and decisions on the major incident to the State Load Despatch Centre, Chief Electrical Inspector, State Transmission Utility etc.

Chapter - 5

Technical Conditions of the Distribution Licence

68 Procurement of Power

- 68.1 The Distribution Licensee shall prepare a plan for procurement of power to serve the demand for electricity in its Area of Supply and submit such plan to the Commission for approval as a part of Business Plan:
 - Provided further that such power procurement plan may include long-term, medium-term and short term sources of power procurement.
- 68.2 The Licensee shall purchase power in an economical and efficient manner under a transparent procurement process as approved by the Commission after following the guidelines issued by the Commission with the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2018 and as amended from time to time relating to preparation of load forecasts, power procurement plan and power procurement procedure.

69 Compliance with the Laws, Rules and Regulations

- 69.1 The Distribution Licensee shall comply with the provisions of the Act, rules, regulations and orders and directions issued by the Commission from time to time.
- 69.2 The Distribution Licensee shall act in accordance with this general conditions specified in the licence except where the Licensee is exempted specifically or permitted by the Commission for any deviation from these guidelines through a separate order.
- 69.3 The Distribution Licensee shall comply with the orders and directions issued by the State Load Despatch Centre and other statutory authorities in the discharge of their functions.
- 69.4 The Distribution Licensee shall adhere to the Standards of Performance Regulations and the Electricity Supply Code, approved by the Commission and as amended from time to time in regard to supply of electricity in his area.

Chapter - 6

Miscellaneous

- 70 All issues arising in relation to interpretation of these General Conditions and as to the terms and conditions thereof shall be a matter for the determination of the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.
- 71 The Commission in addition to the General Conditions under Chapter 2 & 4, may specify, Specific Conditions applicable to a specific Transmission/Distribution Licensee or class of licensees and such conditions shall be deemed to be conditions of licence of such Licensee or class of Licensees.

72 Reporting to the Commission

72.1 The Licensee shall submit such report, information, data as called by the Commission from time to time.

73 Savings

- 73.1 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or affect the power of the Commission to issue such directives or orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuse of the procedures laid down by the Commission.
- 73.2 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provision of the Act, a procedure which is at variance with any of the provisions of these Regulations if the Commission for reasons to be recorded in writing deems it necessary or expedient for dealing with such matter or class of matters.
- 73.3 Nothing in the Regulations shall, explicitly or impliedly, bar the Commission from dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulation have been framed and the Commission

74 Power to remove difficulties

74.1 If any difficulties arise in giving effect to any provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, or the Reform Act or the rules, regulations or codes made thereunder, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

75 Power to Amend

75.1 The Commission may, at any time, add, vary, alter, modify or amend any of the provisions of these Regulations

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./511/2020-2021]

APPENDIX - 1

Application form for grant of Transmission/Distribution Licence

Application No.....

Case No..... (To be filled in by Commission's office)

IN THE MATTER OF:

Grant of Licence for Transmission/Distribution of Electricity under Section 14 of the Electricity Act 2003 to:

Particulars of the Applicant

- 1. Name of the Applicant:
- 2. Form of Incorporation, if any:
- Address:
- 4. Name, Designation & Address of the contact person:
- 5. Contact Tel. Nos.:
- 6. Fax No.:
- 7. E-mail ID:
- 8. Place of Incorporation/Registration:
- 9. Year of Incorporation/Registration:
- 10. Geographical Area within which Applicant proposes to undertake Transmission/Distribution of Electricity:
- 11. Following documents are to be enclosed:
 - a) Certificate of registration/incorporation;
 - b) Certificate for commencement of business;
 - c) Memorandum of Association and Articles of Association;
 - d) Original power of attorney of the signatory to commit the Applicant or its promoter;
 - e) Details of Income tax Registration;
 - f) Draft licence;
 - g) All the documents mentioned in Regulation 3.6 of the Joint Electricity Regulatory Commission (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020

Details of Financial Data of Applicant

12. Net worth (in equivalent Indian Rupees-conversion to be done at the rate of exchange prevailing at the end of each Year) for immediate past 5 (five) financial years. (Specify financial year as applicable)

(DD/MM/YY) to (DD/MM/YY)	In Home Currency	Exchange Rate Used	In equivalent Indian Rupees

Copies of Annual Reports or certified audited results to be enclosed in support of above.

13. Annual turnover (in equivalent Indian Rupees - conversion to be done at the rate of exchange prevailing at the end of each year) for immediate past 5 (five) financial years. (Specify financial year as applicable)

(DD/MM/YY) to (DD/MM/YY)	In Home Currency	Exchange Rate Used	In equivalent Indian Rupees

Copies of Annual Reports or certified audited results to be enclosed in support of above.

- 14. Certificate of Credit Rating
- 15. Certificate of 'Standard' borrowal account
- 16. Certificate stating that RBI has not classified the Applicant as a 'wilful defaulter'.
- 17. List of documents enclosed in support of Sl. Nos. (10) and (11) above:

SR. No	Name of the Documents
(a)	
(b)	

- 18. A) Whether Applicant himself shall be financing the proposed Transmission/Distribution of Electricity fully on its own balance sheet
 - B) If, yes, proposed equity from the Applicant
 - i. Amount:
 - ii. Percentage:
- 19. In case the Applicant proposes to tie up with some other Agency for equity, then name & address of such agency:
 - a) Name, designation & Address of reference person of the other Agency:
 - b) Contact Tel. No.:
 - c) Fax No.:
 - d) E-mail ID:
 - e) Proposed equity from the other Agency
 - i. Amount:
 - ii. Percentage of total equity:
 - iii. Currency in which the equity is proposed:
 - f) Consent letter of the other agency to associate with the Applicant for equity participation to be enclosed.
 - g) Nature of proposed tie-up between the Applicant and the other agency.
- 20. Details of debt proposed for the Transmission/Distribution activity:
 - a) Details of lenders:
 - b) Amount to be sourced from various lenders:
 - c) Letters from the lenders in support of the above to be enclosed.
- 21. Competence of the Applicant

(The Applicant is required to describe its Core Business Activities and previous experience in electricity sector in general and in particular to the Transmission/Distribution of Electricity)

22. Organisational & Managerial Capability of the Applicant:

(The Applicant is required to enclose proof of their Organisational & Managerial Capability, in terms of the Regulations, in form of proposed organisational structure & curriculum vitae of various executives, proposed office and communication facilities, etc.)

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 83

23. Approach & Methodology:

(The Applicant is required to describe approach & methodology for setting up its Transmission/Distribution system and conduct of the business of Transmission/Distribution of Electricity as proposed by it. This should contain a statement of the Applicant's plan on conduct of the business of Transmission/Distribution of Electricity during the first year after the grant of licence and future plans for the said business during the next five years.)

- 24. Data relating to the applicant's future business
 - a) Five year Business Plan for transmission or distribution of electricity for which the application is being made and funding arrangements for meeting its obligations under proposed licence for maintenance, operation, improvement and expansion for future load growth.
 - b) Five year annual forecasts of costs, sales, revenues and project financing stating the assumptions underlying the figures provided.

(Signature of the Applican	
Place:	
Dated:	

Application form for Deemed Licence

Application No	
Case No	(To be filled in by Commission's office)
IN THE MATTER	R OF:

Grant of Deemed Licence for Transmission/Distribution of Electricity under Section 14 of the Electricity Act 2003 to:

Details of Applicant

- 1. Full name of Applicant:
- 2. Address of Applicant:
- 3. Application fee (DD details):
- 4. Registered Office Address:
- 5. Local Office Address/Administrative Office Address:
- 6. Contact Tel. Nos.:
- 7. Fax No.:
- 8. E-mail ID:
- 9. Details of Authorized Signatory:
- 10. Form of Incorporation, if any:
- 11. Place of Incorporation/Registration:
- 12. Year of Incorporation/Registration:
- 13. Following documents are to be enclosed:
 - a) Certificate of registration/incorporation;
 - b) Certificate for commencement of business;
 - c) Memorandum of Association and Articles of Association (Duly mentioning Power Distribution is one of the Business Activity);
 - d) Original power of attorney of the signatory to commit the Applicant or its promoter;
 - e) Details of Income tax Registration;
- 14. Names and addresses of Directors / Competent Officers (Furnish details, if applicable):
- 15. Principal shareholders/Partners/Members:

- 16. Principal Business Activity:
- 17. Geographical Area within which Applicant proposes to undertake distribution (to mention boundaries referring to the attached map when necessary):
- 18. Power Details:
 - a) Sourcing of Power:
 - i. Voltage:
 - ii. Source of supply (Own generation/purchase from others/discoms):
 - iii. Quantum of Electricity handled in last 12 months:
 - Demand (MW):
 - Energy (MU):
 - iv. Do you have any power supply agreement with any Discom/generator/Trader, if so, mention brief details power purchase
 - b) Supply of Power:
 - i. Voltages of supply:
 - ii. Persons to whom electricity is intended to be distributed with full details of categories of persons (members/employees' colonies/ other concerns/general public, etc.):
 - c) Funding arrangements for maintenance, operation, improvements and expansion to meet future load growth, supply obligations, etc.
 - d) Whether Applicant himself will be financing the proposed distribution of electricity fully on its own balance sheet:

If, yes, proposed equity from the Applicant:

- i. Amount:
- ii. Percentage:
- 19. Organizational & Managerial Capability of the Applicant:

(The Applicant is required to enclose proof of their Organizational & Managerial Capability, in terms of the Regulations, in form of proposed organizational structure & curriculum vitae of various executives, proposed office and communication facilities, etc.)

- a) Management Capability:
- b) Financial Strength:
- c) Ability to discharge supply function in a sustainable manner:
- 20. Date from which deemed licence is sought:

Period for which deemed licence is sought:

- 21. Detailed justification for seeking licence:
- 22. Other Information:
 - a) Whether the applicant or any of his partners or promoters or Directors or Associates has been declared insolvent and has not been discharged. If so, the details thereof;
 - b) Details of cases resulting in conviction of fraud or economic offences of the applicant, any of his partners, promoters or Directors or Associates during the three years preceding the year of making application;
 - c) Details of all pending cases involving the applicant, any. of his partners or promoters or Directors or Associates, which shall include nature of the dispute, whether civil or criminal, name of the other party or parties, the court before whom pending and the latest status;
 - d) Whether the applicant or any of his partners, or promoters or Directors or Associates were ever refused licence. If so, give the details of date of making application, date of refusal and reasons for refusal.

23. List of Documents enclo	3. :	uments enclosed:
-----------------------------	------	------------------

a)

b)

(Signature of the Applican	
Place:	
Dated:	

List of Documents to Accompany with Application of Deemed Licence

- 1. Certificate of Incorporation from Registrar of Companies;
- 2. Copies of Company's Memorandum/Articles of Association/Partnership deed etc.
- 3. Proof of Authorization to sign the application form;
- 4. Data relating to management and Financial Capability:
 - a) Managerial:
 - i. Senior management's curriculum vitae;
 - ii. Cadre strength for different categories, technical and non-technical.
 - b) Financial:
 - i. Bank references asserting that the Applicant is financially solvent;
 - ii. Most recent Balance Sheet;
 - iii. Audited accounts for the Applicant and any Holding Company, Subsidiary or affiliated company for each of the three most recent financial years;
 - iv. Any accompanying notes and certifications on the above statements from a reputed chartered accountant.
- 5. Data relating to the Applicant's future Business
 - a) Five year Business Plan for the business for which the application relates;
 - b) Five year annual forecasts of costs, sales, revenues and project financing stating the assumptions underly1ng the figures provided.
- 6. Detailed Maps of the proposed area of supply:
 - Detailed maps showing the area supplied and the configuration of the Transmission/Sub-transmission and Distribution System, including information on Substations. The map shall clearly distinguish between the existing System and any new facilities that are or will be required for the purposes of providing Supply. The map shall indicate the streets and roads in which the power is distributed and distinguish between public and private.
- 7. Proof of Service of the Copy of Application on incumbent Distribution / State Transmission Utility (STU);
- 8. Reasons for not furnishing any of the above documents thereof;
- 9. Details of Income tax Registration;
- 10. Any other relevant information.

APPENDIX - 2

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES

GURUGRAM

TRANSMISSION LICENCE

- 1. The Joint Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as "Commission"), in exercise of the powers conferred under Section 16 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as "the Act"), hereby grants this licence to M/s (hereinafter referred to as the Licensee) to construct, maintain and operate (Name of the Project), more specifically described in the schedule attached to this licence, which shall be read as a part and parcel of this Transmission Licence, subject to the Act, the rules and the general conditions of the Transmission Licence specified under the Joint Electricity Regulatory Commission (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020 and other Regulations specified by the Commission (herein after referred to as "Regulations"), including statutory amendments, alterations, modifications, re-enactments thereof, which shall be read as part and parcel of this licence.
- 2. Wherever there is a contradiction between the terms and conditions contained in this licence and the Agreements, the provisions of this licence, as amended from time to time, shall apply.
- 3. This Transmission Licence is not transferable.

- 4. The grant of Transmission Licence to the Licensee shall not in any way manner or restrict the right of the Commission to grant a Transmission Licence to any other person within the same area for the transmission system other than the Project described in the schedule attached to this licence. The Transmission Licensee shall not claim any exclusivity.
- 5. The Transmission Licence shall, unless revoked earlier, continue to be in force for a period of 25 (twenty five) years from the date of issue.

				SECRETARY
			Joint Electricity Regulate	ory Commission
			Pl	lace: Gurugram
			Date	:
SCHEDULE	2			
1. Project R	Related Detail	s:		
The Proje	ct comprises of	of following elements of the Inter-St	ate Transmission System:	
	SR. No.	Name of Transmission Element	Schedule date of Commissioning	
				-

SECRETARY

Joint Electricity Regulatory Commission

Place: Gurugram

Date:

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES GURUGRAM

DISTRIBUTION LICENCE

- 1. The Joint Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as the "Commission"), in exercise of the powers conferred under Section 16 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as "the Act"), hereby grants this licence to M/s (hereinafter referred to as the Licensee) to distribute electricity in the area of distribution as specified below, subject to the provisions made in the Acts, the rules, general conditions of Distribution Licence specified under the Joint Electricity Regulatory Commission (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020 and other Regulations specified by the Commission (herein after referred to as "Regulations:), including statutory amendments, alterations, modifications, re-enactments thereof, which shall be read as part and parcel of this licence.
- 2. Area of Distribution:

The area of Distribution shall be the whole of the area bounded as follows:

North - By

East - By

South-By

West - By

- 3. This Distribution Licence is not transferable, except in accordance with the provisions of the Acts, the Rules and the Regulations.
- 4. The Distribution Licensee shall not without prior approval of the Commission:
 - a) undertake any transaction to acquire by purchase or take over or otherwise, the utility of any other licensee; or
 - b) merge its utility with utility of any other licensee;

- 5. The Distribution Licensee shall not at any time assign its licence, or transfer its utility, or any part thereof, by sale, lease, exchange or otherwise without the prior approval of the Commission.
- 6. Any agreement relating to any transaction referred to in sub-clause (4) and sub-clause (5) unless made with the approval of the Commission, shall be void.
- 7. The grant of this Distribution Licence to the Licensee shall not in any way hinder or restrict the right of the Commission to grant a licence to any other person within the same area for Distribution of electricity. The Distribution Licensee shall not claim any exclusivity.
- 8. This Distribution licence shall commence on the date of its issue and unless revoked earlier, shall continue to be in force for a period of 25 (twenty five) years.
- 9. The Distribution Licensee may with prior intimation to the Commission, engage in any business for optimum utilisation of its assets:

Provided that the Distribution Licensee shall not engage in the business of transmission of electricity.

- 10. The Distribution Licensee shall pay license fee as specified by the Commission.
- 11. The provisions contained in the Acts shall apply to the Distribution Licensee with regard to revocation of Distribution Licence and sale of his utility.

(SECRETARY)

Joint Electricity Regulatory Commission

Place: Gurugram

Date:

APPENDIX - 3

Application for amendment to a licence for transmission or distribution of electricity.

BEFORE THE JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Application No	•••••	
Case No	(To be filled in by	Commission's office)

IN THE MATTER OF:

Grant of amendments to a Licence for Transmission/Distribution of Electricity under Section 18 of the Electricity Act 2003 to:

- 1. Name of the Licensee
- 2. Address

The applicant hereby submits to the Commission the following particulars for making alterations or amendments to the terms and conditions of his existing Licence for Transmission/Distribution of Electricity supply (Strike off whichever is not applicable) under Section 18 of Electricity Act 2003:

1. Particulars of existing licence.

a) Licence No Dated	

- b) The category of licence Transmission or Distribution.
- c) Its area of supply/transmission.
- d) Changes, if any, proposed in area of supply/transmission.

Existing Area	Proposed Area

i. Name and address of Zila Parishads and municipalities falling within the area of supply/transmission to be affected by proposed alteration or modification.

- ii. Cantonments, aerodrome, fortress, arsenal, dockyard or camp or any building or place in occupation of the government for defence purposes falling within the area of supply/transmission to be affected by proposed alteration or modification.
- 2. Specific amendment/ alteration proposed in other clauses.

Existing Provision	Proposed amendment/alteration

- 3. Reasons for the alternation/amendment sought.
- 4. If the proposed amendment/ alteration will lead to additional investment, arrangements for funding it.
- 5. Any other particulars considered relevant/necessary.

(Signature of the Applicant)
Place:
Dated:

List of Documents to Accompany with Application for amendment/alteration to an existing licence

- 1. Affidavit of the authorised person on non-judicial stamp paper of appropriate value.
- 2. Copy of existing licence and designated map.
- 3. Map of the area of supply or transmission, if alteration or modification of such area is proposed.
- 4. Relevant resolution of Company/Society/Local authority.
- 5. Letter of authority of the Board of Directors in favour of the persons signing the application.
- 6. Documents mentioned in Regulation 3.6 and Appendix 1 as relevant to the amendment proposed& Proof of payment of application fee.